वार्षिक
प्रशासन रिपोर्ट
2006-2007

दिल्ली विकास प्राधिकरण के 50 वर्ष

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्रीए स.ज यपालर`ड्डीक`न्द्रीयश ाहरीि विकासम ंत्री,श्र ीअ जयम ाकन,क`ेंन्द्रीयश ाहरी विकासर ाज्यमंत्रीि दि.मु.यो. 2021द लक`स ाथ

भागीदारीम`लाप्र गतिम ैदानम`ेंि दि.वि.प्रा.क`स् टॉलक ाि निरीक्षणक रतेह ुए दि.वि.प्रा.क`उ पाध्यक्ष

जैवव ैविध्यप ार्कम`ेंभ्रमणक रतेह ुएम ीडियाक र्मी

विषय–सूची

दिल्ली – अनेक आश्चर्यों का शहर 1

वर्ष की उपलब्धियां 3

प्राधिकरण का प्रबंध-तंत्र 6

कार्मिक विभाग 12

सतर्कता विभाग 14

विधि विभाग 16

प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग 25

इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य-कलाप 29

योजना एवं वास्तुकला 40

आवास 64

भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग 69

खेलकूद 74

उद्यान-राजधानी को हरा-भरा बनाना 83

कोटि आश्वासन कक्ष 84

वित्त एवं लेखा विंग 86

1. दिल्ली – अनेक आश्चर्यों का शहर

विविधता का वास्तविक रूप दिल्ली में मिलता है। यह सही अर्थों में परिवर्तन और संगम का एक चित्र है। इस शहर का युगों-युगों से एक गौरवमय इतिहास रहा है और प्रत्येक युग ने अपनी विरासत की सुगन्ध छोड़ी है।

संसार के सात महान आश्चर्यों की तरह दिल्ली में भी कालान्तर से सात भिन्न-भिन्न शहर समाए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक की एक अलग छाप है। इस शानदार शहर का जन्म महाभारत काल के इन्द्रप्रस्थ शहर के समय में खोजा जा सकता है। वह 3000 वर्ष पुराना था, जो समय की रेती में विलीन हो गया। कुछ भूरे रंग के वर्तनों के टुकड़े उस युग का प्रमाण देने वाली स्मृतियां शेष हैं।

तब से, दिल्ली शहर अनेक शासकों की कल्पना रहा है। कुछ शासकों ने इसकी शान बढ़ाई है और कुछ ने इसे लूटा है। इसने विभिन्न कालों में उत्थान-पतन और प्रचुरता व अभाव के दौर भी देखे हैं।

दिल्ली का नामकरण विद्यमान कुतुबमीनार के निकट एक शताब्दी ईसा पूर्व बने हुए शहर पर किया गया है। उस शहर को लाल कोट के नाम से पुकारते थे। यह नाम तोमर सल्तनत के राजा अनंगपाल ने दिया था। लाल कोट बाद में किला राय पिथौरा में बदल गया, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा गया।

कुतुब मीनार के आस-पास हरित क्षेत्र

हुमायूं का मकबरा

12 वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने इस शहर पर आक्रमण किया, जिसमें पृथ्वी राज चौहान परास्त हुआ था, परन्तु गौरी अपना शासन नहीं चला सका। उसने नई राजधानी को अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में सौंप दिया, जिसने लाल कोट को 1303 तक अपनी राजधानी के रूप में रखा।

अन्त में राजपूतों को परास्त करने के बाद, खिलजी ने सीरी युद्ध क्षेत्र के आस-पास दिल्ली का दूसरा शहर बनाया लेकिन यह भी अधिक समय तक नहीं बना रह सका और शीघ्र ही तीसरा दिल्ली शहर बनने लगा।

तुगलकाबाद नाम से तीसरा शहर गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया और चार वर्ष के अन्दर इस शहर का नाम दिल्ली पड़ गया। तथापि, यह बाद में जल की कमी के कारण त्याग दिया गया।

एक बार पुन: दिल्ली ने अपनी ओर आकर्षित किया और मुहम्मद बिन तुगलक ने चौथा शहर बनवाया तथा इसका नाम 'जहांपनाह' रखा। चूँकि परिवर्तन सदैव जारी रहता है और इस शहर ने भी यह परिवर्तन देखा है। फिरोजशाह ने पाँचवें शहर की नींव रखी और इसे 'फिरोजाबाद' नाम दिया।

जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और अपनी यादें पीछे छोड़ जाता है, वैसे-वैसे ही यह गौरवशाली युग भी तुगलक सल्तनत तक अपनी कुछ पुरातात्त्विक स्मृतियाँ पीछे छोड़ गया।

दिल्ली के इतिहास का अति स्मरणीय समय भारत में मुगलों के आगमन से आरम्भ हुआ था। महान बादशाह हुमायूँ ने तत्कालीन इन्द्रप्रस्थ को चुना और यहाँ पुराने किले का निर्माण करवाया तथा दिल्ली को छठा शहर बनाया। बाद में शेरशाह सूरी ने इसकी "शेरगढ़" के नाम से पुनः किलेबंदी की। केवल शाहजहाँ एक ऐसे बादशाह हुए, जो सुन्दरता एवं उद्यान प्रेमी माने जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली को अद्वितीय विरासत प्रदान करते हुए चार दीवारी के शहर "शाहजहाँनाबाद" की खोज की।

वर्तमान शहर में जामा मस्जिद और लाल किला दो ऐसी इमारतें है, जो उस समय के गौरवशाली जीवन की याद दिलाती हैं। परन्तु इस गौरवमयी मुगलकाल का अंत हो गया। अंग्रेजी ने भारत पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का एक नया युग आरम्भ हुआ।

आधुनिक दिल्ली के निर्माता सर एडवर्ड लुटियन और-हरबर्ट बेकर ने चौड़े रास्तों सहित उद्यानों के शहर के रूप में दिल्ली को नया रूप दिया। वे चाहते थे कि यह शहर ब्रिटिश राज की प्रतिष्ठा एवं वैभव को प्रदर्शित करे और वे इसे अपने अति अमूल्य स्वप्न के रूप में साकार करना चाहते थे।

यह शहर तभी से नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद यह देश की राजधानी और सर्वोच्च गौरव बना रहा है।

नई दिल्ली ने तीव्र गति से प्रगति की है, लेकिन समकालीन शहर की चुनौतियों सहित जनसंख्या के बढ़ने से इस शहर की प्रगति को कम करने का प्रयास किया गया। तथापि, दिल्ली शहर हमेशा और विश्व के अति प्रतिष्ठित शहरों में सम्मानित शहर बना रहा है।

भारत सरकार ने निरन्तर मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता समझते हुए 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तभी से न केवल भूमि अधिग्रहण, आवासीय परिसरों, व्यावसायिक केन्द्रों आदि के निर्माण के लिए उत्तरदायी रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास कार्य भी करेगा।

विकास की गति को बनाये रखने और वर्तमान युग के उत्कृष्ट शहरों की बराबरी करने के अपने 50 वर्षों के अथक प्रयासों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

यह दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए उद्यानों, समीपवर्ती पार्कों, हरित पट्टियों, व्यावसायिक केन्द्रों, आवासों आदि संबंधी लगातार कार्य कर रहा है।

इसका उद्देश्य निरन्तर बदलते परिदृश्य में दिल्ली को सदा नवीन एवं क्रियाशील बनाए रखना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण सन् 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को नया रूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में शहर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाना निर्धारित है।

कितने ही सम्राट आये और चले गये, इतिहास लिखा गया और दोबारा फिर लिखा गया, लेकिन दिल्ली के गौरव और विस्तार में निरन्तर वृद्धि होती रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली को विकास एवं डिजाइन के भंडार के रूप में न केवल भारत बल्कि विश्व की अनुपम निधि बनाना चाहता है।

2. वर्ष की उपलब्धियां

2.1 वर्ष 2006-2007 के दौरान खेलकूद कार्यकलापों और हरित क्षेत्रों के विकास के लिए आधारिक संरचना विकास सहित भूमि के अधिग्रहण एवं विकास, आवासों के स्टॉक और आधारिक - संरचना में वृद्धि हुई है। राष्ट्रमण्डल खेलों से संबंधित कार्य सहित पहले से विकसित व्यावसायिक केन्द्रों, मुख्य हरित क्षेत्रों के विकास में तेजी आयी है और शहरी विकास के बहुविध पहलुओं पर जोर दिया गया है। सूचना क्योस्कों, वेबसाइट, सलाहकारों और टेलीकांउस्लिंग आदि के द्वारा सूचना का प्रभावी प्रसार किया गया, जिससे दि.वि.प्रा. आबंटितियों के सभी लेनदेनों में पारदर्शिता देखने को मिलती है। ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि की सेवाएं और ऐसी सेवाएं-जो उनको अधिकतम सुविधाजनक हो, प्रदान करके ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए हैं। दिल्ली मुख्य योजना-2021 को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और फरवरी, 2007 में अधिसूचित किया गया।

दि.वि.प्रा. के एच.आई.जी. फ्लैट

2.2 आवास

i) **निर्माण-कार्य:** चल रही विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों की बकाया संख्या को निपटाने के लिए निर्माण-कार्यकलापों में तेजी लायी गयी। इस वित्तीय वर्ष के आरंभ में 11124 आवासों का निर्माण-कार्य चल रहा था। इनमें से 3081 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2936 अन्य आवासों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया।

ii) **आबंटन:** वर्ष 2006-2007 के दौरान चल रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 4085 फ्लैट आबंटित किए गए। 2201पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए प्रतीक्षारत थे।

रोहिणी में दि.वि.प्रा. के फ्लैट

श्री एस. जयपाल रेड्डी, शहरी विकास मंत्री के साथ दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारीगण

2.3 भूमि अधिग्रहण/विकास

आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, सांस्थानिक आदि के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दि. वि.प्रा. ने रोहिणी, जसोला, द्वारका, नरेला आदि में बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्यक्रम आरम्भ किया।

वर्ष 2006-2007 में 1932.58 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया।

2.4 भूमि का निपटान

i) **आवासीय प्लाट :** वर्ष 2006-07 के दौरान रोहिणी आवासीय योजना-1981 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 462 प्लाट आबंटित किए गए। 25366 पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए प्रतीक्षारत हैं। इसके अतिरिक्त नीलामी के द्वारा 827.07 करोड़ रू. की बोली राशि पर 150 आवासीय प्लाटों का निपटान किया गया।

ii) **व्यावसायिक प्लाट :** वर्ष 2006-07 के दौरान 123 व्यावसायिक प्लाटों का निपटान नीलामी द्वारा किया गया और इससे 4561.56 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 1034 व्यावसायिक सम्पत्तियाँ बेची गयीं जिनसे 22.34 करोड़ रूपये की कुल बोली राशि प्राप्त हुई।

2.5 हरित क्षेत्रों का विकास और रखरखाव

नगर में वायुप्रद स्थल के रूप में कार्य करने वाले दिल्ली के हरित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। दि. वि.प्रा. ने 4 क्षेत्रीय पार्कों, 111 जिला पार्कों, 25 नगर वन, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्र/क्षेत्रीय हरित क्षेत्र/ हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्कों, 1872 समूह आवासीय हरित क्षेत्रों, 13 खेल-परिसरों और एक मिनी खेल-परिसर के रूप में लगभग 4585 हैक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर चलाए गए वृक्षारोपण अभियान में लगभग 4.5 लाख पौधे लगाये गये। नये मैदानों (लॉन) के रूप में 86.40 एकड़ भूमि का विकास किया गया और 14 बाल-उद्यानों का भी विकास किया गया।

2.6 दिल्ली मुख्य योजना - 2021

प्राधिकरण की दिसम्बर 2006/जनवरी 2007 की अनुशंसाओं के अनुसार संशोधित दिल्ली मुख्य योजना-2021 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई। शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मुख्य योजना (दि.मु.यो. -2021) को 7 फरवरी, 2007 को अनुमोदित और अधिसूचित किया।

2.7 अवैध निर्माण गिराना

अवैध निर्माण गिराने की 402 कार्रवाई की गयीं, जिनमें 4388 अनधिकृत ढ़ांचों को हटाया गया और लगभग 168. 67 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी।

2.8 कोटि नियंत्रण

इसकी विभिन्न चल रही परियोजनाओं में कोटि सुनिश्चित करने के लिए कोटि नियंत्रण विभाग ने 361 निरीक्षण किए, 523 यादृच्छिक नमूने एकत्रित किए और अपनी प्रयोगशाला में 3955 परीक्षण (टेस्ट) किए।

2.9 प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने के कारण कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान ने 58 विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 873 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 121 कर्मचारियों को 41 बाह्य कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

2.10 ग्राहक-संतुष्टि के प्रयास

वर्ष के दौरान विभिन्न लेनदेनों और कार्यविधियों के संबंध में सूचना का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने और उसे आबंटितियों को सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए:

i) **टेलीफोन सलाह सेवा** के द्वारा आबंटितियों को विभिन्न लेनदेनों से संबंधित सारी सामान्य सूचना टेलीफोन पर ही दी जाती है।

ii) **सूचना क्योस्क :** दि.वि.प्रा. के विकास सदन और विकास मीनार स्थित कार्यालयों में टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी के साथ सूचना क्योस्क लगाए गए। ये क्योस्क प्राथमिकता संख्या, योजनाओं, पद्धतियों, नीतियों आदि के संबंध में सारी सूचना प्रदान करते हैं और इन क्योस्कों से नाममात्र के शुल्क पर विभिन्न लेनदेनों के प्रारूप भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

iii) मुख्य योजना सहित सारी नयी परियोजनाओं/नीतियों संबंधी सूचना शामिल करके ग्राहकों को अधिकतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए दि.वि.प्रा. ने विद्यमान वेबसाइट को अद्यतन बनाया है।

iv) सुविधा केन्द्र के कर्मचारियों के साथ-साथ सलाहकारों को प्रशिक्षण प्रदान करके और उनकी संख्या बढ़ा कर सलाहकार सेवा को और मजबूत बनाया गया।

v) स्वागत कक्ष एवं सुविधा केन्द्र के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

2.11 सूचना अधिकार अधिनियम - 2005

सूचना अधिकार अधिनियम - 2005, 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। दि.वि.प्रा. ने 49 जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) नियुक्त किए, जिन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। सूचना अधिकार अधिनियम, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों, आवेदन फार्म आदि के संबंध में सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने से अब तक 10592 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 10217 आवेदन-पत्रों को निपटाया गया और 375 आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

2.12 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दि.वि.प्रा. ने 06-11-2006 से 10-11-2006 तक मनाये गये सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भूमि निपटान विभाग द्वारा रोहिणी आवासीय योजना के आबंटितियों के लाभ के लिए रोहिणी में एक लोक शिविर का आयोजन किया गया। इस लोक शिविर में 163 हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए, 115 मामलों में हस्तांतरण विलेख दस्तावेज जारी किए गए और परिवर्तन के लिए 134 विवरणिकाएं बेची गयी। दि.वि.प्रा. की समर्पित सेवा करने के लिए दि.वि.प्रा. के 10 कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

3. प्राधिकरण का प्रबंध-तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। यह एक निगमित निकाय है जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निपटान करने की शक्ति प्राप्त है। यह मुकदमा कर सकता है और इस पर मुकदमा किया जा सकता है। श्री बी.एल. जोशी, एक विख्यात प्रशासक हैं, जिन्होंने दिनांक 9 जून, 2004 को दिल्ली के उपराज्यपाल और अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का पदभार संभाला तथा वे संगठन के विविध कार्यकलापों के संबंध में निरंतर निदेश देते रहते हैं।

अध्यक्ष

श्री बी. एल. जोशी — 01.04.06 से 31.03.07

उपाध्यक्ष

श्री दिनेश राय — 01.04.06 से 31.03.07

पूर्ण कालिक सदस्य

श्री ए. के. पटनायक — 01.04.06 से 28.12.06
वित्त सदस्य

श्री नंद लाल, *वित्त सदस्य* — 29.12.06 से 31.03.07

श्री ए. के. सरीन — 01.04.06 से 31.03.07
अभियंता सदस्य

केन्द्र सरकार द्वारा नामित

श्री पी. के. प्रधान — 01.04.06 से 05.06.06
संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

श्री एम. एम. कुट्टी — 06.06.06 से 31.03.07
संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

श्री एच. एस. आनन्द — 01.04.06 से 31.03.07
सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड

श्री अशोक कुमार — 01.04.06 से 31.03.07
आयुक्त, दि.न.नि.

श्री के. टी. गुरमुखी — 01.04.06 से 31.08.06
मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

श्री जे. बी. क्षीरसागर — 01.09.06 से 31.03.07
मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विकास सदन में आयोजित बैठक में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमण्डल के साथ

गैर-सरकारी सदस्य

श्री महाबल मिश्रा *विधायक*	01.04.06 से 31.03.07
श्री जिले सिंह चौहान *विधायक*	01.04.06 से 31.03.07
श्री मांगे राम गर्ग *विधायक*	01.04.06 से 31.03.07
श्री वीरेन्द्र कसाना *पार्षद, दि.न.नि.*	01.04.06 से 31.03.07
श्री ईश्वर दास *पार्षद, दि.न.नि.*	01.04.06 से 31.03.07

1.4.06 से 31.3.07 के दौरान प्राधिकरण की 10 बैठकें हुई और उनमें कुल मिलाकर 117 मदों पर विचार किया गया।

श्री अजय माकन, शहरी विकास राज्य मंत्री मथुरा रोड और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच लिंक रोड को दिल्लीवासियों को समर्पित करते हुए

3.2 सलाहकार परिषद

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-5 के अंतर्गत गठित समिति है, जो प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा उनसे उठे मामलों अथवा इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उसको भेजे गये मामलों में सलाह देती है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार था।

श्री बी.एल. जोशी *अध्यक्ष*	01.04.06 से 31.03.07

लोक सभा सदस्य

श्री सज्जन कुमार	01.04.06 से 31.03.07
श्री किशन सिंह सांगवान	01.04.06 से 31.03.07

राज्य सभा सदस्य

श्री जय प्रकाश अग्रवाल	01.04.06 से 31.03.07

उपाध्यक्ष

श्री दिनेश राय	01.04.06 से 31.03.07

सदस्य

श्री हीरेन टोकस *पार्षद, दि.न.नि.*	01.04.06 से 31.03.07
श्री सुग्रीव सिंह *पार्षद, दि.न.नि.*	01.04.06 से 31.03.07
श्री रोहित मनचंदा *पार्षद, दि.न.नि.*	01.04.06 से 31.03.07
श्रीमती निर्मला वत्स पार्षद, दि.न.नि.	01.04.06 से 31.03.07
श्री जे.पी.गोयल	
श्री चतर सिंह	
श्री सुनील देव अध्यक्ष, दि.प.नि. अध्यक्ष, सी.ई.ए	
महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय	
महानिदेशक (आर.डी.) और अपर सचिव, परिवहन मंत्रालय	
मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.	
महाप्रबंधक (पी.एम.), महानगर टेलीफोन निगम लि.	
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, दि.न.नि.	

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन और समन्वय शाखा

सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने और सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने तथा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के

नाम से जाना जाने वाला अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू किया गया।

अधिनियम के महत्व को दर्शाते हुए नये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित सूचना प्राप्त कराना है। इससे दि.वि.प्रा. के कार्यकलापों में न केवल पारदर्शिता आएगी, वरन् विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल प्रक्रियाओं के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलेगी।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए 14 पृथक काउण्टर खोले हैं, जहाँ फार्म/आवेदन-पत्र और शुल्क भी प्राप्त किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं, जो आर.टी.आई. के संबंध में जनता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आर.टी.आई. के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक फार्म तैयार किया गया है जो कि अनिवार्य नहीं है एवं नि:शुल्क है, परन्तु दि.वि.प्रा. डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर भी आवेदन-पत्र स्वीकार करता है।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 56 पी.आई.ओ. नियुक्त किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पी.आई.ओ. जरूरी हैं, क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर-दूर फैले हुए है। सभी पी. आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों को ई-मेल आई.डी. उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनता (पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों से) आसानी से सम्पर्क कर सके। इन सभी अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी.आई.ओ. में जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आर.टी.आई. के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन-पत्र और आर.टी.आई. के संबंध में अन्य विविध सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2007 तक दि.वि.प्रा. को अधिनियम के अंतर्गत 10592 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 10217 आवेदन-पत्रों को निपटाया गया और 375 आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है तथा ये आवेदन पत्र 30 दिनों से कम अवधि से लम्बित हैं। 29 आवेदन-पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 30 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित हैं।

श्री सज्जन कुमार, सांसद सैनिक विहार में जिला पार्क के विकास के लिए शिलान्यास करते हुए

3.4 स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस शाखा में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए नीचे लिखे विवरणानुसार 683 आवदेन-पत्र प्राप्त हुए।

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नये	कुल
1.	I	25	20	45
2.	II	52	358	410
3.	III	27	102	129
4.	IV	18	61	79
5.	V	3	17	20
	कुल	**125**	**558**	**683**

वर्ष 2006-07 के दौरान मार्च 2007 तक 284 स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए। आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नये	कुल
1.	I	8	20	28
2.	II	29	153	182
3.	III	9	85	94
4.	IV	6	17	23
5.	V	2	9	11
	कुल	**54**	**284**	**338**

इंद्रप्रस्थ पार्क का एक दृश्य

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंध का कार्य देखना है। इस शाखा में निदेशक (नजारत), दो सहायक निदेशक और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं। यह शाखा कार्यालय के निर्विघ्न कार्यकलापों के लिए अपेक्षित विभिन्न मदें अर्थात् स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात् फोटोकापिंग मशीन, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्राकरी, केलकुलेटर, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज़ आदि उपलब्ध कराती है और उन्हें जारी करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात् डैजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समय-समय पर काफी बैठकें आयोजित की गयी और संबंधित स्टाफ को सभी मदें समय पर उपलब्ध करायी गयीं। यह शाखा कार्यालय-स्थल के आबंटन का कार्य भी देखती है। विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को हर सम्भव सीमा तक कार्यालय स्थल देने के प्रयास किए गए।

3.6 हिन्दी विभाग

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान हिन्दी विभाग द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 62 निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 2 बैठकें भी आयोजित की गई। कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 5 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें 121 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

विकास सदन में हिन्दी पखवाड़ा

जिला पार्क, पीतमपुरा

सितम्बर, 2006 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण, हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग तथा हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता 27 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुल 31600/- रू. के नकद पुरस्कार दिए गए। प्राधिकरण में लागू तिमाही नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत 6 अधिकारियों एवं 9 कर्मचारियों को कुल 18300/- रू. के नकद पुरस्कार दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बच्चों के लिए दिनांक 29.12.2006 को एक भाषण-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 व कक्षा 9 से 12 वर्ग तक के 30 बच्चों को कुल 7800/- रू. के नकद पुरस्कार व अन्य उपहार दिए गए।

उपर्युक्त कार्यों के अलावा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में ई.ए.सी. की मदों का अनुवाद, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आवास लेखा इकाई (दक्षिणी जोन), जोन 'जी', 'एच', 'ओ', 'पी', 'जे', 'एल', 'एम' की क्षेत्रीय योजना का अनुवाद, मुख्य योजना अधिसूचनाओं का अनुवाद, विकास वार्ता सामग्री, चिल्ला खेल परिसर विवरणिका (ब्रोशर), लाइसेंस सम्पत्ति कक्ष के कागजातों, विभिन्न विभागों से प्राप्त फार्मो, संस्थापना-आदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों, कार्यावली मदों, अधिसूचनाओं, वार्षिक रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से प्राप्त सामग्री, हस्तांतरण विलेख, नरेला परियोजना, क्षेत्रीय विकास योजना जोन-एम, (भाग 3, 4, एवं 5), संसद एवं समन्वय विभाग, वाणिज्य भूमि विभाग, मुख्य योजना विभाग, सांस्थानिक भूमि विभाग से प्राप्त सामग्री, भर्ती नियमों एवं शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त संसदीय समिति की सामग्री का अनुवाद कार्य किया गया।

उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान दिल्ली मुख्य योजना-2021 की लगभग 400 पृष्ठों की सामग्री का हिन्दी अनुवाद न्यूनतम अवधि में कराया गया तथा उसे अधिसूचित भी कराया गया।

3.7 जन सम्पर्क विभाग

3.7.1 दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करने, विज्ञापन दरें निर्धारित करने, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाने, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, निविदा दस्तावेजों आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार-पत्रों के माध्यम से की गयी और जन शिकायत विभाग, भारत सरकार और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना और प्रति-प्रत्युत्तर जारी करना जैसे कुछ कार्य हैं, जो इस विभाग को सौंपे गये हैं।

3.7.2 01.04.2006 से 31.03.2007 के दौरान किए गए कार्यकलाप

1. 55 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में) जारी की गयीं, जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और विभिन्न गतिविधियों तथा आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को अवधि के दौरान प्रिंट के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य मीडिया में भी कवर किया गया।
2. दि.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 3.4.2006 को गोल्फ प्रतियोगिता के अवसर पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया

गया जिसे वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने सम्बोधित किया। इस सम्मेलन को प्रिंट और दृश्य-श्रव्य मीडिया में भली-भांति कवर किया गया। फरवरी, 2007 में दि. वि.प्रा. द्वारा विकसित विभिन्न हरित क्षेत्रों में एक दो दिवसीय मीडिया ट्रिप का भी आयोजन किया गया।

3. हरित क्षेत्रों पर एक चर्चा का आयोजन किया गया जिसे शहरी विकास मंत्री ने सम्बोधित किया और इसमें उपराज्यपाल, सचिव (पर्यावरण), भारत सरकार तथा केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
4. दूरदर्शन पर "डेटलाइन-दिल्ली" के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक कैप्सूल जुलाई, 2006 से प्रत्येक पखवाड़े को दिखाया जा रहा है। मार्च, 2007 तक 16 कड़ियाँ दिखायी जा चुकी है।
5. अभियानों सहित विभिन्न समाचार-पत्रों में 111 विज्ञापन (अंग्रेजी + हिंदी) प्रकाशित किए गए।
6. विभिन्न समाचार-पत्रों में छपी 146 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 58 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
7. जन शिकायत विभाग, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, भारत सरकार के माध्यम से 153 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 69 शिकायतों का निवारण किया गया।
8. शहरी विकास मंत्रालय से 59 शिकायतें प्राप्त हुई और 23 शिकायतों को निपटाया गया।
9. जनता से 129 शिकायतें सीधी प्राप्त हुई, जिन्हें सम्बन्धित विभाग को निपटान के लिए भेजा गया। इनमें से 30 शिकायतों को सम्बन्धित विभाग द्वारा निपटाया गया।
10. स्वागत कक्ष पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउन्टरों के द्वारा 138738 पत्र प्राप्त हुए और 60793 पत्र प्रेषित किए गए।
11. पुस्तकालय के लिए 1118 नई पुस्तकें खरीदी गयीं, दैनिक समाचार-पत्रों में से दि.वि.प्रा. से सम्बन्धित 11199 प्रेस कतरनें काटी गयी।
12. दिल्ली विकास वार्ता के दो अंकों का सम्पादन किया गया और मुद्रण के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट का सम्पादन किया गया।
13. 16-16 पृष्ठों (प्रत्येक के) वाले ''स्पोर्ट्स न्यूज लैटर'' के तीन अंकों का सम्पादन किया गया और प्रकाशित किए गए तथा खेल विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किए गए।
14. 8 पृष्ठों वाले जैव-वैविध्य न्यूजलेटर का एक अंक प्रकाशित किया गया और भूदृश्यांकन विभाग, दि.वि. प्रा. द्वारा वितरित किया गया।
15. फोटो सेक्शन द्वारा 153 समारोहों को कवर किया गया। 3081 फोटोग्राफ लिए गए और 4628 फोटोग्राफ डेवलप किए गए और प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
16. टेली-काउन्सिलिंग के माध्यम से 39168 काल सुनी गयी।
17. कैलेण्डर 2007 मुद्रित करवाया गया।
18. ''दि.वि.प्रा. द्वारा हरित क्षेत्र'' पर विवरणिका का मुद्रण करवाया गया।
19. जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित दि.वि.प्रा. वार्षिक रिपोर्ट और खेलकूद समाचार (स्पोर्टस न्यूजलैटर) को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रकाशित ऐसे प्रकाशनों में से द्वितीय बेहतर चुना गया। यह पुरस्कार भारत की जनसम्पर्क सोसायटी द्वारा दिसम्बर, 2006 में दिया गया।

आस्था कुंज

4. कार्मिक विभाग

4.1 कार्मिक विभाग अपने कर्मचारियों पर समुचित ध्यान देकर यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, ताकि दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों में नेतृत्व के गुण, जिम्मेदारी एवं अनुशासन की भावना पैदा करना है।

शिकायत निवारण प्रणाली इस बात पर ध्यान देती है कि कर्मचारियों की बात को समुचित स्तर पर सुना जाए और कर्मचारियों और प्रबंध के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकें।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को समझकर उनके कल्याण हेतु उपाय करके संस्था की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न प्रयास निम्नलिखित हैं:

4.2 की गयी पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	131	69	116	34	350

डोडी ताल में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की ट्रैकिंग टीम

4.3 की गयी भर्ती

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	03	05	30	35	73

4.4 ए.सी.पी. योजना

भारत सरकार में लागू की गई योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. योजना शुरू की गई। 1204 पदधारियों को यह लाभ दिया गया।

4.5 दक्षतारोध पार करना

विभिन्न श्रेणियों के कुल 4 कर्मचारियों को दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी गई।

4.6 अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समूह 'घ' में कुल 6 नियुक्तियां अनुकम्पा आधार पर की गयीं और मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को 18 दुकानें आबंटित की गयीं।

4.7 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 8709 वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के फार्म जारी किए गए।

4.8 पैंशन मामले स्वीकृत करना

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा-निवृत्ति के दिन पेंशन संबंधी देय राशियों का भुगतान करने की प्रणाली आरम्भ की गई। इन देय राशियों का भुगतान प्रत्येक माह एक समारोह में किया जाता है। पैंशन/मृत्यु मामलों में सहायता देने के लिए कल्याण निरीक्षकों/कार्मिक निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। कल्याण अनुभाग में कल्याण निरीक्षक तैनात करने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। पैंशन मामलों को यथासम्भव शीघ्रता से निपटाया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 286 पदधारी सेवा निवृत्त हुए।

4.9 नई गतिविधियां

1. कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और सर्वेक्षक पद के

यमुना जैव-वैविध्य पार्क में कैपारिस डेसिडुआ की एक दुर्लभ किस्म

लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए। इन श्रेणियों के रिक्त पदों के लिए नियुक्तियां बाद में की जायेगी

2. न्यायालय का निर्णय आने के बाद निम्न श्रेणी लिपिक के खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी। 15% और 10% विभागीय पदोन्नति के मामले पर कार्यवाही की जा रही है। उच्च श्रेणी लिपिक और सहायकों की पदोन्नति के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
3. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के चार पदों, माली के 34 पदों और सुरक्षा रक्षकों के 48 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित जन-जाति कोटे की बकाया रिक्तियों को वर्ष 2007-08 के दौरान भरे जाने की सम्भावना है।
4. वर्ष 2007-08 के दौरान भारत सरकार के अनुदेशों और इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस समिति की बैठक निकट भविष्य में की जाएगी।
5. अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।
6. दि.वि.प्रा. विकास सदन में ओ.पी.डी. डिस्पेंसरी के लिए अनुबंध आधार पर, अशंकालिक आधार पर एम. बी.बी.एस.-एम.डी (2) डाक्टरों को लगाए जाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।
7. 31.03.2007 को अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थिति

समूह	**अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति**
क	454
ख	1416
ग	5235
घ	2728
कुल	**9833**
नियमित	9833
वर्कचार्ज	9919
	19752

5. सतर्कता विभाग

5.1 सतर्कता विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारक उपायों के कार्यान्वयन तथा सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने, गहराई से छानबीन करने तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श में चार्ज- शीट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग अनुशासनिक प्राधिकारियों के अवलोकन के लिए जांच रिपोर्टों का विश्लेषण भी करता है और अपनी टिप्पणी देता है। इसके अतिरिक्त अपील, समीक्षा याचिकाएं तैयार करने, निलम्बन, उनकी समीक्षा और नियमन का कार्य भी सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।

5.2 वर्ष के दौरान 296 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण आचरण, अनुशासन एवं अपील विनियम 1999 के अंतर्गत 217 कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्ड और 79 कर्मचारियों के विरुद्ध हल्का दण्ड लगाने की कार्यवाही की गई।

5.3 193 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया।

5.4 इस अवधि के दौरान 1208 सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई और उनकी जाँच की गई। इनमें से 507 मामलों को निपटाया गया।

5.5 प्रारंभिक जांच के 141 मामले दर्ज किए गए और 101 मामलों में प्रारंम्भिक जांच पूरी की गई।

5.6 अपीलों, समीक्षाओं और निलम्बन नियमन मामलों पर कार्रवाई जारी रखी गयी। 10 मामलों में अपील आदेश पारित किए गए और निलम्बन नियमन के 21 मामलों पर कार्यवाही की गयी।

5.7 8 (आठ) मामलों में अभियोजन संस्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 13 कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री को द्वारका के फ्लाईओवर के माडल की जानकारी देते हुए

5.8 इस वर्ष के दौरान 13 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.1.04 के अनुदेशों के अनुसार समीक्षा समिति ने समूह क, ख, ग, और घ श्रेणियों के 71 निलम्बन मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणामस्वरूप 12 कर्मचारियों को बहाल किया गया और शेष कर्मचारियों की निलम्बन अवधि को बढ़ाया गया।

5.9 निगरानी मामलों की जांच की गई और 141 कर्मचारियों को चार्जशीट दी गयी।

5.10 दि.वि.प्रा. में प्राप्त आरोपों के सत्यापन के लिए सतर्कता कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान 16 निरीक्षण किए गए।

5.11 अवधि के दौरान सी.बी.आई और भ्रष्टाचार-निवारण शाखा, दिल्ली पुलिस ने आई.पी.सी./क्रिमिनल पी.सी. के अंतर्गत 4 कर्मचारियों के विरुद्ध 03 मामले भी दर्ज किए। सी.बी.आई/ ए.सी.बी. के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखा गया। दलालों के दबाव को समाप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. के अनुरोध पर ए.सी.बी. द्वारा निरीक्षण भी किए गए।

5.12 अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, नोटिस, निविदा-आमंत्रण, फ्लैटों/प्लाटों के आबंटन से संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाएं दि.वि. प्रा. की वेबसाइट पर दी गई है।

5.13 पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में बड़े पैमाने पर अंतर होने के संबंध में सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायत की जांच के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाही की गयी:-

(क) दो अधिशासी अभियंताओं को निलम्बित किया गया और उनके विरूद्ध भारी दण्ड की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

(ख) बड़े पैमाने पर अंतर के लिए 33 कर्मचारियों की पहचान की गई।

5.14 सामाजिक समारोहों/विवाहों के लिए खाली प्लाटों की बुकिंग के संबंध में 5 शिकायतों के सबंध में जांच के परिणामस्वरूप एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध भारी दण्ड के लिए आरोप-पत्र जारी किया गया।

5.15 06.11.2006 से 10.11.2006 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गयीं:-

(क) जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर्स, पोस्टर्स इत्यादि लगाए गए।

(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रारंभ करने के लिए 6.11.2006 को पूर्वाह्न 11 बजे उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने दि.वि.प्रा. के स्टाफ और अधिकारियों को शपथ दिलाई।

(ग) रोहिणी क्षेत्र में लोक शिविर आयोजित किया गया और

(i) 163 हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए।

(ii) 115 हस्तांतरण विलेख दस्तावेज जारी किए गए।

(iii) नागरिकों को उनके घरों के पास परिवर्तन की 134 विवरणिकाएँ बेची गई।

(घ) दि.वि.प्रा. में समर्पित सेवाओं के लिए 10 कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

5.16 वेबसाईट के व्यापक उपयोग द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 22.11.2006 के परिपत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रयास किए गए है। सभी विभागों को निदेश दिए गए हैं कि वे आवेदन फर्मों को डाउनलोड करने योग्य रूप में प्रस्तुत करें।

5.17 सभी निविदा सूचनाओं को वेबसाईट पर डाला जाता है और वेबसाइट में उपलब्ध निविदा दस्तावेज डाउन लोड करने योग्य रूप में है। ठेके देने की सूचना भी वेबसाइट पर डाली जाती है।

5.18 निर्णय लिया गया है कि दि.वि.प्रा. के लिए आई. एस.ओ. 9000 प्रमाणपत्र लेने के प्रयास किए जाएं ताकि प्रत्येक गतिविधि के लिए स्पष्ट कार्यपद्धति हो और उसके द्वारा विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता का सख्ती से पालन हो।

6. विधि विभाग

6.1 मुख्य विधि सलाहकार, विधि विभाग के प्रमुख हैं। विभाग का प्रमुख कार्य, समय-समय पर उन्हें भेजे गए प्रशासनिक मामलों पर विचार-विमर्श करते समय नीति, नियमों, विनियमों और अधिनियमों पर सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को सहायता देने के लिए यह विभाग विभिन्न शाखाओं में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरूद्ध और उसके द्वारा दायर न्यायालय मामलों की संवीक्षा करता है। प्रशासनिक विभाग द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए अपील दर्ज होने अथवा आदेश के कार्यान्वयन, निर्णय से संबंधित मामलों की व्यापक जाँच की जाती है। 2006-07 के दौरान लम्बित न्यायालय मामलों के विवरण निम्नलिखित हैं।

6.2 2006-07 हेतु न्यायालय मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण:-

(क) उच्चतम न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2006 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नये मामले	2006-2007 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2007 को लम्बित कुल मामले
1.	योजना	19	07	-	26
2.	वर्क चार्ज संस्थापना	01	-	-	01
3.	कार्मिक और सतर्कता	06	02	02	06
4.	भवन विभाग	01	-	-	01
5.	भूमि निपटान	064	23	11	76
6.	आवास	52	36	11	77
7.	भूमि प्रबंध	263	59	17	305
8.	इंजीनियरिंग विभाग	04	-	-	04

(ख) उच्च न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2006 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नये मामले	2006-2007 के दौरान मामले			31.3.2007 को लम्बित कुल मामले
				निर्णीत	विरूद्ध	पक्ष में	
1.	योजना	42	30	-	-	22	50
2.	वर्क चार्ज संस्थापना	135	13	-	-	30	118
3.	कार्मिक और सतर्कता	180	75	61	-	-	194
4.	भवन विभाग	39	60	20	-	-	79
5.	भूमि विभाग	2378	543	140	-	-	2781
6.	आवास	888	300	329	125	204	859
7.	भूमि प्रबंध	3013	398	511	-	-	2900

(ग) जिला न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2006 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नये मामले	2006-2007 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2007 को लम्बित कुल मामले
1.	योजना	887	18	-	905
2.	वर्क चार्ज संस्थापना	103	1	3	101
3.	कार्मिक और सतर्कता	12	4	7	9
4.	भवन विभाग	34	20	13	41
5.	भूमि निपटान	1013	45	18	1040
6.	आवास	888	209	126	971
7.	भूमि प्रबंध	3013	1337	547	3803

(घ) इंजीनियरिंग विंग के एंव पटियाला हाउस में न्यायालय मामले और आर.टी.आई. मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2006 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नये मामले	2006-2007 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2007 को लम्बित कुल मामले
1.	इंजीनियरिंग विंग	867	185	134	918
2.	पटियाला हाऊस	1357	104	803	658
	2006-07 तक आर.टी आई. i) मार्च 2006 तक प्राप्त कुल शिकायतें	15			
	ii) निपटायी गयी कुल शिकायतें	15			
	iii) लम्बित	शून्य			

6.3 आवास विभाग-महत्वपूर्ण मामले

I) राजकुमार मल्होत्रा बनाम डी.डी.ए के अग्रणी मामले में बंच मामले

इन बंच मामलों का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दि.वि.प्रा. ने नई पद्धति-1979 पर एक पंजीकरण योजना घोषित की थी और दि.वि.प्रा. ने पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी थी तथा जब उनकी प्राथमिकता आ जाती थी तक दि.वि. प्रा उनको फ्लैटों का आबंटन करता था। नि:सन्देह वर्ष 1979 के दौरान विवरणिका में इंगित फ्लैट की अस्थाई लागत बढ़नी आवश्यक थी और आम नागरिक फ्लैट की अपेक्षित लागत जुटा नहीं पाता था और अन्त में दि.वि.प्रा. को आबंटन रद्द करना पड़ता था। पंजीकृत व्यक्तियों को राहत देने के लिए दि.वि.प्रा. ने एक नीति गत निर्णय लिया कि रद्दकरण प्रभारों का भुगतान करने पर दि.वि.प्रा. हक को बहाल करेगा और इस प्रकार के पंजीकृत व्यक्तियों को टेल एन्ड प्राथमिकता पर रखेगा। रद्दकरण प्रभार पंजीकरण राशि का 20% था। इस प्रकार के टेल एन्ड प्राथमिकता मामलों का 31.3.2004 को एक अन्तिम ड्रा हुआ। परन्तु औपचारिक मांग-एवं आबंटन पत्र जारी नहीं किए गए क्योंकि दि.वि.प्रा. ने नोट किया कि पंजीकृत व्यक्तियों ने नीति के अनुसार रद्दकरण प्रभार जमा नहीं कराए हैं और इस निर्णय से खिन्न लगभग 40-50 पंजीकृत व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय से सम्पर्क किया तथा दोनों पार्टियों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने दि.वि.प्रा. को निदेश जारी किए कि वह वर्ष 2004 में प्रचलित मूल्य पर इन व्यक्तियों को फ्लैट का आबंटन करे और इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. को निदेश जारी

जिला पार्क, हौज खास में पुष्प प्रदर्शनी का एक दृश्य

किए गए कि इस कारण से दि.वि.प्रा. मूल्य पर कोई ब्याज नहीं लेगा कि दि.वि.प्रा. ने अपेक्षित जमा एवं आबंटन पत्र जारी नहीं किये। न्यायालय का यह निर्णय वित्तीय के साथ-साथ प्रशासनिक पहलुओं पर निवारक था और अन्त में दि.वि.प्रा. ने हमारे वरिष्ठ स्थायी सलाहकार श्री अनिल सपरा को मामले पर मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त किया। दि.वि.प्रा. न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर स्थगन आदेश लेने में सफल रहा तथा न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित पंजीकृत व्यक्तियों को किया गया आबंटन, उन्हें दिया गया कब्जा, अपील के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

II) योगेन्द्र कुमार बनाम डी.डी.ए.

इस मामले में फ्लैट न.-16, पाकेट-5, ब्लॉक-एफ, सैक्टर-15, रोहिणी का एक अनधिकृत कब्जाधारी था। उसने उस फ्लैट को खरीदा था। वास्तव में मूल आबंटिती ने उक्त फ्लैट का कब्जा जाली चालान प्रस्तुत करके लिया था और फ्लैट की लागत का कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया था। खरीददार श्री योगेन्द्र कुमार ने उक्त फ्लैट को फ्री-होल्ड में परिवर्तन करवाने के लिए आवेदन किया। क्योंकि दि.वि.प्रा. को फ्लैट की लागत प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई। आबंटन की मुख्य फाइल भी विभाग से लापता थी और निचली अदालत ने अनधिकृत कब्जाधारी के नाम में परिवर्तन की अनुमति के आदेश जारी कर दिए। दि.वि.प्रा. ने निचली अदालत के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर की और श्री के.डी. शर्मा, पैनल वकील ने उक्त मुकदमें/अपील को खारिज करवाया तथा दि.वि.प्रा. के पक्ष में डिक्री पारित की गई।

6.4 भूमि निपटान विभाग

6.4.1 महत्वपूर्ण मामले

I) रिज बचाओ आन्दोलन बनाम डी.डी.ए. एवं अन्य नामक डब्ल्यू.पी. सी. सं. 20295 में आई.ए. सं. -1156, 1192, 756, 1463, 1501 एवं 1532। टी. एन. गोदावरमन थिरूमुलपड़ बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक मुख्य मामले में (निर्णय की तिथि 17.10.2006)

उपर्युक्त अन्तरिम आवेदनपत्रों में आवेदकों ने दि.वि.प्रा.

की 92 हैक्टेयर भूमि में किए गए निर्माण कार्यकलापों को चुनौती दी थी। यह प्रार्थना की गई कि जब तक ई.आई.ए. अधिसूचना के अनुसार केन्द्र सरकार से पर्यावरणीय इम्पैक्ट एसैसमैन्ट क्लीयरैन्स सहित पर्यावरणीय कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों से सभी क्लीयरैन्स प्राप्त नहीं हो जाती तब तक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए। आवेदक यह भी चाहते थे कि दि.वि.प्रा. को 330 हैक्टेयर भूमि आरक्षित वन के रूप में घोषित करने तथा पर्यावरण को बचाने में अपनी ड्यूटी करने में असफल पाए गए अधिकारियों की जिम्मेदारी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए जाएं। मूल रूप से ये आवेदन पत्र वसन्त कुंज माल परियोजना की नीलामी के विरूद्ध निदेशित थे जिसमें दि.वि.प्रा. ने विभिन्न निजी बिल्डरों को शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए प्लाटों की नीलामी की थी। आवेदकों ने आरोप लगाया कि दि.वि.प्रा. ने उस क्षेत्र में प्लॉट की नीलामी की है जो दिल्ली रिज का अभिन्न हिस्सा है तथा दि.वि.प्रा. द्वारा वसन्त कुंज माल प्लाटों की नीलामी उच्चतम न्यायालय द्वारा 19.8.97 को पारित किए गए आदेश का उल्लंघन है और यह नीलामी केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण की 15.8.2000 की अधिसूचना के साथ-साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 और अन्य पर्यावरण अधिसूचनाओं का उल्लंघन करते हुए की गई है। यह आरोप लगाया गया था कि बसन्त कुंज मॉल परियोजना का निर्माण आधारिक संरचना पर और अधिक दबाव डालेगा क्योंकि इन माल्स को पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है और ये माल्स निर्माण के लिए तथा संबंधित माल्स को बनाए रखने के लिए जमीन के पानी का प्रयोग करेंगे। आवेदकों ने वृक्षों की व्यापक कटाई, पर्यावरण की गंभीर बाधाओं तथा पारिस्थितिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया। दि.वि.प्रा. ने उपर्युक्त सभी आवेदनों के विरूद्ध बचाव किया और उच्चतम न्यायालय में कहा कि डब्ल्यू.पी.सी. सं. 564/03 में अपने 8.3.2000 के आदेश के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी संतुष्टि रिकार्ड की थी कि प्रस्तावित मॉल उस 92 हैक्टेयर भूमि पर है, जिसको 19.8.97 के आदेश के द्वारा पहले ही अलग किया गया है और तद्नुसार याचिका खारिज कर दी गई। 92 हैक्टेयर क्षेत्र जो प्रतिबन्धित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, दि.वि.प्रा. द्वारा 1982 से विकसित किया गया है और आवंटित किया गया है। यह न तो रिज का हिस्सा है और न ही आरक्षित वन का। इसलिए, दि.वि.प्रा. की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ। यह कहा गया कि यूनिसन्स होटल्स के मामले में, जिसका निपटान 19.8.97 के आदेश द्वारा किया गया, इस माननीय न्यायालय ने 92 हैक्टयर के प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्माण को स्पष्ट किया जो 223 हैक्टेयर भूमि के बाहर है। 223 हैक्टेयर भूमि अरावली जैव-वैविध्य पार्क के रूप में विकसित की जा रही है, जो 92 हैक्टेयर प्रतिबन्धित क्षेत्र के साथ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 7.7.2004 की अधिसूचना के संबंध में यह कहा गया है कि उक्त अधिसूचना संशोधनाधीन है और वैसे भी दि.वि.प्रा. ने प्लाट की नीलामी 15.12.2003, अर्थात 7.7.2004 की अधिसूचना के जारी होने से पहले की थी। दि.वि.प्रा. ने इन प्रस्तुतियों के आधार पर सभी आवेदन पत्रों को खारिज करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निर्माण का स्थगन किया और एक समय ऐसा लगा कि न्यायालय निर्माण को स्थायी रूप से स्थगित कर सकता है, जिससे बसन्त कुंज मॉल प्लाटों के नीलामी क्रेताओं के साथ मुकदमेबाजी का द्वार खुल सकता था। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा किए गये प्रयासों से माननीय न्यायालय ने सभी आवेदनों का इस निर्देश के साथ निपटान किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय नीलामी क्रेताओं तथा दि.वि.प्रा. के अनुमानित रवैये

सांसद श्री संदीप दीक्षित जहांगीरपुरी में झील और पार्क के विकास-कार्य का शिलान्यास करते हुए

का ध्यान रखेगा और पर्यावरण समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निपटान सहित निवारक उपायों के संबंध में निर्णय की तारीख से दो महीनों की अवधि के अंदर निर्णय ले।

II) सी.डब्ल्यू.पी. 262/04 पुरूषोत्तम कुमार बनाम डी.डी.ए

इस मामले में याचिकाकर्ता ने 28.69 वर्ग मीटर आकार की दुकान न. 18, जोन ई-6, ब्लॉक ओ एण्ड पी, दिलशाद गार्डन के संबंध में 50,000/- रू. प्रति वर्ग मीटर की दर को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि समान कुर्सी क्षेत्रफल वाली साथ की दुकान न.-19 को 43,550/-रू. प्रति वर्ग मीटर के आरक्षित मूल्य के रूप में अधिसूचित किया गया। इसलिए दि.वि.प्रा. ने 12.3.92 की संकल्प सं-28 के अनुसार मूल्य में परिवर्तन नहीं किया है। दि.वि.प्रा. ने याचिका का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि पिछले वर्ष की औसत नीलामी दरों के आधार पर प्रत्येक वर्ष मूल्य में संशोधन होता है। याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन 11.03.03 को प्रस्तुत किया है, जब वित्तीय वर्ष 1.04.02 से 31.3.03 लागू था। इसलिए वित्तीय वर्ष 1.04.02 से 31.03.03 में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मूल्य लागू होंगे और याचिकाकर्ता पिछले वर्ष की औसत नीलामी दरों के आधार पर नियत मूल्य के साथ आंशिक दावा नहीं कर सकता। तद्नुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

यमुना जैव-वैविध्य पार्क में प्रवासी पक्षी

III) अपील नं. 138/06 एस.बी.आई. बनाम रंगोली बिल्डवैल (प्राइवेट) लिमिटेड और डी.डी.ए. एवं अन्य

यह अपील एस.बी.आई. द्वारा वसूली अधिकारी के निदेश पर बैंक को देय बिक्री कार्यवाही से यू.ई.आई. के भुगतान के समायोजन को निर्देशित करते हुए दायर की गई थी। एक खुली नीलामी में मैसर्स रंगोली बिल्डवैल (प्राईवेट) लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्लाट नं. एफ 2/3, ओखला औधोगिक क्षेत्र, फेज-I खरीदा था। क्योंकि सम्पत्ति एक लीजहोल्ड सम्पत्ति थी, इसलिए वसूली अधिकारी ने यू.ई.आई. के मुद्दे पर दि.वि.प्रा. के उत्तर को आमंत्रित करते हुए दि.वि.प्रा. को एक नोटिस जारी किया। दि.वि.प्रा. ने बताया कि बिक्री लेनदेन में से यू.ई.आई. के रूप में 1,11,37,450/- रू. की राशि वसूली योग्य है। दि.वि.प्रा. के आवेदन पर, वसूली अधिकारी ने बिक्री कार्यवाही से यू.ई.आई. के समायोजन और उक्त राशि के दि.वि.प्रा. के भुगतान के निदेश दिए। बैंक ने एक अपील दायर की जिसमें नीलामी क्रेता ने उक्त राशि के यू.ई.आई. के भुगतान की सहमति दी। नीलामी क्रेता द्वारा दिए गए वचनबन्ध को ध्यान में रखते हुए, यू.ई.आई. की राशि की प्राप्ति पर नीलामी क्रेता के नाम में सम्पत्ति के अन्तरण के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में दि.वि.प्रा. को निदेश देते हुए बैंक की अपील को खारिज किया गया।

IV) मुकदमा सं. 654/04 हरी प्रकाश शैक्षिक एवं कल्याण सोसाइटी (रजि.) बनाम डी.डी.ए. एवं अन्य। निर्णय की तिथि 25.01.2007

वादी सोसाइटी को नर्सरी स्कूल चलाने के उद्देश्य से शाश्वत पट्टा दिनांक 12.4.90 के द्वारा 5,63,380/- रू. के प्रीमियम पर 800 वर्ग मीटर आकार का प्लाट न. 1, सैक्टर-ए, पाकेट-बी, बसन्त कुंज, नई दिल्ली आंबटित किया गया था। दि.वि.प्रा. ने वहां गर्ल्स होस्टल और एच.पी. इन्स्टीटयूट् ऑफ वोकेशनल स्टड्रीज चलाने पर उसके दुरुपयोग का कारण बताओ नोटिस जारी किया। क्योंकि नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं था, इसलिए 14.05.03 को पट्टे को रद्द कर दिया गया। वादी ने यह घोषणा चाहते

हुए कि पट्टे का रद्दकरण गैर कानूनी है और दि.वि.प्रा. के विरूद्ध, पट्टा रद्द करने के आदेश के परिणामस्वरूप उसे कार्रवाई करने से रोकने के स्थायी व्यादेश दिए जाएं, घोषणा, शाश्वत एवं अनिवार्य व्यादेश के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया। पट्टे के रद्दकरण के पश्चात पी.पी.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही शुरु की गई और दि.वि.प्रा. के सम्पदा अधिकारी ने 21.07.03 को बेदखली आदेश जारी किये। उसके पश्चात 16.08.03 को सम्पत्ति को 11 स्थानों पर सील किया गया तथा इसका मुख्य गेट भी सील किया गया। बेदखली के आदेश के विरुद्ध की गई अपील भी अपर जिला जज की अदालत द्वारा खारिज की गई तथा अपील के आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका के अन्तर्गत चुनौती के अधीन है।

रिट याचिका में, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मुकदमे के शीघ्र निपटान के निदेश दिए। अपर जिला जज की अदालत द्वारा वादी के मुकदमें को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि विचाराधीन परिसर का उपयोग नर्सरी स्कूल के लिए किया जाना था, जिसमें शाश्वत पट्टे की निबन्धन एवं शर्तो का उल्लघंन करके, पट्टाकर्ता की पूर्व सहमति के बिना गर्ल्स होस्टल और एच. पी. इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ चला कर दुरुपयोग किया गया है इसलिए पट्टाकर्ता को पट्टे को रद्द करने/समाप्त करने का अधिकार है।

V) मुकदमा न. 1446/06, श्री सुभाष शर्मा बनाम डी.डी.ए. निर्णय की तिथि-11.10.2006

वादी ने दि.वि.प्रा. को उसके अतिरिक्त किसी को भी जिला केन्द्र जनकपुरी में पार्किंग स्थल का आबंटन करने से रोकने के लिए आदेश पाने के लिए व्यादेश हेतु एक मुकदमा दायर किया है। वादी ने आरोप लगाया कि उसने अपनी निविदा जो 31.07.06 को समाप्त हो गई है, के नवीकरण के लिए सुरक्षित जमा राशि के रूप में 23 लाख रू. जमा कराए थे। तथापि, वादी की निविदा को दि.वि.प्रा. ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दि.वि.प्रा. ने उससे उच्च बोली प्राप्त कर ली है। दि.वि.प्रा. ने यह बताते हुए मुकदमे का बचाव किया कि वादी की निविदा 30.6.06 को समाप्त हो गई थी और उसकी बढ़ाई गई समयावधि भी 31.07.06 को समाप्त हो गई थी। इसलिए, दि.वि.प्रा. ने 1.8.06 को

सीरीफोर्ट खेल परिसर में बैडमिण्टन का अभ्यास

पार्किंग स्थल का वास्तविक कब्जा ले लिया। तदुपरान्त, दि.वि.प्रा. ने वादी द्वारा दावा किए जा रहे पार्किंग स्थल सहित विभिन्न पार्किंग स्थलों के आबंटन हेतु नई निविदाएँ आमंत्रित की। तथापि, वादी ने बोली कार्यवाही में भाग नहीं लिया और कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की। इसलिए, वह व्यादेश की किसी राहत का हकदार नहीं है। दि.वि.प्रा. के आवेदन पर, मुकदमें के बनाए रखने पर न्यायालय द्वारा एक प्राथमिक मुद्दा बनाया गया। 11.10.06 को सिविल जज़ की अदालत ने वादी के मुकदमें को बनाए न रख पाने पर खारिज कर दिया।

VI) अपील सं. 60/99 एवं 81/99, निर्णय की तिथि-25.08.06

इस अपील में दि.वि.प्रा. ने दिनांक 6.02.91 के राज्य आयोग के उन आदेशों को चुनौती दी, जिसमें दि.वि.प्रा. को निदेश दिया गया था कि वह प्रतिवादी को 1000/- रू. की लागत के साथ जमा की तिथि से रिफन्ड की तिथि तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 59,964/- रू. की राशि दे और शेष राशि वसूल करने से दि.वि.प्रा. के विरुद्ध व्यादेश दे। दि.वि.प्रा. की ओर से यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन सम्पत्ति श्री आर.एन.एस. गम्भीर को आबंटित की गई थी, जिन्होंने श्री आर.एल. मिगलानी और श्री ओ.पी. मलिक जो रक्त सम्बन्ध में नहीं है, को सम्पत्ति में साझेदार

कुतुब गोल्फ कोर्स

के रूप में शामिल किया था। उसके पश्चात, श्री गम्भीर ने 12.06.83 को श्री गम्भीर, श्री आर.एल. मिगलानी और श्री ओ.पी.मलिक के संयुक्त नाम में अन्तरण करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। दि.वि.प्रा. ने 1,87,112/- रू. की मांग की। तथापि, प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर राशि को कम करके 59,664/- रू. किया गया, जो ब्याज को जोड़ कर 1,07,036/- रू. बनती है। प्रतिवादी ने एक उपभोक्ता शिकायत में राज्य आयोग के समक्ष माँगी गई राशि को चुनौती दी और राज्य आयोग ने यू.ई.आई. के रूप में दि.वि. प्रा. द्वारा वसूल की गई राशि की वापसी के निदेश दिए। राष्ट्रीय आयोग ने दि.वि.प्रा. के तर्को की प्रशंसा की और रक्त संबंध के बाहर अन्तरण के संबंध में दि.वि.प्रा. की नीति के अनुपालन के बाद निर्देश दिया कि प्रतिवादी को ब्याज सहित यू.ई.आई. की राशि का भुगतान करना होगा, जो आदेश की तिथि को 1,70,554/- रू. बनती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

6.4.2 उच्च न्यायालय: दि.वि.प्रा. के पक्ष में निर्णीत महत्त्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:-

I) **श्री फूल सिंह बनाम भारत संघ, सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2608-16/04**

चार अन्यों (संबंधित) के साथ तत्काल रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी कि याचिकाकर्ता की 35 बीघा भूमि खसरा नं. 126/3, गाँव घोंडा गुजरां-खादर में आती है, जिसे इस आधार पर अधिग्रहण से मुक्त घोषित किया जाए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की तिथि से वैधानिक अवधि के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। न्यायालय में सरकार का कहना था कि विचाराधीन भूमि यमुना नदी के जलमार्गीकरण के लिए भूमि की बड़ी पग डण्डियों के अधिग्रहण का भाग है और अधिनिर्णय नं. 8/92-93 की घोषणा 19.06.92 को की गई थी। परन्तु उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, क्योंकि वह समय पर नहीं मिल पाई थी। तथापि, गौण साक्ष्य के आधार पर जोरदार वकालत की गई एवं अधिनिर्णय के उसी सार को प्रमाणित करने के लिए नक्शा मुन्ताजिम इत्यादि न्यायालय के रिकार्ड पर लाये गये। इसके अतिक्ति, यह जानकारी मिलने पर कि याचिकाकर्ता ने मुआवजे की वृद्धि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत संदर्भ पहले ही दर्ज कर दिया है, माननीय न्यायालय रिट याचिका को खारिज करने और अधिग्रहण कार्यवाही को समर्थित करने के लिए काफी सन्तुष्ट था। इसके परिणामस्वरूप, हम दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि की बड़ी पगडण्डियों के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही को बचाने में समर्थ थे।

II) **श्री वेद प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संध सी. डब्ल्यू .पी. नं. 11933-36/2005**

याचिकाकर्ता ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, इस आधार पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत गाँव नागलोई में 1 बीघा 9 बिस्वा आकार की भूमि की अनधिसूचना हेतु यचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने में सरकार के निर्णय को चुनौती दी कि सूरज मल स्टेडियम का विकास पूरा हो चुका था और जिस उद्देश्य के लिए इस भूमि को अधिग्रहीत किया गया था उस उद्देश्य के लिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है। पक्षों के प्रतिद्वन्दी दावों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने 11.01.2007 को रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनमें यह पाया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि की सूरज मल स्टेडियम के विकास हेतु अभी भी आवश्यकता है और यह राज्य के अधि कार क्षेत्र और उनके विवेक के अन्तर्गत है कि वह जनहित में अधिग्रहण करने की किसी अधिसूचना को वापस ले

अथवा न ले। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भूमि स्वामियों को, संबंधित अधिनियम की योजना के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि की अनधिसूचना के दावे का, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत कोई निहित और अयोग्य अधिकार नहीं है।

III) **श्रीमती कमला शर्मा बनाम भारत संघ सी.डब्ल्यू. पी. नं. 3250/97**

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर रिट क्षेत्राधिकार की प्रार्थना की कि यद्यपि उसकी भूमि अधिग्रहीत है परन्तु उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी ओर दि.वि.प्रा. ने इसका सख्ती से खण्डन किया और तर्क दिया कि उक्त भूमि पर संगम विहार अनधिकृत कॉलोनी होने के कारण भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा उसे भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, भुगतान जारी करना दि.वि.प्रा. के लिए अनिवार्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि भूमि स्वामियों की सक्रिय मौन स्वीकृति के बिना, अनधिकृत कॉलोनी नहीं बन सकती और यदि भूमि स्वामियों को मुआवजे का दावा करना है तो उन्हें भूमि के रिक्त कब्जे को सौपंना होगा। वास्तव में यह एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिससे एक ओर सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों का हतोत्साहन होगा और दूसरी ओर इस मामले में निर्णय से इसी तरह के कई अन्य मामलों में पहुँचा जा सकेगा।

6.4.3 उच्चतम न्यायालय

I) i) **एस.एल.पी. @ न. 6093/03- रवि खुल्लर बनाम भारत संघ एवं अन्य।**

ii) **एस.एल.पी. @ न. 6394/03-हरी चन्द बनाम भारत संघ**

iii) **एस.एल.पी. @ नं. 8574/03-पंजाब पोटरीज बनाम भारत संघ एवं अन्य**

ये एस.एल.पी. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर गाँव महीपाल पुर में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित थीं। माननीय उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं को खारिज किया है, जिसमें विभिन्न आधारों पर अधिग्रहण कार्यवाहियों को चुनौती दी गई थी। तथापि, भूमि स्वामियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की जिसमें कई तिथियों को बहस की गई। जहाँ तक उक्त भूमि की प्रकृति का संबंध है, इसे दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहीत किया गया था और उसके पश्चात इसे दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। भूमि स्वामियों का दावा था कि अधिनियम के अनुसार कम्पनी हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए व्यवस्थित अधिग्रहण कार्यवाही का इन मामलों में अनुपालन नहीं किया गया है। अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के आदेश पर हमने दिल्ली मुख्य योजना की प्रति प्रस्तुत की और कहा कि एयरपोर्ट भी दिल्ली के नियोजित विकास का एक भाग है। मामले के महत्व और शीघ्रता को समझते हुए, हमने ए.एस.जी. को अनुबन्धित किया, जो दि.वि.प्रा. सहित प्रतिवादियों के लिए उपस्थित हुए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात निर्णय को सुरक्षित रखा, जिसकी घोषणा 30.03.2007 को की गई और परिणामस्वरूप उपर्युक्त एस.एल.पी. खारिज़ हो गई और अधिग्रहण कार्यवाही बहाल रखी गई।

II) **एस.एल.पी. @ न. 3292/5-रहेजा अस्पताल बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली एवं अन्य**

यह गाँव भरथल (द्वारका परियोजना) की 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।

पहले भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही को बहाल रखा गया था। उसके पश्चात, अधिग्रहण कार्यवाही से भूमि को छुड़ाने/अनधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 25,000/- रू. की लागत पर खारिज़ कर दिया।

यह एस.एल.पी. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय में 3.4.2006 को अन्तिम सुनवाई के लिए तत्काल एस.एल.पी.आई। पक्षों के तर्कों की सुनवाई और रिकार्डो को ध्यान से पढ़ने के पश्चात, माननीय न्यायालय ने इसे 25,000/- रू. की लागत पर खारिज़ किया। यह लागत उक्त रिट याचिका को खारिज़ करते समय उच्च न्यायालय द्वारा पहले लगाई गई लागत के अतिरिक्त लगाई गई।

III) **सी.सी. न. 7161/2005 और सी.सी. न. 7168/2005 सी. के. जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य।**

यह अपील गाँव मसूदपुर, नई दिल्ली में अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मुआवजे की और अधिक वृद्धि के लिए है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम प्रमोद गुप्ता के मामले में सरकार की अपील पर गाँव मसूदपुर के संबंध में वृद्धि को पहले ही रद्द कर दिया था और मामलो को उच्च न्यायालय को वापिस भेजा था। मुआवजे में वृद्धि करने संबंधी एस.एल.पी. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13.4.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है।

IV) **एस.एल.पी. न. 7026/04-रामजस फाउन्डेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य**

यह मामला गाँव सिंधोरा (आनन्द पर्वत) में 780 बीघा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। पहले, उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समर्थित किया था। उसके पश्चात अधिग्रहण कार्यवाही से भूमि को छुड़ाने/अनधिसूचित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

उक्त याचिका को खारिज करने के विरूद्ध, उच्चतम न्यायालय में एक एस.एल.पी. दायर की गई। उक्त एस.एल.पी. 21.4.2006 को अन्तिम सुनवाई के लिए आई। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता के परामर्शदाता ने एस.एल.पी. वापस ले ली, जो तद्नुसार वापस लेने पर खारिज हो गई।

V) **आर.एफ.ए. न. 751/94-जसरथ बनाम भारत संघ+ संबंधित मामले**

ये मामले गाँव रिठाला (रोहिणी) की 5600 बीघा भूमि के संबंध में मुआवजे की वृद्धि से संबंधित है। पहले, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 7.9.2005 के आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा की गई 21/- रू. से 73/- रू. प्रति वर्ग गज की वृद्धि को रद्द कर दिया था और मामले को उच्च न्यायालय में वापिस भेज दिया था।

अब माननीय उच्च न्यायालय ने 27.4.06 के आदेश के द्वारा इन मामलों पर निर्णय दे दिया है और मुआवजे को 21/- रू. से बढ़ा कर 27/- रू. प्रति वर्ग गज कर दिया है। इस तरह हम करोड़ों रूपयों को बचाने में सफल रहे हैं।

7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

7.1 प्रणाली विभाग

7.1.1 भूमि रिकार्ड स्वचलन

यह भूमि रिकार्ड के स्वचलन के लिए एक जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोग है, जो अधिग्रहीत भूमि पर सूचना देता है। यह बढ़े हुए मुआवजे की मानीटरिंग करने के साथ-साथ किसी भी दिए गए समय पर अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और उसकी स्थिति को मानीटर करने में सहायता करेगा। 239 अधिग्रहीत/अधिग्रहणाधीन गाँवों में से 233 गाँवों के संबंध में भूमि सूची तैयार कर ली गयी है। इन 239 गाँवों में से 161 गाँवों के संबंध में मासाबीस को भूमि रिकार्ड के साथ एकीकृत किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है।

7.1.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि साफ्टवेयर को भूमि निपटान विभाग में कार्यान्वित किया जा चुका है। इस पैकेज का प्रयोग करके सभी आबंटन किए जाते है। भूमि साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार के ड्रा, निविदा नीलामी इत्यादि के माध्यम से किए गए आवंटन के पश्चात विभिन्न रिपोर्टों को बनाने का प्रावधान है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टें भी तैयार की जाती है। आबंटितियों से प्राप्त प्राप्तियों की सही प्रविष्टि को सुनिश्चित करने और प्राप्तियों के तीव्र सत्यापन के लिए, आबंटितियों को कम्पयूटर जनित चालान दिए जाते हैं।

फ्री-होल्ड-परिवर्तन मोड्यूल विकसित है और विभाग में कार्यान्वित है। इस मोड्यूल के द्वारा परिवर्तन प्रभारों की गणना की जाती है और गणनाओं इत्यादि वाली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा बैंक में परिवर्तन प्रभारों के जमा होने के पश्चात दि.वि.प्रा. काउन्टर पर आवेदन प्राप्त किया जाता है। आवेदक द्वारा आवेदनपत्र जमा करने की तिथि को ही आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में पहुँच जाता है। इसके बाद जमा राशि का सम्बन्धित विभाग में ऑन लाइन सत्यापन किया जाता है। इससे आवेदनों के निपटान हेतु समय की बचत होती है। साफ्टवेयर में फ्री-होल्ड परिवर्तन के लिए आवेदन को मानिटरिंग करने का प्रावधान है।

7.1.3 आवास

"आवास" हाउसिंग मैनेजमेंट और एकाउंटिंग पैकेज

विकास सदन में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्षा

सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तथा इस पैकेज के द्वारा विभिन्न कार्यकलापों जैसे पंजीकरण, आबंटन, रद्दकरण, नामान्तरण/ अंतरण, पते में परिवर्तन, भुगतान की विधि में परिवर्तन और प्राप्तियों के लेखाकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी आबंटन इस प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के लिए सभी लेखा जोनो में आवास की प्राप्तियों का ऑन लाइन सत्यापन चल रहा है। मांग एवं वसूली वही, गैर-वसूली प्रमाणपत्र, विविध देनदार और चूककर्ता सूची के संबंध में कार्रवाई करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है।

फ्लैटों को फ्री होल्ड कराने के आवेदन पत्र: विकास सदन के स्वागत कक्ष में स्वीकार करने के लिए एक नई प्रणाली कार्यान्वित की गई है। इस प्रणाली से बैंक द्वारा इन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की तुलना में सुधार हुआ है और इससे काफी समय की बचत होती है।

7.1.4 विधि मामले की प्रबंध प्रणाली

सॉफ्टवेयर जी यू आई माहोल में कार्यान्वित है। इसका अनुप्रयोग विधि विभाग के विभिन्न विंग में होने वाले कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करता है। इस समय यह प्रणाली विकास सदन, विकास मीनार, तीस हजारी, और उच्च न्यायालय में दि.वि.प्रा. के कार्यालयों में कार्यान्वित है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कानूनी मामलों के डॉटाबेस का रखरखाव किया जाता है। मामलों के सभी विवरण, विशेष मामलों को देख रहे वकीलों की नियुक्ति का विवरण, सुनवाई/ अपील/ अन्तरिम निर्देशों का विवरण, स्थगन/अन्तरिम आदेश विवरण और अन्तरिम निर्णम की जानकारी रखी जा रही है। विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की सम्पक्ति का विवरण भी इस सॉफ्टवेयर के द्वारा दर्ज किया जाता है। भूमि और आवास डाटाबेस का इन्टर फेस है जहाँ से सम्पक्ति के विवरण पर सीधे पहुँचा जा सकता है।

साफ्टवेयर का स्कैनिंग मोड्यूल: विधि विभाग के भविष्य के संदर्भ के लिए किसी विशिष्ट मामले से संबंधित दस्तावेजो को स्कैन तथा सेव करता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एम.आइ.एस. रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों को तैयार किया जा सकता है।

लायर्स फीस बिल प्रोसेसिंग मोड्यूल: विभिन्न न्यायालयों में मामलों को देख रहे वकीलों के लिए दि.वि.प्रा. के विधि विंग द्वारा किए जा रहे मुद्रा के लेन-देन के विवरण का रखरखाव करता है। यह वकीलों को किए गए भुगतान, उनके बिल के विवरण, भुगतान आदेश, चैक विवरण इत्यादि जैसे मुद्दों को देखता है। यह मोड्यूल वकीलों और न्यायालयों के प्रकार के अनुसार- दि.वि.प्रा. की विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत भुगतानों की कार्यवाही का ध्यान रखता है। इसमें विभिन्न रिपोर्टो को तैयार करने का प्रावधान है।

7.1.5 दस्तावेज प्रबन्ध प्रणाली

आवास विभाग में दस्तावेज प्रबन्ध प्रणाली स्कैनिंग, इन्डौक्सींग और पुन: प्राप्ति सहित इमेज को सुरक्षित करने के लिए शुरु की गई थी। वर्ष के दौरान लगभग 15,000 फाइलों को स्कैन किया गया।

7.1.6 दि.वि.प्रा. वेबसाइट

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in दि.वि.प्रा. के विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भूमि, मुख्य योजना, खेलकूद, पर्यावरण आदि पर जानकारी उपलब्ध कराती है। जनहित की जानकारी जैसे आवास और भूमि निपटान के ड्रा के परिणाम इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। आम जनता की सुविधा के लिए डाटा बेस से पंजीकरण विवरण, प्राथमिकता की स्थिति और भुगतान का विवरण देखने के लिए फार्म के माध्यम से चौबीस घंटे पूछताछ करने की व्यवस्था कर दी गई है। यह पूछताछ वेबसाइट पर चौबीस

रोहिणी में लोक शिविर

घण्टे की जा सकती है। सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर समुचित रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। इस वेबसाइट में एक कार्य-पद्धति अनुभाग भी है, जिसमें आवास/भूमि संबंधी विभिन्न कार्यकलापों की कार्यपद्धति दी गई है और विभिन्न दस्तावेजों जैसे शपथ पत्र आदि के प्रारूप भी इससे डाउनलोड किये जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 41 जन सूचना अधिकारियों से ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है और इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत मेल बॉक्स भी उपलब्ध कराये गये हैं। आवास योजनाओं से संबंधित विवरण पुस्तिका और आवेदन फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं ताकि जनता उन्हें डाउनलोड कर सके।

7.1.7 सूचना कियोस्क

जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 सूचना कियोस्क कार्यरत है जिनमें से विकास सदन में 6, रोहिणी कार्यालय में 2, विकास मीनार में 1, सी.ए.यू. द्वारका में 1, जनकपुरी में 1, बसन्त कुंज में 1, अशोक विहार में 1, यमुना पुस्ता कार्यालय में 1 तथा खेल गाँव कार्यालय में 1, काम कर रहे है। इस सुविधा के लिए वी.एस.एन.एल से 2 एम.बी.पी.एस. शेयर्ड इन्टरनैट लीजड् लाइन ली गई है। अब कोई भी पंजीकृत व्यक्ति इन कियोस्कों के माध्यम से अपने पंजीकरण, आबंटन और भुगतान विवरण को देख सकता है।

7.1.8 पी.जी. आर ए.एम.एस/प्राप्ति और प्रेषण (आर एंड जी) साफ्टवेयर/आर.टी.आई. आवेदन

लोक शिकायत विभाग (डी.पी.जी.) और मंत्रालय से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को स्वीकार करने और उसे संबंधित अधिकारी को समाधान के लिए भेजने के लिए पी. जी.आर.ए.एम.एम. (जन शिकायत समाधान और मानिटरिंग)को कार्यान्वित किया गया है।

आर एंड डी मोड्यूल के माध्यम से सभी प्राप्तियों और प्रेषणों को संभाला जाता है। इससे विभिन्न विभागो में फाइलों की मोनिटरिंग स्थिति में सहायता मिलती है। आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार सूचना पाने के लिए जनता के अनुरोध की फीडिंग को भी आर.एंड.डी प्रणाली में शामिल किया गया है।

विकास सदन में पुस्तकालय का एक दृश्य

7.1.9 दि.वि.प्रा. पुस्तकालय

विकास सदन में दि.वि.प्रा. के मुख्य पुस्तकालय में 22000 से भी अधिक पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त दो तकनीकी पुस्तकालय है। इनमें से एक विकास मीनार में योजना विभाग के लिए और एक विधि विभाग में है। मुख्य पुस्तकालय फरवरी-2006 से आटोमेटिड है। बैक एंड एम. एस-एसेस और फ्रंट एंड के रूप में वीजुअल बेसिक के साथ लिबमैन पैकेज प्रयोग किया जा रहा है। यह मल्टी यूज़र साफ्टवेयर है। प्रत्येक पुस्तक पर बार कोड चिपका दिए गए है। प्रत्येक कर्मचारी जो पुस्तकालय के सदस्य है, को बारकोडो वाला एक सदस्यता कार्ड दिया गया है। इन बारकोडो को (पुस्तक और सदस्यता कार्ड) पुस्तक जारी करते समय स्कैन किया जाता है। इसी तरह से पुस्तक की वापसी के समय पुस्तक से बारकोड स्कैन किया जाता है। उपलब्ध पुस्तकों, सदस्यता, जारी पुस्तकों इत्यादि का पूर्ण-डाटाबेस उपलब्ध है।

7.1.10 डाटा नैटवर्क

विकास सदन, विकास मीनार के साथ 2 एम.बी.पी.एस. -लीज्ड लाइन सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। विकास सदन सभी 6 सी.ए.यू और स्टोर डिवीजन II (जनकपुरी) के साथ 128 के. वी.पी.एस. लीज्ड सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रारम्भिक रूप से पे-रोल और सूचना कियोस्कों के

लिए विकास सदन के साथ फील्ड अधिकारियों की डाटा कनैक्टिविटी के लिए है, जिसका उपयोग अन्य अनुप्रयोगों के साथ भी किया जा सकता है।

7.1.11 उपस्थिति प्रणाली

दि.वि.प्रा.में उपस्थिति के लिए बायेमैट्रिक्स अटैन्डेन्स सिस्टम के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है।

7.1.12 कम्प्यूटर ऐडेड ड्राफ्टिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर

सी.ए.डी.डी. कक्ष ड्राइंग एवं संरचनात्मक विश्लेषण की डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, संशोधन के लिए वास्तुकारों, योजनाकारों तथा इंजीनियरों को सुविधाएं प्रदान करता है।

7.1.13 प्रशिक्षण

दि.वि.प्रा. स्टाफ के लाभार्थ नियमित कम्प्यूटर प्रोत्साहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

7.1.14 एकीकृत प्रबंध प्रणाली

दि.वि.प्रा. के पूर्ण स्वचलन और विभिन्न अव्यवस्थित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत करने के लिए एकीकृत प्रबंध प्रणाली का कार्य शुरू किया गया है और एस.टी.पी.आई. जो एम.आई.टी. के अधीन एक आई.टी. सोसायटी है, को इस कार्य के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किय गया है। आई.एम.एम. विकास और कार्यान्वयन कार्य मैसर्स बिरला सॉफ्ट को अवार्ड किया गया है और यह कार्य 'सिस्टम्स स्टडी स्टेज' में है। इस सिस्टम के लागू होने का लक्ष्य दिसम्बर, 2007 के अन्त तक है। इससे दि.वि.प्रा. स्टाफ और जनता दोनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान में आसानी होगी तथा दि.वि.प्रा. की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित भी करता है।

7.2.2 वर्ष 2006-2007 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने बड़ी संख्या में दि.वि.प्रा के सभी स्तरों के कर्मचारियों के लाभ के लिए उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों को अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

आयोजित किये गये कार्यक्रमों और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	भाग लेने वालों की सं.
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2005-06	59	684
		2006-07	58	873
2.	बाहरी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2005-06	77	180
		2006-07	41	121
3.	विदेशी प्रशिक्षण		1	1

7.2.3 विभागीय कार्यक्रमों में नि.श्रे.लि., उ.श्रे.लि, सहायक, आशुलिपिकों और लेखा कार्मिकों आदि के कार्यक्रम शामिल हैं। सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुलिपिक/उ.श्रे.लि श्रेणियों के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स और अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

7.2.4 प्रशिक्षण संस्थान ने कार्मिक विभाग को सहायक पद के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने वाले उ.श्रे.लि और उ.श्रे.लि. पद के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने वाले नि.श्रे.लि के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों में सहायता देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय) के लिए सहायकों को प्रशिक्षण/कोचिंग की व्यवस्था की है।

7.2.5 लेखा और अन्य क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता लाने, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में सुधार के लिए भी नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इससे दि.वि.प्रा. को विभाग में कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मदद मिली है।

8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य-कलाप

8.1 इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मौटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) आवासीय भवनों का निर्माण।

(ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।

(ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

(घ) विशेष परियोजनाएं/खेलकूद परिसर।

(ङ) हरित क्षेत्रों जैसे-मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों, समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केन्द्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के पार्कों इत्यादि का विकास एवं रखरखाव।

वर्ष 2006-2007 के दौरान दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

8.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण बड़ी संख्या में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे एस.एफ.एस./एचआईजी/एम.आई.जी/एल.आई.जी./जनता/ई.डब्ल्यू. एस. इत्यादि के मकानों का निर्माण करता है। दि.वि.प्रा. द्वारा 1.4.2006 को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2006-2007 के दौरान शुरू किए गए नये मकानों और 2006-2007 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूरे किए गए मकानों का संक्षिप्त विवरण (पिछले दो वर्षों के विवरण सहित) नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	एच. आई.जी.	एम. आई.जी.	एल. आई.जी.	ई.डब्ल्यू. एस./जनता	कुल 2006-07	2005-2006	2004-2005
1.	1.4.2006 को प्रगतिधीन मकान	2929	1343	6852	शून्य	11,124	9966 (1.4.05 को)	23,016 (1.4.04 को)
2.	2006-2007 के दौरान शुरू किए जाने वाले नये मकानों का लक्ष्य	2864	1027	3715	17950	25,556	10676	7943
3.	2006-07 के दौरान शुरू किए गए नये मकान	144	172	2620	शून्य	2,936	1670	3356
4.	2006-07 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकानों का लक्ष्य	1369	496	3205	शून्य	5,070	8695	12662
5.	2006-07 के दौरान पूरे किए गए नये मकान	140	496	2445	शून्य	3,081	2570	9896
6.	1.4.2007 को प्रगतिधीन मकान	2789	871	5637	शून्य	9,297	11124 (1.4.06 को)	9966 (1.4.05 को)

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

8.3.1 दिनांक 1.4.2006 को प्रगतिधीन विभिन्न शॉपिंग/व्यावसायिक परिसरों और वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू और पूरे किये गये नये परिसरों की स्थिति (पिछले दो वर्षों के विवरण सहित) अगले पृष्ठ पर दी गई है :-

क्र. सं.	विवरण	जिला केन्द्र	समाज सदन	स्थानीय बाज़ार	सुविधा बाजार	कुल 2006-07	2005-2006	2004-2005
1.	1.4.2006 को प्रगतिधीन व्यवसायिक केन्द्र	4	6	2	1	13	21 (1.4.05 को)	18 (1.4.04 को)
2.	2006-2007 के दौरान शुरू किए जाने वाले लक्षित नये व्यवसायिक परिसर	1	6	9	10	26	22	11
3.	2006-07 के दौरान शुरू किए गए नये व्यवसायिक परिसर	शून्य	1	5	3	9	शून्य	10
4.	2006-07 के दौरान शुरू किए जाने के लिए लक्षित व्यवसायिक केन्द्र	शून्य	4	5	5	14	21	11
5.	2006-07 के दौरान पूरे किए गए नये व्यवसायिक केन्द्र	शून्य	1	3	3	7	8	7
6.	1.4.2007 को प्रगतिधीन व्यवसायिक केन्द्र	4	6	4	1	15	13 (1.4.06 को)	21 (1.4.05 को)

टिप्पणी:- डी.सी.-जिला केन्द्र, सी.सी-समाज सदन, एल एस सी-स्थानीय बाजार, सी.एस.सी-सुविधा बाज़ार, 1 सुविधा बाजार उत्तरी ज़ोन में बंद कर दिया।

8.4 मुख्य भूमि विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना के अनुसार नगर सीमाओं का विस्तार करके, नये उप-नगरों का विकास करके और शहरी विस्तारों के लिए भौतिक आधारिक संरचना जैसे सड़क, सीवरेज, नाले, जलापूर्ति, पावर लाइन और मनोरंजनात्मक सुविधाएँ आदि की व्यवस्था करके लगातार विकास कार्यकलाप कर रहा है। ये शहरी विस्तार द्वारका फेज-I एवं II, नरेला, धीरपुर, रोहिणी फेज IV एवं V (सैक्टर 26 से 33 तक), वसन्त कुंज फेज-II, लोकनायक पुरम (बक्कर वाला) हैं।

8.4.1 उक्त विस्तृत मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति नीचे तालिका के रूप में दी गई है:

क. योजना में दी जाने वाली कुल सेवा।
ख. 31.3.2005 तक दी गई सेवाएं।
ग. 31.3.2006 तक दी गई सेवाएं।
घ. 31.3.2007 तक दी गई सेवाएं।

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे. में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
द्वारका फेज-II	2098/1194	क	73.948	57.762	59.82	111.80
		ख	44.00	26.10	27.32	49.36
		ग	54.00	31.30	36.32	52.30
		ध	57.26	37.70	56.004	53.30
नरेला	7282/450	क	90.90	33.00	33.00	79.00
		ख	74.26	32.00	28.00	60.00
		ग	74.26	32.00	28.00	60.00
		ध	74.26	32.00	28.00	60.00
धीरपुर	194.50	क	7.70	6.00	6.00	10.00
		ख	5.80	-	-	-
		ग	5.80	3.00	-	-
		ध	5.80	3.00	-	-

क्रमशः

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे. में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
रोहिणी फेज-III	1000/700	क	168.00	26.60	55.00	83.00
		ख	165.60	26.60	55.00	83.00
		ग	165.60	-	-	-
		ध	165.60	-	-	-
रोहिणी फेज़ IV एवं V	4000/788 + 100 हैक्टे. हाल में अधिग्रहण किया गया	क	32.47	20.358	35.14	69.63
		ख	18.50	3.80	11.50	-
		ग	20.165	6.50	11.50	-
		ध	20.165	6.50	19.08	2.00
लोक नायक पुरम	60	क	2.60	4.14	5.21	4.28
		ख	1.75	2.035	-	4.00
		ग	2.25	2.235	-	4.28
		ध	2.60	4.14	5.21	-

8.5 विशेष मुख्य परियोजनाएं/खेल परिसर

दि.वि.प्रा ने विकास के एक भाग के रूप में कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित विशेष/मुख्य परियोजनाएं पूरी/शुरू की हैं।

8.5.1 वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी की गई विशेष परियोजनाएं

i) रोहिणी फेज-I में मनोरंजन पार्क।
ii) छावनी क्षेत्र से होकर जाने वाला दक्षिणी दिल्ली को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला पहुँच मार्ग। जनता के लिए 9.4.2006 को खोला गया।
iii) आई.जी.आई. एयरपोर्ट की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला लिंक रोड। जनता के लिए 9.4.2006 को खोला गया।
iv) बारापुला नाले के साथ-साथ मथुरा रोड को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से जोड़ने वाला लिंक रोड। जनता के लिए 10.6.2006 को खोला गया।
v) संत नगर एवं यूसुफ सराय में समाज सदन।
vi) लोधी रोड फ्लाई-ओवर, निजामुद्दीन के निकट मिर्जा गालिब बाग।
vii) हौजखास जिला पार्क का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण।
viii) धौला कुआं पर झील पार्क का उन्नयन।
ix) रोहिणी फेज-III में मुख्य योजना सड़के।
x) निगम बोध घाट फेज-II का उन्नयन/सुधार।
xi) अजमेरी गेट पर ऐंग्लो-अरैबिक स्कूल।
xii) नरेला, पॉकेट-II, सैक्टर जी-8 में 12.5 वर्ग मी. के 1492 और 18 व. मी. के 860 प्लाटों का विकास।
xiii) लॉट-I के अन्तर्गत 94 व्यावसायिक परिसरों का उन्नयन।
xiv) गाजीपुर पॉकेट-सी में एकीकृत भाड़ा परिसर।

8.5.2 विशेष मुख्य परियोजनाएं जो चल रही हैं

i) नरेला में एकीकृत भाड़ा परिसर।
ii) यमुना नदी फ्रंट विकास (यमुना पुश्ता पार्क)।
iii) जसोला फेज-II में जिला केन्द्र (केवल सड़कों का कार्य।
iv) जिला केन्द्र, भीकाजी कामा प्लेस फेज-II का सुधार एवं नवीकरण।
v) लाजपत नगर स्थित लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क का विकास।
vi) सर्वोदय एनक्लेव एवं बेगमपुर के बीच मुख्य योजना हरित क्षेत्र का विकास।
vii) तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर का विकास।
viii) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस के समीप आस्था कुंज का विकास।
ix) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का सुधार।
x) झड़ोदा माजरा एवं वज़ीराबाद में यमुना जैव-वैविध्य पार्क का विकास।
xi) वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क का विकास।

xii) सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर, वसन्त कुंज फेज-II का विकास।

xiii) मिलेनियम पार्क निकट अ.रा. बस अड्डा, सराय काले खाँ फेज-II

xiv) शास्त्री पार्क स्थित प्लॉट सं. 17 पर सम्मेलन केन्द्र।

xv) सी.बी.डी शाहदरा स्थित 46 हैक्टेयर भूमि का विकास।

xvi) पालम नाले को ढकना।

xvii) मंदाकिनी के सामने अलकनंदा में समाज सदन एवं पुस्तकालनय।

xviii) चितरंजन पार्क में जहांपनाह सिटी फौरेस्ट के निकट लघु खेल परिसर।

xix) नेल्सन मंडेला रोड के यातायात परिचालन में सुधार।

xx) महरौली में पुरातत्वीय पार्क का विकास।

xxi) मधुवन चौक पर जोनल कार्यालय भवन का निर्माण।

8.5.3 वर्ष 2006-07 के दौरान पूरे किये गये खेलकूद कार्यकलाप

i) सरिता बिहार पॉकेट-ए में क्रीड़ा क्षेत्र।

ii) भलस्वा गोल्फ कोर्स (9वां होल)

8.5.4 खेलकूद कार्यकलाप जो चल रहे हैं

i) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्टों को दोबारा समतल करना।

ii) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्टों में सिन्थैटिक टर्फ बिछाना।

iii) साकेत खेल परिसर में कवर्ड बैडमिंटन हॉल।

बास्केट बॉल का मैच चल रहा है

iv) आक्सीडेशन पांड के निकट सरिता विहार में खेल मैदान का विकास कार्य।

8.6 उद्यान कार्यों का विकास/रखरखाव

दि.वि.प्रा ने हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया है, जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं। दि.वि.प्रा. देश में श्रेष्ठ पार्कों/हरित क्षेत्रों की बेहतर प्रणाली का विकास करने का दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा ने लगभग 16000 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें नगर वन, हरित पट्टियां, जिला पार्क, जोनल पार्क, समीपवर्ती पार्क और रिहायशी कालोनियों में स्थित लघु भू-खंड शामिल हैं।

वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लॉनों का विकास (एकड़ में)		बाल उद्यानों का विकास (सं. में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2006-07	4.34	4.51	176.33	129.40	27	14
2005-06	3.80	4.10	232.88	121.09	38	16
2004-05	4.50	4.47	314.95	180.85	35	26

8.6.1 वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव-वैविध्य पार्क-अवस्थिति एवं स्थल दशाएँ

अरावली जैव-वैविध्य पार्क इस समय वसन्त विहार और वसन्त कुंज के बीच में लगभग 690 एकड़ (277 हैक्टे) क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर काफी बड़ा पथरीला भू-भाग है जो कि स्थल के केन्द्र से स्थल के दक्षिण की ओर फैला है। मुरादाबाद पहाड़ी और कुसुमपुर पहाड़ी के क्षेत्र को शामिल करके इसका कुल क्षेत्र, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह स्थल लहरदार और ऊंचा-नीचा है, जहां पर कीकर के वृक्ष तथा रिज की झाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र के अंदर एक पुरानी मस्जिद है जो मुरादाबाद पहाड़ी किले के नाम से प्रसिद्ध है।

विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति

1) एम.एस.रेलिंग सहित बाउन्डरी - पूरा हो गया वॉल का निर्माण

2) ट्यूबवैल (8) - पूरा हो गया

3) तीन गड्ढ़ों की सीलिंग - पूरी हो गई

4) ट्यूबवैलों का जी.आई.पाइप नेट वर्क - पूरा हो गया

5) पॉली हाउस (2) - पूरा हो गया

6) दो नेट हाउस - पूरा हो गया

7) नर्सरी (2) - पूरी हो गई
8) सिंधिया पौटरी विरासत भवन - पुनः चालू किया गया
9) कैम्प सुविधाएं अंदर प्रदान की गई।
10) बिजली की व्यवस्था की गई।
11) नर्सरी में विभिन्न किस्म के 1985 पौधे लगाए गए (पॉली हाउस और ओपन हाउस)
12) 75 जातियों के 19247 पौधे दिल्ली, उत्तरांचल, उ.प्र. और राजस्थान से एकत्र किए गए।
13) सामुदायिक वृक्षारोपण हेतु 6 हैक्टे. भूमि पर खरपतवार उन्मूलन किया गया।
14) नर्सरी क्षेत्र के चारों तरफ विभिन्न जातियों के 94 पौधे लगाए गए।
15) घाटी में 382 पौधे लगाए गए।
16) जल संग्रहण हेतु गड्ढ़े खोदे गए। पूरा हो गया (मसूदपुर डेरी सहित वसन्त कुंज के बरसाती नाले की प्रणाली को बरसाती जल संग्रहण हेतु इन गड्ढ़ों से जोड़ा गया है।)

नोटः- उच्चतम न्यायालय का लम्बित निर्णय जिसकी सीईसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, आगे विकास कार्य आरंभ नहीं किए जा सके।

8.6.2 मनोरंजन पार्क

स्वर्ण जयन्ती पार्क के ठीक निकट 25 हैक्टे. भूमि के एक टुकड़े को नियोजित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड को सौंपा गया है। यह मनोरंजन पार्क दिल्ली शहर में एक मुख्य आकर्षण का केन्द्र होगा। विकासकर्ता ने इस पार्क के पूर्ण विकास के लिए लगभग 80 करोड रू. व्यय करके 5 वर्ष की अवधि की योजना बनाई है। पहले फेज में मनोरंजन पार्क का कार्य पूरा हो गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है।

स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी में प्रदीप्त फव्वारा

8.6.3 अ.रा.बस अड्डा, सराय काले खाँ से भैरों मंदिर मार्ग तक मिलेनियम (इन्द्रप्रस्थ) पार्क का विकास

इस पार्क की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी :-

पार्क का कुल क्षेत्रफल	59 एकड़
रिंग रोड के साथ-साथ पार्क की कुल लम्बाई	2000 मीटर
पैदल पथ की कुल लम्बाई	लगभग 5 किलोमीटर
जौगिंग ट्रैक की कुल लम्बाई	लगभग 6 किलोमीटर
परियोजना की कुल लागत	23 करोड़ रूपये
वर्तमान स्थिति :	
i) फेज-I	i) पूरा हो गया
ii) फेज-II	ii) फेज-II का कार्य चल रहा है और यह जून, 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इसमें पाँच जोन बनाये गए हैं, जिनकी प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषता है, जैसे - स्मृति वन, सुगंधित गार्डन, बोगन विले गार्डन, टॉपिअरी गार्डन और फॉलिएज गार्डन।

पार्क को हरा-भरा बनाने के लिए डा. सेन नर्सिंग होम नाले से शोधित कचरा उपयोग में लाया जा रहा है।

8.6.4 वसन्त कुंज के निकट महरौली-महिपालपुर रोड पर सुल्तानगढ़ी मकबरे के संरक्षण परिसर का विकास

सुल्तानगढ़ी-मकबरा, जो सुल्तान इल्तुमिश के सुपुत्र सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद की मजार है, महरौली-महिपालपुर रोड की रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र (उर्फ मलिकपुर कोठी) में सन् 1236 ई. में बनाया गया था।

फेज-I का कार्य पूरा किया जा चुका है: चारदीवारी, बरसाती जल संग्रहण प्रणाली के लिए नाली, डीक्यू स्टोन फुटपाथ और फेज-I में पाँच ट्यूबवैल लगाये गये। इंटैक द्वारा असंरक्षित विरासत भवन सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

फेज–II का कार्य: निम्नलिखित कार्य आरंभ किए जाने है:-

i) प्रवेश द्वार
ii) कार पार्किंग एवं कैरिज वे
iii) विहार स्थल (प्रोमेनेड्स)
iv) वॉकवेज़
v) शिशु-क्रीड़ा क्षेत्र
vi) रैस्टोरेंट (खुला टैरेस)
vii) ऐतिहासिक वॉक
viii) स्टैप्स
ix) प्लैंटर वॉल
x) कियोस्क
xi) सिटी मेकर
xii) कर्ब स्टोन
xiii) उद्यान-कार्य
xiv) उत्तम मिट्टी की आपूर्ति
xv) सिंचाई प्रणाली
xvi) हल्के जुड़नार

8.6.5 भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास

92.00 हैक्टे. से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए भलस्वा झील परिसर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। झील के पूर्व की ओर 58 हैक्टे. भूमि दि.वि.प्रा. की है और 34 हैक्टे. भूमि डी.टी.डी.सी की है। झील की तरफ सुविधाओं, जैसे-8 किओस्कों, शैल्टरों, मार्गो और पार्कों का विकास दि.वि.प्रा. द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

झील से लगा हुआ 46 हैक्टे. क्षेत्र 18 होल गोल्फ कोर्स के विकास हेतु निर्धारित है। फेज-I में 3 होल का गोल्फ कोर्स विकसित किया जा चुका है और जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। होल नं. 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का कार्य पूरा किया जा चुका है। सिंचाई की स्वचलित प्रणाली, ट्यूबवैल एवं जी.आई. पाइप लाइन नेटवर्क और सभी 9 होल के लिए रेलिंग सहित चारदीवारी, पम्प सहित सिंचाई प्रणाली, प्लाजा और पार्किंग से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। होल नं. 10 से 18 का काम वर्ष 2007 के दौरान आरम्भ किया जायेगा।

8.6.6 झड़ौदा माजरा और वजीराबाद में यमुना जैव-विविधता पार्क का विकास

जैव-वैविध्य पार्क यमुना नदी घाटी में जैव-विविधता की प्रचुरता और इसकी विरासत को बनाए रखते हुए शहरी जनता के पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि करता है। इस पार्क का विकास विभिन्न चरणों में किया जाएगा और इसके 10 वर्षों में विकसित होने की संभावना है। फिलहाल दि.वि.प्रा. फेज-I में 157 एकड़ भूमि पर जैव विविधता पार्क विकसित कर रहा है। अन्य 300 एकड़ भूमि दूसरे फेज में शामिल की जाएगी।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित और रख-रखाव किया गया एक परिसर

निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए

- 3 पोली-हाउस की व्यवस्था और उन्हें स्थापित करना।
- 1 नेट हाउस की व्यवस्था और स्थापित करना।
- बांस के आच्छादित 3 खाद्य किओस्कों की व्यवस्था और स्थापित करना।
- 3 कम गहरे नलकूपों की बोरिंग करना और 2 पम्प-हाउसों का निर्माण करना।
- फलोद्यान नं -1 में आगन्तुक क्षेत्र में अनफिल्टर्ड जल-आपूर्ति हेतु जी.आई पाइप लाइनों को बिछाना।
- फुटपाथ (3 मीटर चौड़े मुख्य मार्ग) का निर्माण।
- कार्यालय परिसर/विवेचन केन्द्र का निर्माण।
- यमुना का सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय इतिहास तैयार कर लिया गया है।
- एम.एस. ग्रिल सहित रैन्डम रुबल मैसनरी चार दीवारी (5300 मीटर लम्बाई) का निर्माण।
- जलाशय और टीलों का निर्माण।
- पाथ (लूप ट्रेल) का निर्माण।
- जलाशय (अतिरिक्त) और टीलों का निर्माण।
- कैफेटेरिया का निर्माण।
- परियोजना हेतु पहुंच मार्ग और कार पार्किंग का निर्माण।
- बाउन्डरी के साथ-साथ लगभग 18000 वृक्षों और बांसों का आरोपण।
- एसटीडी बूथ, पीने के पानी की सुविधा और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण।
- सुरक्षा कक्ष का निर्माण।
- आगंतुक क्षेत्र।
- आर.सी.सी. बॉक्स टाइप नालियों और पार्किंग के लिए सड़क का निर्माण।
- बसों की पार्किंग का निर्माण।
- प्रवेश द्वार से स्कीम के अंत तक आरसीसी टाइप नाले का निर्माण।
- स्टील-ब्रिजों का निर्माण।
- वृक्षारोपण।
- निर्मित आवासीय क्षेत्र के साथ-साथ विद्यमान आर/आर मैसनरी दीवार को ऊँचा उठाना।

एक बाँस द्वारा निर्मित पुल, एक सार्वजनिक शौचालय, एक बाँस द्वारा निर्मित रहने का स्थान और अनुपूरक नाले से योजना के अंत तक 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क के

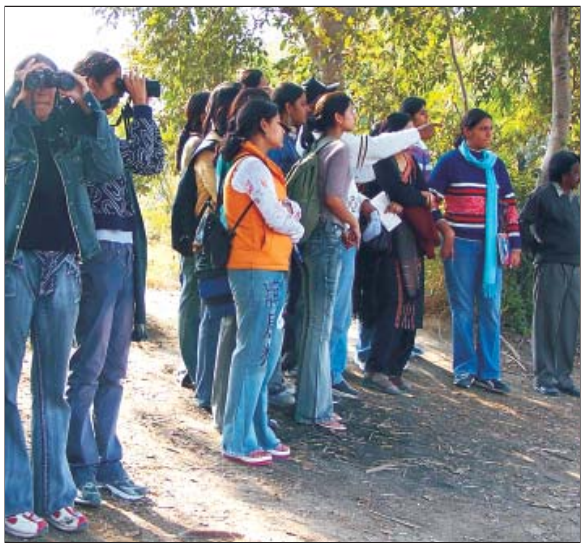

यमुना जैव-वैविध्य पार्क में भ्रमण करते हुए छात्र

निर्माण का कार्य चल रहा है और यह सितम्बर 2007 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

8.6.7 नेहरू प्लेस में आस्था कुंज

दिल्ली के नगर दृश्य को बढ़ावा देने के लिए दि.वि.प्रा. ने 40 करोड़ की लागत से बहाई/कालकाजी और हरे रामा-हरे कृष्णा मंदिर के बीच नेहरू प्लेस से सटे अपने जिला पार्क में "आस्था कुंज" नामक राष्ट्रीय महत्व के व्यापक हरित क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं है

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं और पार्किंग सहित सुंदर प्रवेश प्लाज़ा।
- प्लाजा, फूड कार्नर्स व लेक-साइड सुविधाओं सहित शहरी पार्क।
- समीपवर्ती सुविधाएं जैसे बच्चों के खेलने की जगह, सीनियर सिटिज़न कार्नर, जोगिंग ट्रैक और फिटनेस ज़ोन।
- उत्सव में एकत्रित होने का क्षेत्र, बड़े समारोह स्थल सहित, योगा के लिए ध्यान-योग स्थल, प्रवचन हेतु स्थल।
- सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें सांस्कृतिक प्लाजा, अभिनय क्षेत्र और एम्पी थिएटर होगा।
- पारिस्थितिक कारिडोर, जिसमें नेचर ट्रेल्स सहित "लोरा ऑफ वैल्थ, पैसिव रीक्रिएशन एरिया इत्यादि होंगे।"
- अन्य सुविधाओं में शामिल हैं, स्मारिका, दुकानें, बुक स्टाल, सार्वजनिक उपयोगिताएं, रेस्टोरैंट और पौधों को बेचने की दुकानें।

अरावली जैव-वैविध्य पार्क में केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री, श्री अजय माकन

विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

1) बाउंडरी वॉल फेंसिंग - पूरा हो गया
2) प्रवेश प्लाज़ा (6) - पूरा हो गया
3) जलाशयों का विकास (5) - पूरा हो गया
4) इस्कॉन के निकट पार्किंग - पूरा हो गया
5) फूड कोर्ट, शहरी पार्क, एम्फी थियेटर, सभा-स्थल, कमल मंदिर के सामने बस पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और यह सितम्बर 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

8.6.8 तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर

माननीय उप राज्यपाल द्वारा गठित एक विशेष समिति के साथ तुगलकाबाद किले के निकट एम.बी.रोड के दोनों ओर डी.डी.ए. द्वारा एक विशाल हरित क्षेत्र डिजाइन किया गया है, जिसे एक मनोरंजनात्मक सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। फेज-I , फेज़-II और फेज-III में कार्य चल रहा है और यह दिसम्बर, 2007 तक पूरा हो जाएगा।

8.6.9 यमुना नदी तट विकास (यमुना पुश्ता पार्क)

83 हैक्टे. क्षेत्र जो झुग्गियों को हटाकर खाली कराया गया था, इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में पुराने रेल पुल और आई.टी.ओ के मध्य समाधि क्षेत्र के पीछे यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर विकसित किया जाना है। योजना दि.वि.प्रा. की जांच समिति द्वारा और यमुना कार्य समिति द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के संरक्षण के अंतर्गत अनुमोदित कर दी गई है।

भू-दृश्यांकन योजना में विविध ऐक्टिव एवं पैसिव मनोरंजनात्मक जोन शामिल किये गये हैं जिसमें एम्फी थियेटर, पहुँच द्वार, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, रक्षित हरित, पैदलों के लिए टहलने के मार्ग, साइकिलिंग ट्रैक्स जैसी गतिविधियां 'एक्टिव जोन' का एक भाग हैं।

पैसिव क्षेत्र में स्थल से होकर गुजरने वाले पैदल पथों और साइकिल मार्गों सहित अनेक जलाशय हैं। पैसिव क्षेत्र को हलचल भरे सक्रिय क्षेत्र की तुलना में शांत एवं स्वच्छ क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान लघु नदी के पास एक जलाशय बनाया गया है।

स्थल पर निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

- सिंचाई एवं बाढ़ विभाग द्वारा अपेक्षित स्तरों के अनुसार मुगल बांध को ऊँचा करना।
- सक्रिय क्षेत्र में जलाशय का विकास कार्य पूरा कर लिया गया।
- मुगल बांध के साथ-साथ वृक्षारोपण और घास लगाने का कार्य किया जा रहा है।
- परियोजना में उपयोग में लाए जाने के लिए पेड़-पौधों की पौध के लिए एक नर्सरी बनाई गई।
- जलाशय के साथ-साथ स्लोप का कार्य चल रहा है।

8.6.10 विद्यमान हरित क्षेत्रों का प्रस्तावित विकास कार्य

लगभग 18 विद्यमान हरित क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूदृश्यांकन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8.7 नए महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.7.1 वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू किये जाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (स्लम निवासियों) के सुधार और अच्छे वातावरण की व्यवस्था करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर एक लाख ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 43480 आ.इ. के लिए स्थान निधारित कर लिए गए है और 40,010 आ.इ. के लिए डी पी आर रा.रा.क्षे., दिल्ली को अनुमोदनार्थ भेज दिए गए हैं। लगभग 3500 आ.इ. का कार्य 31 जून, 2007 तक अवार्ड किए जाने की संभावना है।

8.7.2 फ्लाई ओवर

जनसंख्या में वृद्धि (स्थानीय एवं प्रवासी) होने और

निजी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने के कारण सड़कों पर यातायात बढ़ गया है। आन्तरिक रिंग रोड जैसी व्यस्त सड़कों के चौराहों पर यातायात जाम होने से सड़कों का प्रयोग करने वालों को बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, इससे प्रदूषण का स्तर और व्यर्थ ईंधन पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाती है। दिल्ली के यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. को विश्वासपूर्वक सौंपी गई थी। बारह फ्लाई ओवरों का काम 31 मार्च, 2005 तक पूरा किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित सुधार-कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है:

क्र.सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं मार्ग सं. 13-ए-सरिता विहार पर 3 क्लोवर लीफ/स्लिपरोड/आर.यू.बी	2007 में शुरू किये जाने की संभावना है
2	विकास मार्ग - मार्ग सं. 57 पर एक क्लोवर लीफ, जो योजना स्तर पर है	2007 में शुरू किये जाने की संभावना है
3	राष्ट्रीय राजमार्ग-24 एवं नौएडा मोड -3 अन्य क्लोवर लीफ योजना स्तर पर हैं	2007 में शुरू किये जाने की संभावना है
4	पालम नाले को ढ़कते हुए दूसरा कैरिज वे	31.07.2007
5	एन एच-24 साइड से राष्ट्र-मंडल खेल गाँव तक प्रवेश और निकास	2007 में आरंभ किए जाने की संभावना है
6	मार्जिनल बांध रोड से राष्ट्र-मंडल खेल गाँव तक प्रवेश और निकास	2007 में आरंभ किए जाने की संभावना है
7	घरेलू एयर पोर्ट से द्वारका तक पहुँच मार्ग की सर्कुलर रोड का सुधार	2007 में आरंभ किए जाने की संभावना है
8	कापसहेड़ा पर चतुर्भुजी चौराहा	2007 में आरंभ किए जाने की संभावना है

8.7.3 यमुना नदी के किनारे पर क्रिकेट एवं फुटबॉल स्टेडियम परिसर का विकास

नोएडा टोल ब्रिज के पश्चिम की 85 हैक्टेयर भूमि को विकसित किया जाना है, जिसके लिए दि.वि.प्रा. द्वारा विकास किए जाने के लिए यमुना एक्शन कमेटी से मुख्य अनुमोदन प्राप्त किया गया है। 85 हैक्टेयर भूमि की कुल योजना में से 12 हैक्टेयर क्रिकेट स्टेडियम के लिए, 10 हैक्टेयर फुटबॉल स्टेडियम के लिए और 5 हैक्टेयर भूमि बाल-केन्द्र के लिए है। शेष 58 हैक्टेयर भूमि पार्किंग और मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए है। योजना अभी संकल्पना स्तर पर है। सी.डब्ल्यू.पी आर.एस., पूणे को गणितीय मॉडल अध्ययन और बाढ़ से बचाव के उपायों पर दि.वि.प्रा. को सलाह देने के लिए अनुबन्धित किया गया है। योजना को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व पूरा किया जाना है।

8.7.4 शहरी विस्तार रोड

क) शहरी विस्तार रोड सं.-1 का निर्माण

यह रोड नरेला एवं रोहिणी परियोजनाओं से होकर गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग -1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगा।

ख) 100 मीटर मार्गाधिकार शहरी विस्तार रोड सं-11 का निर्माण

कुल लम्बाई	**28 किलोमीटर**
नरेला परियोजना	**11 किलो मीटर** भूमि उपलब्ध है। तकनीकी समिति ने सरेखण और जी.टी. करनाल रोड से अलीपुर-नरेला रोड तक लगभग 3 कि.मी. लम्बे रोड और बवाना के समीप डी. एस. आई. डी. सी. द्वारा निर्मित लगभग 1.2 कि.मी. रोड को अनुमोदित किया है। इसके लिए सड़क विकास योजना अनुमोदित कर दी गई है।
रोहिणी परियोजना	**17 कि.मी** अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना हैं। क्षेत्रीय योजना तैयारी के चरण में है।

यह रोड नरेला, रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं से गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (जीटी-करनाल रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (रोहतक रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (दिल्ली-गुड़गाँव रोड) को जोड़ेगा। तकनीकी समिति ने रोड के सम्पूर्ण टुकड़े के सरेखण को अनुमोदित कर दिया है।

ग) शहरी विस्तार रोड न. III का निर्माण

कुल लम्बाई	**46.0 कि.मी.**
नरेला परियोजना	**7.0 कि.मी.** भूमि अधिग्रहीत है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।
रोहिणी परियोजना	**14.0 कि.मी.** बरवाला गाँव के निकट 2.5 कि.मी. की पट्टी को छोड़कर, भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। सड़क विकास योजना तैयार की जा रही है।
द्वारका परियोजना	**25.0** कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से 3 कि.मी. लम्बी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है और 6.50 कि. मी. लम्बी सड़क दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

यह सड़क नरेला, रोहिणी से गुजरेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (जीटी-करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगी।

कुल लम्बाई	**16.0 कि.मी.**
नरेला परियोजना	**5.5 कि.मी.** भूमि अधिग्रहीत की जानी है।
रोहिणी परियोजना	**10.5 कि.मी.** तकनीकी समिति से सड़क का संरेखण अनुमोदित है, उपलब्ध भूमि में 3.1 कि.मी. लम्बी सड़क निर्मित है और शेष को न्यायालय के स्थगन आदेश/ अतिक्रमण के कारण निर्मित नहीं किया जा सका।

8.7.5 शोधित सीवेज का प्रयोग

''उद्यान कार्यों के लिए शोधित सीवेज पानी का प्रयोग'' को अति महत्ता दी जा रही है। शोधित सीवेज का प्रयोग करने पर उपयोग किए जा रहे ट्यूबवैलों का प्रयोग बंद हो जाएगा। दि.वि.प्रा. ने शोधित सीवेज के प्रयोग की योजना पहले ही बना ली है।

8.7.6 बरसाती पानी का संग्रहण

बरसाती पानी का संग्रहण करना घट रहे जल स्तर को पुन:बढ़ाने की एक आसान और प्रभावी विधि है जिससे निकट भविष्य में एक विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित किया जा सकता है। बरसाती पानी के संग्रहण की योजना विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है, जो पूरी हो चुकी हैं/प्रगति में/योजना चरण में हैं।

अभी तक दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के विभिन्न स्थानो पर 13 हरित क्षेत्रों और 76 निर्मित क्षेत्रों में बरसाती जल संग्रहण स्कीमें चलाई हैं। इसके अतिरिक्त, इन स्कीमों को 27 हरित क्षेत्रों और 26 निर्मित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

8.7.7 दोहरी जलापूर्ति प्रणाली

दोहरी जलापूर्ति प्रणाली में प्रत्येक इकाई को दो पृथक-पृथक जलापूर्ति प्रदान की जाती है। एक 'पेय जल' आपूर्ति लाइन होती है, जो रसोई और पैन्ट्री में बिछाई जाती है और केवल पीने और खाना बनाने इत्यादि के उपयोग में लाई जाती है। एक अन्य 'घरेलू जल-आपूर्ति है, जो शौचालयों, स्नानगृहों इत्यादि में जाती है, जहाँ कम शोधित पानी की आपूर्ति की जाती है।

इस तरह कम शोधित पेय जल की मांग कम हो जाती है और इसलिए अधिक व्यापक शोधन जो पेय जल के लिए आवश्यक होता है, जल की कम मात्रा तक सीमित हो जाएगा।

दि.वि.प्रा. द्वारा बनाए गए लगभग 10,000 मकानों में यह व्यवस्था की गई है और भविष्य में भी आवासीय कार्यों में लागू की जा रही है।

8.7.8 राष्ट्रमंडल खेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका

खेलगाँव

- टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश और क्यू स्पोर्ट्स
- खेलगाँव, यमुना खेल परिसर और सीरी फोर्ट खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थल
- प्लाट क्षेत्र-63.50 हैक्टेयर
- अवस्थिति-अक्षरधाम मंदिर के समीप

स्थान विभाजन

- आवासीय	11.00 हैक्टेयर
- व्यावसायिक	5.50 हैक्टेयर
- सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	21.00 हैक्टेयर
- मनोरंजनात्मक	26.00 हैक्टेयर

आवासीय क्षेत्र का विकास आंशिक रूप में सार्वजनिक-निजी भागेदारी के माध्यम से किया जाएगा, दि.वि.प्रा. द्वारा भी इसका विकास किया जाएगा।

प्रशिक्षण क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :

- स्विमिंग पूल
- एथलैटिक ट्रैक्स
- फिटनेस सेन्टर
- प्रशिक्षण मैदान

स्टेटस रिपोर्ट:

क) राष्ट्रमंडल खेल गांव

ले-आउट पर परामर्शदाता, पुलिस प्राधिकारियों, अक्षरधाम-प्राधिकारियों और दिल्ली नगर कला आयोग के साथ बातचीत की गई है। सभी मुद्दों को शामिल करने के बाद ले-आउट प्लान दिल्ली नगर कला आयोग को मई के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उ.प्र. की भूमि पर कब्ज़ा कर लिया गया है और पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो गई है।

खेल गांव को मई, 2010 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और आयोजक समिति को 1.6.2010 तक सौंप दिया जाएगा।

ख) सीरी फोर्ट खेल परिसर (बैडमिंटन एवं स्क्वैश प्रतिस्पर्धा वेन्यूज)

डिज़ाइन पर परामर्शदाता के साथ चर्चा की गई है तथा सुझावों को शामिल कर लिया गया है। और उसे मई के प्रथम सप्ताह तक दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत किया जा रहा है।

ई आई ए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

प्रतिस्पर्धा-वेन्यूज को दिसम्बर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और उन्हें दि. 31.12.09 को आयोजक समिति को सौंप दिया जायेगा।

ग) यमुना खेल परिसर (टेबल टेनिस स्पर्धा वेन्यु)

डिजाइन पर परामर्शदाता के साथ चर्चा की गई है तथा सुझावों को शामिल कर लिया गया है और उसे मई के प्रथम सप्ताह तक दि.न.क.आ. को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ई.आई.ए से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिस्पर्धा वेन्यूज को दिसम्बर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और उन्हें 31.12.2009 तक आयोजक समिति को सौंप दिया जाएगा।

8.7.9 सेवाओं का दि.वि.प्रा. से दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को अंतरण

विकास एजेंसी होने के कारण दि.वि.प्रा. अपने क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएँ प्रदान करता है और उनके रखरखाव का कार्य अन्य नगर-निकाय दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को सौंप देता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न कॉलोनियों की सेवाएँ विगत में दि.न.नि. को अंतरित की जाती रही हैं।

फिलहाल, पहले लॉट की 382 कॉलोनियों में से शेष बची हुई 7 कॉलोनियों, 163 कॉलोनियों और 146 कॉलोनियों की सेवाओं को सौंपे जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.8 अनुमान

वर्ष 2006-07 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने बी.जी.डी.ए. के लिए 338.81 करोड़ रु. और नजूल खाता -II के लिए 491.72 करोड़ रु. के प्रारम्भिक अनुमानों को अनुमोदित किया है।

8.9 वित्तीय कार्य-निष्पादन

	2006-07 के लिए संशोधित बजट अनुमान (करोड़ों में)	उठाया गया व्यय (करोड़ों में)
नजूल खाता-I	10.97	12.18
नजूल खाता-II	519.67	421.92
बी.जी.डी.ए.	253.44	169.79
कुल 2006-07	**784.08**	**603.89**
2005-06	935.77	623.67
2004-05	1390.69	929.62

	2007-08 के लिए बजट अनुमान (करोड़ों में)
नजूल खाता-I	11.99
नजूल खाता-II	757.49
बी.जी.डी.ए.	612.52
कुल	**1382.00**

9. योजना एवं वास्तुकला

जनकपुरी जिला केन्द्र

योजना विंग

9.1 दिल्ली मुख्य योजना 2021

दिसंबर 2006/जनवरी 2007 में प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार संशोधित दि.मु.यो. 2021 विचार एवं अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत, की गई। वर्ष 2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में दि.मु. योजना दि.वि.प्रा. को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एस.ओ. 141 (ई) दिनांक 07.02.2007 द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित किया।

- दि.मु.यो. 2021 के मसौदे पर जनता, सरकारी विभागों, व्यावसायिक निकायों, व्यक्तियों आदि से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा कार्यवाही की गई/सुनवाई की गई और जांच की गई।
- जांच और सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार संशोधित दि.मु.यो. 2021 को अन्तिम रूप देने के लिए प्राधिकरण की दिनांक 29.12.2006, 4.1.2007, और 19.01.2007 को हुई बैठकों में प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।
- दि.मु.यो. 2001 में संशोधन के अनुसार आवासीय प्लाटेड विकास के संबंध में मिश्रित उपयोग विनियमों और विकास नियंत्रण मानदंडों पर सर्वाजनिक सूचना से संबंधित लगभग 2000 आपत्तियों/सुझावों पर भी जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा कार्यवाही की गई/जांच की गई और सुनवाई की गई। तद्नन्तर अधिसूचनाएं जारी की गई जो दि.मु.यो. 2021 में उपयुक्त रूप में शामिल कर ली गई।
- मसौदा दि.मु.यो. 2021 को विभिन्न स्तरों मंत्रिमंडल समिति, शहरी विकास मंत्रालय, प्राधिकरण, सलाहकार परिषद, योजना आयोग आदि पर प्रस्तुत किया गया।
- भूमि एवं आवास की असेम्बली और विकास करने के वैकल्पिक तरीकों पर नीति की समीक्षा की गई।
- दि.मु.यो. 2021 के प्रावधानों पर अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ की गई।

9.2 क्षेत्रगत योजना–I

जोन–एफ

- दि.मु.यो. 2021 के अन्तर्गत योजना जोन 'एफ' की क्षेत्रीय योजना की समीक्षा।
- ले आउट प्लान
  - जसौला में आवासी योजनाओं के नियोजित विकास के ले–आउट प्लानों का संशोधन।
  - सफदरजंग एनक्लेव के ले आउट प्लान में विभिन्न स्थानों पर सुझाव देते हुए परिवर्तनों को शामिल करके संशोधन।
  - जसौला में कामकाजी महिलाओं के होस्टल (पी. एम. के निर्देश के अन्तर्गत) के लिए प्रस्ताव।
  - कटवारिया सराय के निकट दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव।
- उच्चतम न्यायालय के संबंध के मिश्रित भूमि उपयोग पर सूचना संकलन।
- बदरपुर के निकट कब्रिस्तान हेतु प्रस्ताव।
- महिपालपुर योजना में सी.आर.पी.एफ. और सीमा सुरक्षा बल स्थलों पर कार्यवाही/अंतिम रूप देना।
- सी.आर.आर.आई. परिसर के अन्तर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव।
- आर. के. पुरम में लोक सभा आवासी स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव।

9.3 क्षेत्रगत योजना–II

- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जोन 'एच' की क्षेत्रीय विकास योजना को दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर रखा गया और प्रकाशन आदि आरंभ किया गया।
- निम्नलिखित मदें जांच समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी गई:–
  - i) शालीमार बाग में अस्पताल के लिए स्थल।
  - ii) लॉरेंस रोड में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थल का अनुमोदन।
  - iii) धीरपुर सुविधा केन्द्र में आई टी आई और अस्तपाल के मध्य भूमि का आदान–प्रदान।

- **भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले**
  - i) जे.जे. कॉलोनी वजीरपुर के निकट कब्रिस्तान की भूमि
  - ii) पुलिस लाइन्स, सिविल लाइन्स के लिए भूमि उपयोग का आवासीय से सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक में परिवर्तन।
  - iii) सेना संस्था के लिए 12 राजपुर रोड के लिए भूमि उपयोग का आवासीय से पी.एस.पी. में भूमि उपयोग परिवर्तन।
- **उद्योग**
  - i) एच, ए एवं बी श्रेणी के उद्योगों द्वारा भूमि वापस करने के नोटिस भेजना।
  - ii) योजना के अनुमोदन से संबंधित कार्यवाई एच, ए एवं बी श्रेणी के बड़े उद्योगों के मामले में भूमि के कब्जे आदि के लिए भूमि प्रबन्ध विंग को सूचना प्रदान करना।
- **आर.टी.आई. मामले**

i)	आवेदन प्राप्त हुए	:	48
ii)	निपटाये गए	:	48
iii)	अपील के मामले प्राप्त हुए	:	09
iv)	अपील के मामले निपटाए गए	:	09

9.4 अनधिकृत कालोनियां

I) जोन 'जे' की क्षेत्रीय विकास योजना

आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए जोन 'जे' के क्षेत्रीय विकास के मसौदे को प्राधिकरण ने 28.06.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया। आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 21.08.2006 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जोन 'जे' के लिए प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कार्यवाही के उद्देश्य से अभियन्ता सदस्य, दि.वि.प्रा. की

चिल्ला खेल परिसर का दौरा करते हुए अभियन्ता सदस्य, दि.वि.प्रा.

अध्यक्षता में एक सुनवाई एवं जांच बोर्ड गठित किया गया। सुनवाई एवं जांच बोर्ड ने दिनांक 14.03.2007 को संपन्न हुई अपनी बैठक में मसौदा क्षेत्रीय योजना को दि.मु.यो. 2021 के साथ समकालिक बनाने का निर्णय लया।

II) **के.के. माथुर सीमित**

समाज के धनाड्य वर्गों द्वारा बसाए गए फार्म हाउसों और अनधिकृत कालोनियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. के 12016/6/2006 डी डी आई बी दिनांक 25 जुलाई 2006 के माध्यम श्री के.के. माथुर, सेवा निवृत्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। विशेषज्ञों की कई बैठकों के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2006 में शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की।

III) **अनधिकृत कालोनियां**

i) 2002 के हवाई फोटोग्राफ के आधार पर, विकास क्षेत्र में पड़ने वाली 228 अनधिकृत कालोनियों के निर्मित क्षेत्र के विवरणों की जांच की गई और रिपोर्ट रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत की गई।

ii) सड़कों के विकास, सेवाएं देने आदि में बाधा का कारण बनने वाली कॉलोनियों की सूची तैयार की गई।

iii) दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मसौदा विनियम तैयार किये गए।

9.5 यमुना पार इकाई (जोन- 'ई' 8797 हैक्टे.)

I) **जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना**

- दि.मु.यो. 2021 के आधार पर जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए कार्य शुरू किया गया।

II) **जांच सीमित द्वारा अनुमोदित योजनाएं**

- पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डुमा में जागृति सी.एच.बी.एस. लिमि. के मध्य खाली पड़ी भूमि का ले आउट प्लान।
- चांद सिनेमा के निकट पटपड़गंज में सुविधा एवं बाजार शॉपिंग सेंटर के ले आउट प्लान में संशोधन।
- विश्वास नगर में सहकारी समूह आवास समिति के ले आउट प्लान में संशोधन।
- ताहिर पुर में सुविधा केन्द्र संख्या 10 एवं सेवा केन्द्र संख्या 5 के ले आउट प्लान में संशोधन।
- गीता कालोनी में सुविधा एवं व्यावसायिक केन्द्र एवं आवास परिसर में संशोधन।
- गोकुलपुरी गांव में समाज सदन स्थल की योजना।
- आई.एफ.सी. गाजीपुर के ले आउट प्लान अर्थात् कंपोजिट प्लान एवं पेपर मर्चेंट्स के प्लॉटों के लिए मानक डिजाइनों के साथ पाकेट-सी ले आउट प्लान में संशोधन तैयार किया गया एवं अनुमोति किया गया। योजना के लिए एफ.ए.आर. को पुन: लोड करने का कार्य आरंभ किया गया और जांच समिति की टिप्पणी के अनुसार पूरा किया गया।

III) **आर. टी. आई. के मामले: इस अवधि के दौरान इस इकाई में प्राप्त आर.टी.आई. के मामले और अपील निम्नानुसार हैं:**

- 13.10.2005 से 31.03.2007 तक प्राप्त कुल अनुरोध 86
- 31.03.2007 को कुल लंबित 48
- 30 दिनों से अधिक तक लंबित अनुरोध शून्य

9.6 यातायात एवं परिवहन इकाई

- तकनीकी समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किये गए:

i) प्रगति मैदान, नई दिल्ली के आस-पास यातायात अध्ययन।

ii) आई.आई.टी. गेट से पूर्वी मार्ग/रा.रा.मार्ग-8 तक बाह्य रिंग रोड के लिए कॉरिडोर सुधार योजना।

iii) सी.आर.आर.आई. द्वारा रा.रा. मार्ग-8 पर कापसहेड़ा में चार मार्गों वाले चौराहे का भेजा गया प्रस्ताव।

iv) पंखा रोड और डाबरी गांव के मध्य पालम-डाबरी रोड के लिए सुधार योजना।

v) सुल्तानपुरी नांगलोई करारी मोड़ पर ग्रेड सैपरेटर का संशोधित प्रस्ताव।

vi) बाह्य रिंग रोड पर ज्वाला हेड़ी-बेहड़ा एनक्लेव चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।

vii) रानी झांसी रोड पर प्रस्तावित ग्रेड सैपरेटर।

viii) जी.टी. शाहदरा रोड और अप्सरा बॉर्डर के निकट रोड सं. 56 पर ग्रेड सैपरेटर।

ix) यमुना पार क्षेत्र में रोड सं. 57 और कड़कड़ी मोड़ के समानांतर ट्रंक ड्रेन सं. 1 के ऊपर बाये मोड़ के लिए दांए मुड़नेवाले यातायात स्लिप रोड के लिए 2 क्लोवर लीव्स का प्रस्ताव।

x) युमनापर क्षेत्र में नोएडा मोड़ चौराहे पर 3 अतिरिक्त क्लोवर लीव्स का प्रस्ताव।

xi) राजाराम कोहली मार्ग और गीता कालोनी के निकट मार्जिनल बांध रोड के साथ शांति वन से यमुना नदी पर निर्माणाधीन नए पुल से रोड की प्रस्तावित चौराहा डिजाइन।

xii) मूलचन्द फ्लाई ओवर (स्थल पर निष्पादित) पर अन्डर पास का प्रस्ताव।

xiii) महरौली-गुड़गांव रोड (अंधेरिया मोड़) के साथ रा.रा.मार्ग-8 तक महरौली महिलापुर रोड का इसके चौराहे से प्रस्ताव (फेज-1 अनुमोदित)।

xiv) रा.रा. मार्ग -24 बाई पास को लोधी रोड से जोड़ने वाला लिंक रोड

xv) दिल्ली रोहतक रोड रा.रा.मार्ग-10 पर सुल्तानपुरी, नागलोई, करारी मोड़ चौराहे के ऊपर से फ्लाई ओवर का प्रस्ताव।

xvi) बिजवासन रेलवे लेवल क्रासिंग पर पैदल यात्रियों एवं साइकल अंडरपास का प्रस्ताव।

xvii) दिल्ली-मथुरा रोड रेलवे लाइन और रोड सं. 13 एवं 13 ए पर मथुरा रोड के नीचे अन्डर पास का प्रस्ताव।

xviii) न.दि.न.पा. परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधित बहुस्तरीय पार्किंग प्रस्ताव।

xix) 100 मीटर मार्गाधिकार अर्थात पश्चिमी यमुना केनाल से रोहतक रेलवे लाइन तक रोहिणी परियोजना के लिए यू. ई. आर. 2 के संशोधित सरेखण का प्रस्ताव।

xx) नरेला उप-नगर में क्रमशः यू.ई.आर. I एवं II 80 मी. एवं 100 मी. मार्गाधिकार की विकास योजना प्रस्ताव।

xxi) लाजपत नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर आर.यू.बी. का प्रस्ताव।

xxii) नजफगढ-बिजवासन रोड पर बिजवासन रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. का प्रस्ताव।

xxiii) सुल्तानपुरी क्रॉसिंग पर पैदल एवं साइकल अन्डरपास का प्रस्ताव और पैदल चलने वालों के लिए सीढ़ियों वाले सब-वे और साइकिलवालों के लिए रैंप के वैकल्पिक प्रस्ताव।

xxiv) यमुना पार क्षेत्र में रोड सं. 68 पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का प्रस्ताव।

xxv) डिफेंस कॉलोनी में डिफेंस कॉलोनी को जंगपुरा क्षेत्र से जोड़ते हुए आर.यू.बी. का प्रस्ताव।

xxvi) बारापुला नाला के दक्षिणी ओर सिद्धार्थ एक्स. के निकट मौजूदा दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन के नीचे आर.यू.बी. का प्रस्ताव।

* **निम्नलिखित प्रस्ताव जांच सीमित के समझ रखे गये, उन पर विचार किया गया:-**

i) प्रेस एनक्लेव रोड (रोड सं. 15) को चौड़ा करने/सुधारने की योजना।

ii) लाला लाजपतराय मार्ग से अर्चना सिनेमा तक नन्दी वीथी मार्ग की सरेखण योजना।

iii) दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो का प्रस्ताव।

iv) पंख ड्रेन के पश्चिमी किनारे के समानांतर 45 मी. मार्गाधिकार वाले रोड और बाह्य रिंग रोड और नजफगढ़ रोड को जोड़ने वाले नजफगढ़ रोड के पूर्वी ओर 30.48 मी. मार्गाधिकार वाले रोड की मिश्रित सरेखण योजना।

v) मध्य दिल्ली क्षेत्र को यमुनापार क्षेत्र से जोड़ने वाले पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर का प्रस्ताव।

vi) महरौली-बदरपुर रोड, रा. रा. मार्ग-2 के चौराहे पर फ्लाई ओवर का प्रस्ताव।

vii) दिल्ली गेट पर नेताजी सुभाष मार्ग पर जे.एल.एन. मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर का प्रस्ताव।

viii) आई.पी. मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग (ए-पॉइन्ट) पर ग्रेड सैपरेटर और आई.टी.ओ. फ्लाईओवर की सिग्नल फ्री क्रॉसिंग का प्रस्ताव।

- राष्ट्र मंडल खेल-2010 के विभिन्न खेल स्थलों को जोड़ने की जांच/प्रस्ताव।
- दिल्ली जन परिवहन नियमन प्राधिकरण के मसौदे की पुनः जांच की गई और टिप्पणी जारी की गई।
- सिविल सेन्टर मिन्टो रोड, दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र

के लिए यातायात व्यवस्था योजना की जांच की गई।

- सैक्टर 24 द्वारका में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए वाहनों की पार्किंग/आवागवन की नीतिगत जांच की गई।

9.7 विकास नियंत्रण

I) जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी

- दि.मु.यो. 2021 के आधार पर जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना का कार्य शुरू किया गया।

II) विकास नियंत्रण विंग

- डिश एंटीना संचार टावर की स्थापना की अनुमति की नीति।
- क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए मैनुअल।
- सामान्य व्यावसायिक प्लॉट पर होटलों की अनुमति देने विषयक नीति।

III) मुख्य योजना इकाई

- तकनीकी सीमित की 6(छः) बैठकें कराई गई।
- 10(दस) सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई।
- 17 अधिसूचनाओं पर कार्यवाही की गई।
- योजना विभाग से संबंधित 24 मदों वाली प्राधिकरण की 6 बैठकों के लिए ए.टी.आर.।
- उपर्युक्त कार्यों के निपटान के उद्देश्य से इस अनुभाग ने विभिन्न संगठनों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय कार्य भी किया।

चितरंजन पार्क में खेल परिसर की आधार शिला रखते हुए वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा., उच्चाधिकारियों का स्वागत करते हुए

IV) मॉनीटरिंग यूनिट, जोन-'डी' (6855 हेक्टे, नई दिल्ली)

- भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामलों के लिए तकनीकी समिति/प्राधिकरण हेतु कार्यवाली मदें तैयार की गई।
- अ.रा.बस अड्डा सराय काले खां के निकट आई.डी.टी.आर. कॉम्प्लैक्स।
- आई.टी.पी.ओ. की भूमि पर अप्पू घर में उच्चतम न्यायालय का मुकदमा हॉल, ऑडिटोरियम आदि।
- भूमि उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सहित नेताजी नगर (पार्ट) और मोती बाग (पूर्व) का पुनर्विकास।
- जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना का डिजिटीकरण शुरू किया गया और दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर डाला गया।
- डी.एम.आर.सी. मामलों की जांच की गई।
- शहरी विकास मंत्रालय, एल एण्ड डी.ओ., न.दि.न.पा. परिषद, दि.न.नि. और दि.न. कला आयोग से प्राप्त मामलों की जांच की गई।
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मामलों को डील किया गया।
- 18 आर.टी.आई. मामले और अपीलें निपटाई गई।

9.8 यमुना नदी परियोजना

I) जोन 'ओ' और भाग 'पी' की मसौदा क्षेत्रीय विकास योजना

- प्राधिकरण द्वारा जून 2006 में अनुमोदित की गई और अधिसूचना सं. एफ. 4(2) 98-एम.पी. दिनांक 21.8.2006 के माध्यम से जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की गई। जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा सुनवाई के लिए मामले पर कार्यवाही।
- 37.0 हैक्टे. और 1.05 हैक्टे. भूमि के भूमि उपयोग को क्रमशः 'कृषि एवं जल निकाय' से "आवासीय एवं सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक" में परिवर्तन को प्राधिकरण द्वारा संकल्प सं. 19/2005 और दिनांक 29.03.2005 के माध्यम से अनुमोदित किया गया और एस.ओ.सं. 294 (ई) द्वारा 8.03.2006 को

सार्वजनिक सूचना जारी की गई। विशेष जांच बोर्ड द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2006 को आपत्तियों/सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया और प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.10.2006 को एस.एस.बी. की सिफारिशें अनुमोदित की गई। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए यह प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

- राष्ट्रमंडल खेल गांव परिसर के लिए 16.5 हैक्टे. भूमि के भूमि उपयोग के 'मनोरंजनात्मक' से 'आवासीय (11.0 हैक्टे.) और व्यावसायिक (5.5 हैक्टे.) में परिवर्तन को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया और आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सूचना सं. एफ 3(73)2003/एम.पी.दिनांक 02.03.2006 द्वारा प्रकाशित किया गया। अंतिम राजपत्र अधिसूचना, अधिसूचना सं.एस.ओ. 1321 दिनांक 18.08.2006 द्वारा जारी की गई।
- 1.72 हैक्टे. भूमि के उपयोग को 'कृषि एवं जल निकाय' से सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग' में परिवर्तित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. एफ 9(10)99 एम.पी. दिनांक 25.12.2006 जारी की गई और विशेष जांच बोर्ड की सुनवाई के लिए मामले पर कार्यवाही की गई।
- मदनपुर खादर, फेज-I में ई.एस.एस. के लिए भूमि का आबंटन।
- यमुना नदी प्राधिकरण के गठन पर चर्चा की गई और मामला मार्च 2007 में शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

II) राष्ट्र मंडल खेल

- राष्ट्र मंडल खेल गांव, प्रतियोगिता स्थलों से संबंधित आर.एफ.पी./आर.एफ.क्यू. प्रलेख तैयार होने पर राष्ट्र मंडल खेल गांव से संबंधित निर्माण कार्य।

9.9 द्वारका परियोजना

- उप-नगर वाले जोन के-II की क्षेत्रीय विकास योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया।
- जोन-के-I एवं जोन-एल की क्षेत्रीय विकास योजना आरंभ की गई और दि.मु.यो.2021 के प्रावधान के अनुसार दि.मु.यो. 2021 की अधिसूचना से निर्धारित एक वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी किए जाने की संभावना है।

श्री जगदीश टाइटलर, सांसद मानसरोवर गार्डन में बहु व्यायामशाला का उद्घाटन करते हुए।

- दि.मु.यो. 2001 के प्रावधान पर जोन 'एल' की मसौदा क्षेत्रीय योजना पर कार्यवाई की गई और यह दि.मु.यो. 2021 के अनुसार अद्यतन की जा रही है।
- सैक्टर-9 से सैक्टर-21 तक मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार शुरू किया गया। इस कॉरिडोर के लिए प्राथमिक कार्य और अध्ययन की जांच डी.एम.आर.सी के परामर्श से की गई। आई.टी.ओ. से बाराखंबा, होते हुए द्वारका सैक्टर-9 तक की मेट्रो लाइन-II 2006 की अवधि के दौरान परिचालित की गई।
- अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र की स्थापना के लिए 14 हैक्टे. स्थल निर्दिष्ट किया गया।
- आई.टी. पार्क बनाने के लिए लगभग 10 हैक्टे. स्थल निर्दिष्ट किया गया और सलाहकार को आवश्यक योजना साधन उपलब्ध कराए गए।
- लगभग 140 हैक्टे. क्षेत्र में एकीकृत भाड़ा परिसर का प्रस्ताव किया गया, जिसके लिए डी.एस.आई.डी.सी. को दिए गए दो स्तरों के परामर्श को पूरा किया गया।
- भारतीय रेलवे द्वारा नियोजित किये जा रहे एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल के लिए रेलवे को आवश्यक योजना सामग्री उपलब्ध कराई गई।

पीतम पुरा में खेल परिसर का एक दृश्य

- लगभग 300 हैक्टे. क्षेत्र में डिप्लोमेटिक मिसन की स्थापना के लिए प्राथमिक कार्य शुरू किया गया।
- आवास की इस श्रेणी को लगभग 10,000 आवासीय इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि निर्दिष्ट की गई।
- परियोजना क्षेत्र में, गांग पोचनपुर, भर्थल, धूलसिरस और ककरौला की ग्राम विकास योजना शुरू की गई।
- द्वारका उपनगर में लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में गोल्फ कोर्स का प्रस्ताव किया गया।
- द्वारका के लिए जल शोधन संयत्र हेतु भूमि दिल्ली जल बोर्ड को सौंपे जाने के लिए अधिग्रहीत की गई।

9.10 रोहिणी परियोजना

i) रोहिणी की क्षेत्रीय योजना (जोन-एम), शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. के 13011/7/2006- डी डी आई बी दिनांक 26. 05.2006 के माध्यम से अनुमोदित की गई।

ii) जोन 'एन' की क्षेत्रीय योजना दि.मु.यो. 2021 के अनुसार शुरु की गई।

- रोहिणी ब्लॉक-ए, सैक्टर-30 की आवासीय प्लाटिड स्कीम का ले आउट प्लान, जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया।
- सैक्टर 34 एवं 35, फेज-4 एवं 5 के लिए तैयार किया गया सेक्टर ले आउट प्लान अनुमोदित कराया गया और सैक्टर 36 एवं 37 का सैक्टर प्लान तैयार किया गया।
- रोहिणी सेक्टर-21 एवं 23 के मध्य पी एस पी क्षेत्र-II के लिए तैयार की गई योजना को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया।
- रोहिणी, सैक्टर-20 में सुविधा बाजार और सामुदायिक सुविधा का ले आउट प्लान तैयार किया गया।
- जोन 'एच' एवं 'एम' की क्षेत्रीय विकास योजना (शहरी विकास मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार संशोधित) को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कराया गया।
- जोन-एन की क्षेत्रीय विकास योजना (मसौदा) पर कार्यवाई की जा रही है।
- अतिरिक्त आवासीय प्लाटों की व्यवस्था के साथ-साथ ई.एस.एस. के लिए संशोधित स्थल के लिए सैक्टर-29 का संशोधित ले आउट प्लान जांच समिति से अनुमोदित कराया गया और सेक्टर-29 ए-1 का प्लान संशोधित किया गया और जांच समितिद्वारा अनुमोदित कराया गया।
- सैक्टर-26 में 9 मीटर चौड़े रोड को 13.5 मी. चौड़ा करने तथा रिठाला एस टी पी के निकट 2630 आवास कार्य को जांच समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।
- पुनर्विकास योजना के लिए आउट सोर्सिंग के उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट चार गांव की प्रक्रिया के अतिरिक्त गांवों के विकास हेतु बाहरी एजेंसियों से प्राप्त सामग्री की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई।
- सैक्टर-28, में पाकेट बी 7, बी 8, बी 9, बी 10 एवं बी 11 सुविधा पाकेटों हेतु ले आउट प्लान को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया।
- रोहिणी में विभिन्न सैक्टरों में सी.एस./ओ.सी.एफ. का ले आउट प्लान तैयार किया गया और अनुमोदित कराया गया।
- यू.ई.आर-III (80 मी.) मार्गधिकार और क्रॉस सेक्शन की संशोधित संरेखण योजना शुरू की गई। रोहिणी उप-नगर को रा.रा. मार्ग-I और रा.रा. मार्ग-10 के साथ जोड़ने वाले यू.ई.आर.-II (100 मी.) मार्गाधिकार की वैकल्पिक संरेखण योजना तकनीकी समिति द्वारा

अनुमोदित कराई गई।

- विभिन्न कोर्ट केसों में उपस्थित हुए।
- पेट्रोल पंप मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कार्यवाई की गई।
- सांस्थानिक शाखा/भूमि विभाग से प्राप्त विभिन्न पत्रों की जांच की गई।
- आवासीय प्लाटों के लगभग 1930 कब्जे सौंपे गए।

9.11 नरेला परियोजना

- नरेला उप-नगर की क्षेत्रीय विकास योजना दिनांक 26.05.2006 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई जिसकी दि.मु.यो. 2021 के अनुसार इसकी समीक्षा की जा रही है।
- जोन पी II की क्षेत्रीय योजना शुरू की गई।
- उच्चतम न्यायालय के निदेश पर यमुना पुश्ता से हटाए गए झुग्गी झोंपड़ी समूहों के पुन: स्थापन के लिए सैक्टर-जी-8 में 22 हैक्टे. (लगभग) भूमि की योजना बनाई गई।
- डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक प्लाटों के विकास हेतु नरेला बवाना फेज-II में 175 हैक्टे. भूमि का ले आउट प्लान, तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- उप-अग्निशमन स्टेशन का अनुमोदित स्थल, अग्निशमन विभाग को आवंटित करने हेतु भूमि विभाग को भेजा।
- रेलवे को आवंटन हेतु आई.एफ.सी.नरेला में भाड़ा टर्मिलन हेतु निर्धारित भूमि की कार्यवाही की गई।
- 80 मी. मार्गाधिकर रोड की सरेखण योजना में आ रहे वैकल्पिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्थल के आवंटन हेतु सैक्टर जी-6 के पार्ट ले आउट प्लान को अनुमोदित किया गया।
- गावों में अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सम्पूर्ण विकास के उन्नयन के लिए नरेला परियोजना मे पड़नेवाले गाँवों की पुनर्विकास योजना के साथ-साथ आस-पास के नियोजित क्षेत्रों में विकास कार्वाई की गई।

9.12 भवन अनुभाग

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक किया गया कार्य

क्रम सं	इकाई	स्वीकृति	बी-1	अनन्तिय अनापत्ति प्रमाण पत्र	आपत्ति प्रमाण पत्र/ अनापस्ति प्रमाण पत्र	पुनर्निधता
1.	आवासीय	406	105	-	344	07
2.	आवासीय रोहिणी	787	18	-	57	Nil
3.	व्यावसायिक	1	102	67	80	06
4.	औद्योगिक	24	05	-	26	01
5.	सांस्थानिक	39	07	-	26	04
6.	ले आउट	07	09	16	28	01
	कुल	1365	211	16	561	19

1.4.2006 से 31.3.2007 तक प्राप्त राजस्व

भवन अनुमतियों, संघटन शुल्क और परिधीय प्रभार के रूप में नीलामी क्रेताओं/आबंटितियों से 11,43,10,687.00 रू. (केवल ग्यारह करोड़ तैतालीस लाख, दस हजार छ: सौ सत्तासी रू.) प्राप्त हुए

9.13 आवास एवं शहरी परियोजना विंग

9.13.1 उत्तरी जोन

आवासीय योजनाएं:-

1. **धीर पुर आवासीय योजना फेज-1 शहरी रूप:** परियोजना दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा

2. **कल्याण विहार एवं सी.सी.कालोनी के मध्य 80 म.आ. वर्ग और 64 ई डब्लू एस/जनता फ्लैट:** नक्शे भेज दिए हैं ओर 8 खाली स्कूटर गैराजों पर पत्राचार का कार्य किया जा रहा है।
3. **फैज रोड, अशोक पहाड़ी:** म.आ.वर्ग के फ्लैटों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्राचार का कार्य किया जा रहा है। सी.डी.ओ. को ड्राइंगें भी भेजी गई।
4. **राम गढ़ कालोनी के मध्य ई. डब्ल्यू. एस. आवास जहांगीर पुर:** ले आउट प्लान तैयार कर लिया गया है और मसौदा कार्यसूची, जांच सीमित के समक्ष रखी जानी है।
5. **पीतम पुरा आवास:** समन्वय कार्य, ई.एस.एस. स्थिति स्थल आवश्यकता के अनुसार संशोधित की गई।
6. **मोतिया खान में आवास:** अंतिम रूप दिया जा रहा है। दि.न. कला आयोग द्वारा नया ब्लॉक अनुमोदित किया गया।
7. **मुखर्जी नगर आवास:** दिल्ली नगर कला अयोग/सी. एफ.ओ. द्वारा अनुमोदित। विस्तृत अनुमान के लिए ड्राइंगें जारी की गई।

विविध परियोजना, समाज सदन स्थल, समन्वय पत्राचार एवं आर.टी.आई.

8 **निगमबोध घाट पर श्मशान घाट का अपग्रेडेशन:** अधिकांश सभी (90%) ड्राइगें पूरी कर ली गई हैं और कुछ ड्राइगें जिनमें से एक लकड़ी गोदाम के क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, दूसरी प्रार्थना हॉल के लिए ग्रिल डिजाइन से संबंधित है शामिल की जानी है।

9. **द्वारका में हज घर:** डिजाइन स्कीम तैयार की गई।
10. **अशोक विहार में बहुव्यायामशाला+बैडमिंटन हाल:** प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
11. **भलस्वा गोल्फ कोर्स क्लब:** डिजाइन तैयार की जा रही है।
12. **राष्ट्र मंडल खेल गांव:** परियोजना की निगरानी की जा रही है।
13. सूरजमल स्टेडियम नांगलोई के निकट श्मशान घाट
14. **क्रिकेट पेविलिअन आर. एस. के. पी. पीतमपुरा:** संशोधित स्कीम, संशोधित ड्राइंगें इंजीनिरिंग विंग को जारी की गई।

व्यावसायिक

15. **जिला केन्द्र शालीमार बाग:** जिला केन्द्र में विद्युतीकरण के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया और जांच सीमित से अनुमोदित्त कराया गया।
16. **जिला केन्द्र, वजीरपुर, नेताजी सुभाष प्लेस:** होटल के प्लॉट की नीलामी की गई, समन्वय कार्य चल रहा है।
17. **जिला केन्द्र, रोहतक रोड:** जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
18. **जिला केन्द्र, खेबर पास:** जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
19. **समाज सदन, ब्लाक-ए, शालीमार बाग:** व्यावसायिक स्थल की नीलामी की गई है और सुविधा प्लाट में विद्युतीकरण कार्य अर्थात ई.एस.एस का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है।
20. **समाज सदन ब्लाक-बी, शालीमार बाग:** अधिकांश प्लॉट नीलाम किये जाते हैं और विद्युतीकरण कार्य अर्थात ई.एस.एस कार्य अनुमोदित कर दिया गया है।
21. **लॉरेंस रोड आवासीय योजना:** उपयोग के परिवर्तन के लिए (अस्पताल स्थल) संबंधित ड्रॉइगों सहित ड्राफ्ट तैयार किया गया और जांच समिति की बैठक के लिए भेजा गया।

22. **मंगोलपुरी फेज-I:** योजना तैयार की जा रही है।

23. **मोतिया खान:** ई.एस.एस. होटल प्लाट और बहुस्तरीय पार्किंग के लिए संशोधित ले आउट प्लान अनुमोदित किया गया होटल प्लॉट की नीलामी की गई एवं समन्वय कार्य किया गया।

परिवहन केन्द्र

24. तिमारपुर परिवहन केन्द्र: सुविधा प्लाटों के लिए संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार की गई।

9.13.2 दक्षिणी जोन

I) आवासन (आवास में)

i) **जसौला, सेक्टर 9-ए में स्व.वि.यो. के आवास:** आवासीय इकाइयों की संख्या लगभग-400 है। योजना का क्षेत्रफल 2.55 हैक्टेयर है।

सभी स्थानीय निकायों से अनुमति मांगी गई है। सी. डी.ओ./संरचना द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल करके विकास योजना के साथ विस्तृत कार्य ड्राइंगें तैयार की गई थी। ड्राइंगें, निष्पादन हेतु आगे इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गई है।

2. **दो कमरे के लॉज आवास सैक्टर-10 बी, जसौला:** आवासीय इकाइयों की कुल संख्या लगभग-330 है। योजना का क्षेत्रफल 1.01 हैक्टेयर है। सी.डी.ओ. की टिप्पणी को शामिल करके कार्य ड्राइंगें तैयार की गई थी। विस्तृत ड्राइंग निविदा और निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गई।

3. **लाडो सराय में गोल्फ कोर्स के सामने दो कमरे + लॉंज आवास:** आवासीय इकाइयों की कुल सं. लगभग 220 है। योजना का क्षेत्रफल 0.95 हैक्टेयर है। विस्तृत कार्य ड्राइंगे तैयार की गई। तथापि क्षेत्रगत योजना विभाग से भूमि उपयोग परिवर्तन अभी प्रतीक्षित है।

4. **बसन्त कुंज, डी-6 के पूर्व में दो कमरे + लॉंज:** आवासीय इकाइयों की संख्या लगभग 860 है। योजना का क्षेत्रफल 3.3 हैक्टेयर है।

संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया और जांच समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेवाओं और संरचना योजना को शामिल करके विस्तृत कार्य ड्राइंगें तैयार की गई और इंजीनियरिगं विभाग को जारी की गई। यह योजना इंजीनियरिंग विभाग के साथ नियमित समन्वय करके निष्पादन के अधीन है। तीन प्रकार के नमूना फ्लैट तैयार हैं।

5. **सुल्तान गढ़ी के निकट टर्न की आधार पर आवास:** वास्तुविदीय समापन को अन्तिम रूप देने के लिए

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित क्षेत्रों में से एक

इंजीनियरिंग विभाग के साथ समन्वय किया गया। यह परियोजना समापन के चरण पर है।

नि. आ. वर्ग	305
म. आ. वर्ग	350
उच्च आय वर्ग	140
कुल आ. इ.	795
योजना का क्षेत्रफल	36000 वर्ग मीटर

6. **मोलड़ बन्द में दो कमरे + लाँज:** विस्तृत ड्राइंग, निविदा देने और निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गई।
7. **बी-4, बसन्त कुंज में 360 आ.ई, 2 कमरे + लॉज और क्लब बिल्डिंग:** उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित स्टाफ के आवासन की टिप्पणी के साथ इस परियोजना पर जांच समिति में विचार विमर्श किया गया। जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परियोजना को प्रस्तुत करने हेतु इसमें संशोधन किया जा रहा है।

II) **आवास (सलाहकार)**

1. **सुल्तान गढ़ी, बसन्त कुंज के निकट बहु आवास:** आ.इ. की कुल सं. 852 (उ.आ. वर्ग-416, म. आ. वर्ग-311 नि.आ.वर्ग-125)।

नेहरू प्लेस, जिला केन्द्र

सलाहकार के साथ करार बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

2. **सुल्तान गढ़ी, बसन्त कुंज में बड़े आवास और रिज लाइन के मध्य अतिरिक्त 2 हैक्टे. स्थल पर आवास:** म. आ. वर्ग की 268 आ.इ.नि.आ.वर्ग की 94 आ.ई.। स्थल का क्षेत्रफल 32 हैक्टे. है।

   ऊँचाई की अनुमति हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन मांगा गया है। निष्पादन और निविदा के लिए ड्राइंगे इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गई।
3. **तेहखंड में स्व स्थाने पुनर्वास योजना:** सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल।

   संरचनात्मक योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। इंजीनियरिंग विभाग ठेका प्रदान करने की कार्रवाई कर रहा है।

III) **व्यावसायिक**

जिला केन्द्र

1. **नेहरू प्लेस जिला केन्द्र फेज-II क्षेत्रफल-10.6 हेक्टे. प्लाटों की संख्या-8: परियोजना अनुमोदन हेतु दि.न.कला आयोग को पुन:** प्रस्तुत की गई। दि. न.कला आयोग की टिप्पणी के अनुसार, मेट्रो लाइन संरेखण को ध्यान में रखकर परियोजना पर पुन: कार्य किया जा रहा है। पी.पी.पी. आधार पर बहुस्तरीय एवं व्यावसायिक प्लॉट के लिए तकनीकी बोली तैयार करने में समन्वय कार्य चल रहा है।
2. **नेहरू प्लेस फेज-I का अपग्रेडेशन:** क्योस्क, साइनेज और इलुमेशन टावरों की विनिर्दिष्टियों के साथ विस्तृत ड्रांइग जारी की गई और बी.ओ.टी. आधार पर निविदाकरण।
3. **भीकाजी कामा प्लेस का अप ग्रेडेशन:** जैसा कि एस.सी.एम. द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, बहुस्तरीय पार्किंग एवं सांस्कृतिक पुलिस स्टेशन के प्लाटों को अनुमोदन के लिए दि.न.कला आयोग को भेजा जा रहा है।
4. **साकेत जिला केन्द्र:** कुल क्षेत्रफल 21.4 हैक्टे., प्लाटों की संख्या-21

   सभी प्लॉटों का निपटान कर दिया गया है। प्लॉट सं. ए 2 और ए 3 के लिए ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

5. **गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र, जसौला (जिला केन्द्र):** स्थल का क्षेत्रफल 18.2 हैक्टे. प्लाटों की सं. 14

   सभी व्यावसायिक, होटल और बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉटों की नीलामी कर दी गई है। अनौपचारिक क्षेत्र को हाट बाजार के रूप में विकसित किये जाने के लिए प्लाट सं. 17 ए और 17 बी के रूप में एकीकृत किया गया है।

6. **शॉपिंग मॉल बसन्त कुंज फेज-II क्षेत्रफल 19. 13 हेक्टेयर:** प्लॉटो की संख्या-14

   वास्तुविदीय संशोधन I के संबंध में परामर्शदाता वास्तुकार एवं नीलामी क्रेता के साथ समन्वय कार्य।

IV) **समाज सदन**

1. **समाज सदन, अलकनन्दा, कालकाजी क्षेत्रफल 3. 3 हैक्टे., प्लॉटों की संख्या 10:** परियोजना को जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और व्यावसायिक प्लॉटों की नीलामी कर दी गई है।
2. **समाज सदन ओखला फेज-I:** परियोजना को जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और व्यावसायिक प्लाटों की नीलामी कर दी गई है।
3. **समाज सदन, ए-14, कालकाजी:** संशोधित ले-आउट प्लान मुख्य योजना-2021 के अनुसार तैयार किया जा रहा है और यह जांच समिति की बैठक में रखे जाने की प्रक्रिया में है।

V) **विरासत परियोजनाएं**

1. **वास्तुकला पार्क, महरौली की सांस्कृतिक संसाधन प्रबंध योजना:** प्रस्तावित विरासत ट्रेल और साइनेज, कुली खान के मकबरा क्षेत्र का संरक्षण और पर्यावरणीय सुधार, मेटकाफ तालाब के नवीकरण के संबंध में ए. एस.आई.से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। कार्यान्वयन हेतु ड्राइंगे, इंजीनियरिंग और उद्यान विभाग को भेज दी गई है।
2. **बाग, झरना, महरौली का पुनरूद्धार:** विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ बैठकें की गई है और परामर्शदाता द्वारा एक विस्तृत संरक्षण योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है। परामर्शदाता की नियुक्ति प्रक्रियागत है।
3. **सुल्तान गढ़ी और इसके अहातों की एकीकृत संरक्षण/शहरी डिजाइन योजना:** सुल्तान गढ़ी में पांच स्मारकों के भू-दृश्यांकन और पुन: स्थापन हेतु ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। दिल्ली अध्याय-इंटैक ने पांच जीर्ण अवशेषों में पुन: स्थापन कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। शेष जीर्ण अवशेषों का पुन: स्थापन और सुदृढ़ीकरण एक माह के समय के अन्दर शुरू किया जाना है। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने शेष जीर्ण अवशेषों के पुन: स्थापन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। जीर्ण अवशेषों की खुदाई और सुदृढ़ स्तरों के अनुसार भू-दृश्यांकन सलाहकार को डिजाइन की रूप रेखा समाकलित करनी है।

   सुल्तानगढ़ी वास्तुकला पार्क के अतिरिक्त पी.एस.पी. क्षेत्र में होटल स्थलों और दि.वि.प्रा. विरासत आवास केन्द्र की नक्काशी हेतु प्रक्रिया भी विकासाधीन स्तर पर है।

4. **एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी गेट का संरक्षण:** आन्तरिक कोर्टयार्ड में निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग ने झरोखा के संरचनात्मक विशलेषण हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया है, जो मौसम के कारण कमजोर हो गया है, इसे पूरा कर लिया गया है। प्रारंम्भिक अनुमान तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग विंग को फोर कोर्ट हेतु ड्राइंगे जारी कर दी गई है। इस समय इंजीनियरिंग यूनिट

उत्तरी रिज

टेबल टेनिस मैच चल रहा है

स्थल सत्यापन तैयार कर रहा है और गिराये जाने वाले ढांचों हेतु ड्राइंगों की तैयारी की जा रही है।

VI) **खेल परिसर**

1. **जसोला में खेल परिसर:** अतिरिक्त सुविधाएं-कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट, एयरोबिक हॉल और पैवेलिअन ब्लॉक की व्यवस्था की गई है तथा उसे जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ड्राइगें इजीनियरिंग विभाग को जारी कर दी गई हैं।
2. **चितरंजन पार्क में लघु खेल परिसर:** सुविधा ब्लॉक की संकल्पनात्मक डिजाइन, रेस्टोरेंट और चेन्ज रूम तथा शौचालय सहित पेवेलियन तैयार किये गए और जांच समिति से अनुमोदित कराये गए। सी.डी.ओ. के साथ समन्वय में विस्तृत ड्राइगें तैयार की गई हैं और इन्हें निविदा एवं निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी कर दिया गया है।
3. **राष्ट्र मंडल खेल-2010 हेतु सीरीफोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन और स्क्वैश कोर्ट:** आयोजक समिति द्वारा स्थल के संक्षिप्त दस्तावेजों की समीक्षा और अनुमोदन प्रेषित किया गया तथा ई.के.एस. द्वारा विकसित किया गया। पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन हेतु मैस. आई.आर.जी. के साथ समन्वय किया गया। वित्तीय एवं विस्तृत परामर्श का समन्वय चल रहा है।
4. **बहु-व्यायामशाला भवन की विद्यमान मानक डिजाइन में संबर्धन/परिवर्तन:** संशोधित ड्राइगें तैयार की गई हैं और आवश्यक अनुमोदन हेतु निदेशक (खेल-कूद) को भेज दी गई हैं।

VII) **विविध**

1. **स्थानीय बाजार, मदनगीर:** ले आउट प्लान में संशोधन, जिसमें बहुमंजिले भवनों हेतु प्लाट, पार्किंग प्लाट और समाज सदन शामिल हैं, इसे जांच समिति की बैठक में अनुमोदित कराया गया।
2. **बहाई मंदिर में बहु-स्तरीय पार्किंग और इस्कान मंदिर (आस्था कुंज) में पार्किंग स्थल:** इंजीनियरिंग विभाग और आयुक्त भूमि प्रबंध (सी.एल.एम.) के साथ समन्वय। ड्राइंगे पहले ही जारी की जा चुकी है।
3. **बसन्त कुंज ए-2 में स्थानीय बाजार:** जांच समिति से ले आउट अनुमोदित कराया गया और उसे इंजीनियरिंग विभाग को जारी कर दिया गया है। व्यावसायिक प्लाट बेच दिया गया है।
4. **बसन्त कुंज डी-2 में स्थानीय बाजार:** जांच समिति से ले आउट प्लान अनुमोदित कराया गया है और उसे इंजीनियरिंग विभाग तथा भूमि निपटान विभाग को जारी किया गया है।
5. **जसौला पाकेट-6 में स्थानीय बाजार:** जांच समिति से ले आउट प्लान को अनुमोदित कराया गया है और उसे इंजीनियरिंग विभाग और भूमि निपटान विभाग को जारी किया गया है।
6. **ई.पी.डी.पी. कॉलोनी में प्लाट सं. 52 पर सुविधा बाजार:** जांच समिति से ले आउट प्लान में संशोधन अनुमोदित कराया गया और उसे आगे कारवाई हेतु भूमि विभाग को जारी किया गया।
7. **अलकनन्दा सामुदायिक केन्द्र में समाज सदन:** वास्तुकलात्मक विस्तृत ड्राइंग तैयार की गई और जांच समिति से अनुमोदित कराई गई। उसे आगे कार्रवाई हेतु इंजी. विभाग को भेजा गया।
8. **बदरपुर स्थानीय बाजार:** जांच समिति से ले आउट प्लान में संशोधन को अनुमोदित कराया गया है। ए. एस.आई. से आवश्यक अनुमति मांगी जा रही है।

9.13.3 पूर्वी जोन

(क) व्यावसायिक परियोजनाएं

(I) जिला केन्द्र

1. सी.बी.डी. शाहदरा

- दो व्यावसायिक प्लॉट नीलामी हेतु रखे गए।
- एक होटल प्लॉट नीलामी हेतु रखा गया।

2. मयूर विहार

- दो सर्विस अपार्टमेंट प्लॉट नीलामी के लिए रखे गए।
- एक व्यावसायिक एवं सिनेमा प्लॉट नीलामी के लिए रखा गया।
- जिला केन्द्र के सामने नाले का सुधार कार्य जांच समिति से अनुमोदित कराया गया।
- सर्विस अपार्टमेंट के उप-विभाजन और सिनेमा एवं सांस्कृतिक प्लॉटों को जांच समिति से अनुमोदित कराया गया।

3. शास्त्री पार्क

- होटल प्लॉटों की स्कीम संशोधित की गई और जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराई गई।
- चार प्लॉटों को नीलामी के लिए रखा गया।

4. लक्ष्मी नगर

- + 9'-0'' लेवल पिजा के अन्तर्गत स्टाल ड्राइंग निर्माण हेतु जारी की गई।

II) **समाज सदन**

1. यमुना विहार

- दो प्लॉट नीलामी हेतु भेजे गए।

2. आनन्द विहार

- स्कीम दिल्ली नगर कला आयोग को मॉडल, रिपोर्ट और प्रस्तुति ड्रांइग सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।
- एक होटल प्लॉट नीलामी हेतु रखा गया।

3. इंजीनियर्स अपार्टमेंट के समीप मंडावली फाजलपुर:

- स्कीम जांच समिति से अनुमोदित कराई गई।

4. उत्सव ग्राउन्ड के समीप मंडावली फाजलपुर:

- स्कीम को प्रथम चरण मे दि.न.कला आयोग से अनुमोदित कराया गया।
- तीन होटल प्लॉट नीलामी हेतु रखे गये।

5. विवेक विहार

- 4 होटल प्लॉटों को जांच समिति से अनुमोदित कराया गया।

6. कोंडली-घरौली, सेक्टर-ए

- 1 होटल प्लॉट का मामला नीलामी के लिए भेज दिया गया।

III) **स्थानीय बाजार**

1. बालाजी अस्पताल मंडावली फाजलपुर स्थित स्थानीय बाजार

- स्कीम जांच समिति से अनुमोदित करवा ली गई और नीलामी के लिए भेज दी गई।

2. अभियंता सी.जी.एच.एस. के निकट वसुंधरा एन्क्लेव स्थित स्थानीय बाजार

- स्कीम जांच समिति से अनुमोदित करवा ली गई।

3. यमुना विहार-घौंडा स्थित स्थानीय बाजार

- स्कीम जांच समिति से अनुमोदित करवा ली गई।
- एक व्यावसायिक प्लाट में संशोधन किया गया।

IV) **सुविधा बाजार**

1. सुविधा बाजार, गगन विहार

- ड्राइंग निर्माण हेतु जारी की गई।

2. सुविधा बाजार, कोंडली सेक्टर 'जी'

- ड्राइंग निर्माण हेतु जारी की गई।

3. सुविधा बाजार, यमुना विहार बी-5

- ड्राइंग निर्माण हेतु जारी की गई।

(ख) आवास

1. वसुंधरा एन्क्लेव स्थित निम्न आय वर्ग आवास:

- स्कीम संशोधित की गई और जांच समिति से अनुमोदित करवाई गई।

2. कोंडली एक्सटेंशन स्थित 300 ई.डब्ल्यू.एस.आ.ई

- कार्यशील ड्राइंग निर्माण हेतु जारी की गई।

3. नौएडा के समीप कोंडली में ई.डब्ल्यू.एस.आवास की 1350 आ.ई.

- स्कीम जांच समिति से अनुमोदित करवा ली गई।
- निम्न आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग आवास के लिए स्कीम संशोधित की गई और मॉडल सहित दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत की गई तथा ड्राइंग, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- स्कीम ई.डब्ल्यू.एस. के रूप में जांच समिति से पुन: अनुमोदित करवाई गई।

(ग) विविध परियोजनाएँ

1. चिल्ला में तरण ताल

- विस्तृत ड्राइंग जारी की गई।

2. चिल्ला में कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट

- ड्राइंग संशोधित की गई और इंजीनियरिंग विंग को जारी की गई।

3. एकीकृत भाड़ा परिसर गाजीपुर में पम्प हाऊस

- ड्राइंग संशोधित की गई।

9.13.4 द्वारका

I) जिला केन्द्र

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार जिला केन्द्र के एफ.ए.आर. को बढ़ाने के प्रस्ताव को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। भूदृश्यांकन प्लान सहित संशोधित प्लान दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया। सामान्य व्यावसायिक चार प्लाटों का मामला व्यावसायिक भूमि शाखा को निपटान हेतु भेज दिया गया।

II) सामुदायिक केन्द्र

1 **सामुदायिक केन्द्र सेक्टर-4:** इस सामुदायिक के सभी प्लाटों का मामला व्यावसायिक भूमि शाखा को निपटान हेतु भेज दिया गया।

2. **सामुदायिक केन्द्र सेक्टर-6:** संकल्पनात्मक स्तर पर दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित स्कीम द्वितीय स्तर पर अनुमोदन हेतु दिल्ली नगर कला आयोग को और अनुमोदन हेतु मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, दिल्ली अग्निशमन सेवा को प्रस्तुत की गई।

3. **सामुदायिक केन्द्र सेक्टर-17:** सामुदायिक केन्द्र के प्रस्ताव के लिए जांच समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

III) सुविधा बाजार

1. **सुविधा बाजार सेक्टर-9, द्वारका:** दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया गया। जांच समिति की सिफारिश पर प्रस्ताव दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

IV) पैडस्ट्रियन प्लाजा

सेक्टर-10 में पेडस्ट्रियन प्लाजा के डिजाइन को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

V) इन हाऊस आवासीय परियोजनाएँ

1. **एम. एल.यू पॉकेट-4 सेक्टर-11 में नि.आ.व. आवास (620 आ.ई):** स्थल समन्वय।

2. **ई.डब्ल्यू.एस.आवास सेक्टर-26 द्वारका:** प्रस्ताव जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। प्रारम्भिक अनुमान के लिए इंजीनियरिंग विंग को भेजा जा रहा है।

3. **ई.डब्ल्यू.एस. आवास सेक्टर-23 द्वारका:** प्रस्ताव जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। प्रारम्भिक अनुमान के लिए इंजीनियरिंग विंग को भेजा जा रहा है।

4. **बक्करवाला में 2 शयन कक्ष वाले बहुमंजिले आवास:** स्कीम जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई। अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को भेज दी गई।

5. **सेक्टर 19, पॉकेट-3 द्वारका में 2 शयनकक्ष वाले बहुमंजिले आवास:** स्कीम जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई। अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को भेज दी गई।

9.13.5 पश्चिमी जोन

जिला केन्द्र

1- **जिला केन्द्र पश्चिम विहार:** व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव पर संबंधित विभाग के साथ परामर्शदाता के साथ विचार किया जा रहा है। होटल के प्लाट का मामला नीलामी के लिए भेज दिया गया ।

भीकाजी कामा प्लेस जिला केन्द्र

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी के समीप मनोरंजन पार्क

2. **जिला केन्द्र राजेन्द्र प्लेस:** पार्किंग लॉट-डी का प्रस्ताव निष्पादन के लिए भेज दिया गया। स्थल समन्वय।
3. **सामुदायिक केन्द्र ब्लॉक-एच, विकासपुरी:** दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार संशोधित प्रस्ताव जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इसे संकल्पनात्मक स्तर पर अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को भेजा जा रहा है।

9.13.6 रोहिणी

I) व्यावसायिक परियोजनाएँ

1. **ट्विन जिला केन्द्र, रोहिणी:** यह स्कीम दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदित समझी जाए। लगभग सात प्लाटों का निपटान पहले ही किया जा चुका है। प्लाटों की नियंत्रण ड्राइंग निपटान विधि की प्रक्रिया में हैं।
2. **सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-7 रोहिणी:** स्कीम दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदित हो गई है और प्लाटों की विस्तृत नियंत्रण ड्राइंगें निपटान के लिए भूमि विभाग में भेजने के लिए तैयार की जा रही हैं।
3. **सामुदायिक केन्द्र सेक्टर-15, रोहिणी:** परियोजना दिल्ली नगर कला आयोग को विस्तृत भूदृश्यांकन ड्राइंग प्रस्तुत करने की शर्त पर दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। इसके बाद नियंत्रण ड्राइंगें निपटान के लिए भूमि विभाग को भेज दी जाएँगी।
4. **सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-16, रोहिणी:** स्कीम दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा पहले की बैठक में की गई टिप्पणियों का पालन करने के बाद अनुमोदित कर दिया गया है। आगे का विवरण तैयार किया जा रहा है।
5. **सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर 22, रोहिणी:** प्रस्ताव जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और इसे सिंगल इकाई के रूप में बेच दिया गया। शेष प्लाटों का विवरण निपटान के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दिया गया है।
6. **जिला केन्द्र मंगलम प्लेस:** जिला केन्द्र के उन्नयन हेतु विकास संबंधी कार्यशील ड्राइगें तैयार की जा रही हैं। होटल प्लाटों और पार्किंग गैराज के मामले संशोधन के बाद निपटान हेतु भूमि विभाग को भेज दिये गये हैं। पेडस्ट्रियन प्लाजा और हॉकर प्लाजा की ड्राइंगें स्थल अभियंता को जारी कर दी गई हैं।
7. **सुविधा बाजार सेक्टर-1, रोहिणी (अवंतिका):** स्कीम जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई है।
8. **सुविधा बाजार सर्विस दुकानों सहित सेक्टर-21, रोहिणी:** यह स्कीम सर्विस दुकानों के लिए क्षेत्र छोड़ने के बाद सिंगल इकाई के रूप में निपटान हेतु जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। सर्विस दुकानों की ड्राइंगें निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई हैं।
9. **सुविधा बाजार नं. 2 सर्विस दुकानों सहित सेक्टर-21, रोहिणी:** यह स्कीम सर्विस दुकानों के लिए क्षेत्र छोड़ने के बाद सिंगल इकाई के रूप में निपटान हेतु जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। सर्विस दुकानों की ड्राइंगें निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई हैं।
10. **शॉपिंग आर्केड एवं बैंकट हॉल, सेक्टर-3, रोहिणी:** समन्वय कार्य, निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है।
11. **सुविधा बाजार नं. 4 सेक्टर-11, रोहिणी:** यह स्कीम खाली क्षेत्र छोड़ने के बाद, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए विकसित किया जाएगा, सिंगल इकाई के रूप में निपटान हेतु जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

12. **सुविधा बाजार नं. 9 सेक्टर-11 एक्स., रोहिणी:** यह स्कीम जांच समिति से अनुमोदित मान ली गई और ड्राइंगें निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई।
13. **सुविधा बाजार नं. 1 सेक्टर-11, रोहिणी:** यह स्कीम अनौपचारिक क्षेत्र के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किये जाने वाले क्षेत्र को छोड़ने के बाद सिंगल इकाई के रूप में निपटान हेतु जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई।
14. **समाज सदन, सेक्टर-25:** प्रस्ताव जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किये जाने वाले भाग को छोड़ने के बाद सिंगल इकाई के रूप में नीलामी हेतु इसे भूमि विभाग को भेज दिया गया।
15. **समाज सदन, सेक्टर-21:** यह स्कीम जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अब जांच समिति की बैठक की टिप्पणी को शामिल करते हुए इसकी दोबारा योजना बनाई जा रही है एवं डिजाइनिंग की जा रही है।

II) **आवास परियोजनाएँ**

1. **4100 नि.आ.व.आ.इ. सेक्टर-28, रोहिणी:** ये आवास निर्माणाधीन हैं। सभी कार्यशील ड्राइंगें इंजीनियरिंग विंग को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार स्थल अभियंताओं के साथ समन्वय कार्य किया जा रहा है।
2. **680/400 नि.आ.व.आवास,सेक्टर-16, ब्लॉक-जे, रोहिणी:** बाहरी फिनिश विकास कार्य से संबंधित कुछ कार्यशील ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं। कार्य की प्रगति के अनुसार समन्वय कार्य किया जा रहा है और निष्पादन के लिए शेष ड्राइंगें जारी की जाएँगी।
3. **1800 नि.आ.व.आवास,सेक्टर-29, ग्रुप-IV, फेज-IV, रोहिणी:** परियोजना के निर्माण के लिए मूलभूत ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं। जब कभी अतिरिक्त कार्यशील ड्राइंगों की आवश्यकता होगी, उन्हें स्थल अभियंताओं को जारी कर दिया जाएगा।
4. **660, 400 नि.आ.व.आ.ई., सेक्टर-18 ब्लाक ई, रोहिणी:** निर्माणाधीन (समय-समय पर समन्वय कार्य किया जा रहा है।)
5. **200 (170) नि.आ.व.आवास, सेक्टर-18, ब्लॉक-ई, रोहिणी:** निर्माणाधीन और कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
6. **560 बहुमंजिले उ.आ.व.आवास, सेक्टर-29, रोहिणी:** यह स्कीम दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदित मान ली गई है। कार्यशील ड्राइंगें लगभग पूरी की जा चुकी हैं।
7. **1190 ई. डब्ल्यू.एस 5 मंजिले, सेक्टर-4, फेज-I, (2.2 हेक्टेयर):** इस परियोजना को जांच समिति की बैठक की तरफ से अनुमोदित मान लिया गया है और आगे के विवरण तैयार किये जा रहे हैं।
8. **उ.आ.व.आवास, सेक्टर-26, फेज-IV(1.74 हेक्टेयर):** यह स्कीम जांच समिति से अनुमोदित कराने के बाद विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
9. **बहुमंजिले आवास सेक्टर-19, फेज-II (1.5 हेक्टेयर) (256 आ.इ.):** जांच समिति में अनुमोदित और विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।
10. **2630 ई. डब्ल्यू.एस.आवास सेक्टर-26 फेज-IV (5.36 हेक्टेयर):** यह स्कीम जांच समिति से अनुमोदित कराई गई और इसकी कार्यशील ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।
11. **बहुमंजिले उ.आ.व. आवास, सेक्टर ए-9, नरेला:** यह स्कीम जांच समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। दिल्ली नगर कला आयोग की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए उसे प्रस्तुत किये जाने के लिए मॉडल एवं अन्य विवरण आदि तैयार किये जा रहे हैं।
12. **2800 ई.डब्ल्यू.एस. आवास पॉकेट-I सेक्टर-34, रोहिणी:** यह परियोजना जांच समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और मूलभूत ड्राइंगें निर्माण के उद्देश्य हेतु इंजीनियरिंग विंग को जारी कर दी गई हैं। शेष ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।
13. **2600 ई.डब्ल्यू.एस. आवास पॉकेट-2, सेक्टर-34, रोहिणी:** यह परियोजना जांच समिति की बैठक में अनुमोदित कर दी गई है और निष्पादन हेतु कार्यशील ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।
14. **5640 ई. डब्ल्यू. एस. आवास, सिरसपुर, नरेला:** इन्हें जांच समिति की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया और निर्माण हेतु मूलभूत ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।

III) **विविध कार्य**

1. **दि.वि.प्रा. कार्यालय भवन, मधुबन चौक, रोहिणी:** इस भवन का निर्माण जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

9.14 भूदृश्यांकन एवं पर्यावरण योजना इकाई

9.14.1 सौभाग्य से भारत की राजधानी, दिल्ली देश के सबसे हरे-भरे महानगरों में से एक है और दि.वि.प्रा., जो भारत में सबसे पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, सतत विकास, उन्नयन तथा शहर के हरे-भरे एवं वायुप्रद क्षेत्रों के रख-रखाव पर जोर देता है। दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसे प्राकृतिक विशेषताओं वाले स्थलों का भी संरक्षण किया है और क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों तथा समीपवर्ती हरे-भरे क्षेत्रों के रूप में खुले स्वच्छ वायुप्रद स्थानों का विकास किया है, जो इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

दि.वि.प्रा. न केवल शहर का निर्माण करता है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्ता पूर्ण जीवन भी सुनिश्चित करता है। अपने इस प्रयास में दि.वि.प्रा. हरित पट्टियों के विकास, विशिष्ट पार्कों, शहरी वनों, स्मारकों के आस-पास हरित क्षेत्रों, जैव-विविधता पार्कों आदि के विकास को बढ़ावा देता रहा है। इन्हें दि.वि.प्रा. में भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा ही डिजाइन किया जाता है।

क) इस परियोजना में मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना और डिजाइन करना सम्मिलित हैं।

ख) दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत सभी जिला पार्कों का डिजाइन और समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, शिशु पार्कों तथा आवासीय क्षेत्रों में लघु पार्कों का भी डिजाइन तैयार किया जाता है।

ग) स्वस्थ पर्यावरण बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के मानदण्डों के अनुसार दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

घ) भू-दृश्यांकन यूनिट में विशेष परियोजनाएँ जैसे-जैव-विविधता पार्क, गोल्फ कोर्स, सेनीटरी लैंडफिल स्थलों (इन्द्रप्रस्थ पार्क) का सुधार, नदी तट विकास, आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाएँ भी आरंभ की गई हैं। योजना में जलागम विकास, बरसाती पानी संग्रहण और संरक्षण तथा भू-जल रीचार्जिंग की अवधारणा को भी अपनाया गया है।

9.14.2 वर्ष के दौरान भू-दृश्यांकन इकाई द्वारा आरंभ की गईं परियोजनाएँ :-

सीरी फोर्ट खेल परिसर

I आस्था कुंज

आस्था कुंज की अवधारणा एक भू-दृश्यांकन परियोजना के रूप में की गई है, जो शहरी आवश्यकताओं को अद्वितीय रूप में पूरा करती है। यह स्थल एकदम प्राकृतिक वातावरण में 200 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बहाई मंदिर, कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर जैसे विभिन्न पूजा स्थलों से घिरा हुआ है और इन मंदिरों के विस्तार क्षेत्र के रूप में स्थित है। तथापि, नेहरू प्लेस जिला केन्द्र और समीपवर्ती क्षेत्र जैसे कैलाश कॉलोनी एवं संत नगर के निकट होने के नाते इस पार्क का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों की शहरी आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। इस पार्क का क्षेत्र निर्धारण स्थल के समीपवर्ती क्षेत्रों की अवस्थिति एवं सामीप्य के अनुसार सोच-विचार कर किया गया है।

इस पार्क के समस्त विभिन्न जोनों का विकास कार्य चल रहा है।

शहरी पार्क सुविधाएँ : इनमें प्लाजा, स्वास्थ्यकारी अच्छे भोजन वाले भोजनालय, बैठने के स्थान और झील के किनारे वाली सुविधाएँ शामिल हैं। इन प्लाजा के बीच में बैठने के स्थान और जलाशयों का कार्य विभिन्न स्तरों पर विकसित किया जा चुका है तथा अन्य विशेष कार्यों का विकास कार्य चल रहा है।

समीपवर्ती सुविधाएँ : इनमें बच्चों के खेल के मैदान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्नर, फिटनेस जोन और अन्य संबंधित सुविधाएँ शामिल हैं जिनका विकास कार्य चल रहा है।

उत्सव सभा जोन : धार्मिक स्थानों के बीच में होने के कारण इसमें उत्सव सभा क्षेत्र, प्राकृतिक पथ, ध्यान स्थल, योग कक्षाओं, प्रदर्शनी के लिए क्षेत्र और प्रवचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है।

सामाजिक-सांस्कृतिक जोन : यह क्षेत्र कार्य-कलापों का केन्द्र है, जिसमें एम्फी थियेटर, जलक्रीड़ा सुविधाएँ एवं सांस्कृतिक आयोजन, प्लाजा की सुविधाएँ हैं जिनके द्वारा सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जोन में जलाशय और पैदल पथों का निर्माण कार्य चल रहा है।

श्री अजय माकन, केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री अरावली जैव वैविध्य पार्क में

पारिस्थितिकीय क्षेत्र: यहाँ पारिस्थितिकीय क्षेत्र है जो शहरी पार्क सुविधाओं और प्राकृतिक उद्यान के बीच समन्वय जोन है। यह एक वनस्पति वाटिका है, जिसमें पेड़-पौधों का भंडार है, जिससे प्रकृति की अलग-अलग विशेषताएँ झलकती हैं। इसमें शांत मनोरंजन, मौसमी उद्यान एवं जड़ी-बूटी उद्यान है। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

II यमुना जैव वैविध्य पार्क

दिल्ली में जैव वैविध्य पार्क विकसित करने का आदर्श विचार तत्कालीन माननीय उप राज्यपाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। पहले चरण के रूप में यह 156 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वजीराबाद (बाहरी रिंग रोड) के समीप अवस्थित है। दूसरे चरण में अतिरिक्त 300 एकड़ क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा। जैव-वैविध्य पार्क का अभियान यमुना नदी बेसिन की जैव विविधता के भंडार एवं विरासत के साथ-साथ शहरी समाज को पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करता है।

- यमुना के सांस्कृतिक एवं परिस्थितिकीय इतिहास को दर्शाने वाला प्रकृति-व्याख्या केन्द्र विकसित किया जा चुका है।
- स्थल पर पौली हाऊस, नेट हाऊस और- पम्प हाऊस का निर्माण किया गया।
- आगन्तुक क्षेत्र में आधारिक संरचना जैसे फूड कियोस्क, पार्किंग का विकास कार्य किया गया।
- इस क्षेत्र में लुप्त हो गई पर्यावरणीय प्रणाली को पुन: सृजित किया जा रहा है।
- टेढ़े मेढ़े बहने वाले जलाशय और तालाब बनाये गये।
- तालाबों में घास और जल-वनस्पति लगाई गई।
- इस तालाब में पक्षियों की वृद्धि हुई है और यहां तक कि प्रवासी पक्षी भी देखे गए हैं।

III अरावली जैव वैविध्य पार्क

अरावली जैव वैविध्य पार्क का कार्य वर्ष 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आरंभ किया गया था। यह स्थल वसंत कुंज और वसंत विहार के बीच 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवस्थित है। यह स्थल अरावली पहाड़ी का पर्वत स्कंध है, जिसने अनेक प्राकृतिक झटकों का सामना भी किया है, जिसके कारण इसकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। जैव वैविध्य पार्क का अभियान अरावली पर्वत प्रणाली की जैव विविधता के भंडार एवं विरासत के साथ-साथ शहरी समाज को पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखना है। यह पार्क शिक्षा देने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और दिल्ली की जीवन आधार प्रणाली को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा।

IV यमुना नदी तट का विकास

इस स्कीम के अन्तर्गत 83 हेक्टेयर क्षेत्र, जो यमुना नदी के पश्चिमी किनारों पर समाधि क्षेत्र के पीछे पुराने रेलवे पुल और आई.टी.ओ. के बीच स्थित है, को प्रथम चरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना में एम्फी थियेटर, आगन्तुक प्लाजा, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, भोजनालय, बच्चों के लिए खेल मैदान, रख-रखाव किये गये हरित क्षेत्र, पैदल मार्ग, साइकिल मार्ग आदि, जो सक्रिय जोन का एक भाग हैं, जैसे कार्यकलापों सहित सक्रिय एवं शांत मनोरंजनात्मक जोन शामिल

हैं। शांत जोन में कई जलाशय और स्थल के बीच में बने हुए पैदल पथ तथा टेढ़े-मेढ़े साइकिल मार्ग शामिल हैं। शांत क्षेत्र का डिजाइन सक्रिय क्षेत्र के कार्यक्रम आयोजन की तुलना में निरभ्र एवं शांत वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान नाले पर जलाशय बनाया गया है।

V मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-I एवं II के बीच में पार्क

यह खुला हरित क्षेत्र फेज-I एवं II, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। यहाँ पर एक तरफ मायापुरी रोड से पहुँचा जा सकता है और इसका पहले से ही उपयोग हो रहा है, जबकि यह समुचित रूप से विकसित भी नहीं है। 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस हरित क्षेत्र में लगभग 1.00 हैक्टेयर क्षेत्र में एक समारोह-स्थल है तथा साथ में लगभग 150 कार पार्किंग करने का स्थान है। स्थल पर काफी वृक्ष हैं, जिन्हें डिजाइन में शामिल किया गया है। विद्यमान प्रविष्टि को बनाए रखा गया है जो समारोह स्थल तक पहुँचने के लिए पैदल मार्ग के रूप में उपयोग की जा रही है। सीटवॉल और झाड़ियों की क्यारियों सहित साइड में एक शिशु क्रीड़ा क्षेत्र तैयार किया गया है। 2.5 मी. चौड़ा म्यूरम मार्ग परिधि पर से होकर जाता है जो विभिन्न डिजाइन किए गए स्थानों को जोड़ता है। हरित प्रांगण, टीले, आश्रय और लॉनों के अतिरिक्त वृक्षों के नीचे चबूतरों पर बैठने के इंतजाम किए जाने का प्रस्ताव है। जे.जे. समूह की ओर से विकिट गेट से होकर एक छोटी प्रविष्टि दी गई है। कुछ किओस्कों की भी व्यवस्था की गई है, जिन तक पार्क के अंदर से और बाहर दोनों ओर से पहुँचा जा सकता है। इस क्षेत्र का दृश्यात्मक सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के बारहमासी फूलों वाले वृक्ष एवं झाड़ियों का प्रस्ताव किया गया है।

VI आजादपुर, दिल्ली में अयोध्या कपड़ा मिल्स से लिए गए हरित क्षेत्र का भू-दृश्यांकन विकास

प्रदूषक उद्योगों द्वारा वापस किए गए इस क्षेत्र को 'हरित क्षेत्र' के रूप में तैयार किया गया है। यह स्थल आजादपुर में स्थित है और लाल बाग तथा शादी नगर क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस स्थल तक पहुँचने के लिए जी.टी. रोड से और समीपस्थ क्षेत्रों के अंदर से अन्य सड़कों से पहुँच मार्ग हैं। घिरे हुए स्थानों का रूप देने के लिए परिधि के साथ-साथ 2.5 मी. चौड़े म्यूरम पैदल मार्ग की व्यवस्था करके स्थल विकसित किया गया है। मध्य भाग में बच्चों के खेलने के एक मैदान की व्यवस्था की गई है और प्रवेश द्वार के निकट एक वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर व पार्किंग की व्यवस्था भी है। जी. टी. रोड से एक औपचारिक पहुँच मार्ग आस-पास के यातायात से बचने के लिए बफर की व्यवस्था करके परिधीय वृक्षारोपण किया गया है।

VII सतपुला झील परिसर

15 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला सतपुला झील परिसर इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर तरह की मनोरंजनात्मक सुविधाओं को क्रियान्वित किया जा सके। इस स्थल पर तीन तरफ से

विकास सदन स्थित स्वागत काउन्टर पर आगंतुकों की सहायता करते हुए दि.वि.प्रा. कर्मचारी

पहुँचा जा सकता है। सतपुला स्मारक के स्वाभाविक स्वरूप को बनाए रखते हुए मुख्य प्रवेश प्लाजा का प्रस्ताव किया गया है। प्रेस एनक्लेव रोड के साथ-साथ पार्किंग क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। झील को भरने के लिए नाले का शोधित जल उपयोग में लाया जाएगा। झील के निकट एम्फी थिएटर, खाद्य स्थल (फूड कोर्ट्स), बैठने की व्यवस्था और रोलिंग भू-दृश्यांकनों जैसी विभिन्न सुविधाओं से सतपुला स्मारक के परिवेश का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जल शोधन प्रणाली, सम्प/ढांचों को डिजाइन विकास के साथ जोड़ दिया गया है। ऐतिहासिक जलाशयों को समुचित महत्व दिया गया है। स्थल से होकर जाने वाले नाले के अशोधित जल को भूमिगत सीवर पाइप द्वारा निकालकर नाले के स्वाभाविक दिशा मार्ग से मिलाने का प्रस्ताव है। सम्पूर्ण क्षेत्र को अनौपचारिक पैदल पथों एवं पुलों से जोड़ दिया गया है। विशाल सदाबहार वृक्षों, पुष्प-वृक्षों और झाड़ियों से परिसर का रंग रूप ही सुधर जाएगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हौजखास जिला पार्क में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में

VIII शिवाजी मार्ग पर एसआईईएल/एसबीएम द्वारा वापस की गई भूमि का भू-दृश्य विकास

प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे–एसआईईएल (18.85 हैक्टेयर) एवं एसबीएम (30.28 हैक्टेयर) द्वारा वापस की गई भूमि को अब 'हरित क्षेत्र' के रूप में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। भू-दृश्य प्रस्ताव में औषधीय उद्यान, गुलाब एवं सुगंधित उद्यान, फल उद्यान और शिशु-क्रीड़ा क्षेत्र शामिल हैं। शिवाजी मार्ग की तरफ पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किसी विद्यमान पक्की संरचना को आश्रय प्लेटफार्मों और मार्गों के रूप में पुन: उपयोग में लाने के लिए उचित ध्यान रखा गया है। मेट्रो को अस्थाई आधार पर सौंपे जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित 'हरित क्षेत्र' के एक विस्तार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पर भी संभव है, विद्यमान सम्पर्क-मार्गों को जारी रखा गया है। यदि व्यवहार्य होगा तो जल की उपलब्धता और भौतिक स्थायित्व के आधार पर विद्यमान तालाबों को नाव चलाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। सुविध जनक स्थानों पर घुमावदार आश्रय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। स्थल पर पड़े हुए मलबे को हरित क्षेत्रों के अन्दर टीले बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

IX राजीव गांधी खेल परिसर, बदरपुर के सामने हरित क्षेत्र का भू-दृश्यांकन विकास

राजीव गांधी खेल परिसर के सामने स्थित 7.25 एकड़ क्षेत्र, जिसे पहले खेल परिसर के भाग के रूप में विकसित किये जाने की इच्छा थी, स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद वृक्षों के कारण हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। यह स्थल पर अतिक्रमण रोकने के लिए भी आवश्यक था। इस स्थल पर बड़ी संख्या में वृक्ष और पैदल पथ मौजूद हैं। खेल परिसर के गेट के सामने पैदल पथ प्रवेश की व्यवस्था है और इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए अंडर पास का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि इस क्षेत्र के सामने मुख्य मार्ग है, इसलिए बी.ओ.टी. शौचालय का प्रस्ताव किया गया है। चार दीवारी के साथ-साथ सुव्यवस्थित ढलान की व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्र को अपेक्षित रूप से उभारा जा सके। विद्यमान वृक्षों को बचाकर रखा गया है और चारदीवारी के साथ-साथ कुछ और वृक्ष लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

X माँ आनन्दमयी मार्ग के साथ-साथ जिला पार्क की भू-दृश्यांकन योजना

माँ आनन्दमयी मार्ग के साथ-साथ मुख्य योजना हरित क्षेत्र के रूप में निर्धारित लगभग 42.28 हेक्टेयर बड़े हरित क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है:-

प्रथम भाग बड़ी संख्या में विद्यमान वृक्षों और प्राकृतिक भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं वाला मुख्य क्षेत्र है। इसकी योजना इस मार्ग को सुन्दर बनाने और जिला पार्क के दृश्य-स्तर में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। पार्क के अन्दर वृक्षारोपण एवं दूर तक दृश्य दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर टीलों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों में

हरित क्षेत्र को देखने आए मीडिया कर्मी

रूचि उत्पन्न की जा सके। इस मार्ग पर एक बड़े एंट्रेंस प्लाजा की योजना बनाई गई है। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण यहाँ पिक अप और ड्रॉप ऑफ जोनों सहित एक साइकिल मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। विद्यमान घने वृक्षों के झुरमुट में से उपयोग योग्य स्थानों की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल को साहसपूर्ण क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिसकी योजना वृक्षों के बीच की गई है। वरिष्ठ नागरिकों हेतु क्षेत्र का प्रस्ताव बच्चों के क्रीड़ा स्थल के निकट किया गया है और उसी के निकट स्नैक काउटरों का भी प्रस्ताव किया गया है। समुचित पार्किंग क्षेत्र का भी प्रस्ताव किया गया है।

दलदली भूमि को जलाश्य के रूप में विकसित किया गया है, जिसके आस-पास पिकनिक और कैम्पिंग एरिया है और जो पेड़ों के झुरमुट के बीच में है। इस स्थान पर प्राकृतिक ढलान है और ऊँचाई वाले स्थानों को मचान की व्यवस्था द्वारा, सूर्य दर्शन स्थल और पतंग उड़ाने के ढलानों आदि से और अधिक सुन्दर बनाया गया है। निवासियों के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II की ओर से एक पेडस्ट्रियन एंटरेंस प्लाजा की व्यवस्था की गई है। यहाँ अलग-अलग लेवल पर बैठने के लिए कुछ टैरेस विकसित की गई हैं। पीने के पानी की सुविधाएँ, बी.ओ.टी. शौचालय और स्ट्रीट फर्नीचर की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाएगी। भू जल और सीजनल जलाशयों को रिचार्ज करने के लिए निचले क्षेत्रों को जल स्रवण क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है।

दूसरा भाग आस्था कुंज के सभा क्षेत्र के विस्तार के रूप में है। इसके पश्चिमी तरफ विस्तृत हरित क्षेत्र है, जो अभी विकसित किया जाना है। इस पार्क के लिए पहुँच मार्ग बाहरी रिंग रोड की तरफ से बनाया गया है, जो आस्था कुंज और माँ आनन्दमयी मार्ग को जोड़ता है, ताकि पश्चिमी तरफ के अन्य हरित क्षेत्र को जोड़ा जा सके।

यह क्षेत्र दो मुख्य मार्गों के जंक्शन पर स्थित निचला क्षेत्र है, जहाँ इस समय अनेक यूक्लिप्टिस के वृक्ष उगे हुए हैं। अत: इसकी योजना दृश्यात्मक भू दृश्याकंन पार्क के रूप में की गई है, जो पर्यावरण की दृश्यात्मक सुन्दरता को बढ़ाएगा और जहाँ शैल्टर, खडंजे वाले रास्तों एवं पार्किंग सहित शांत मनोरंजनात्मक स्थल की व्यवस्था है। यहाँ सीजनल जलाशय में जल स्रवण विकसित किया गया है।

XI कालकाजी मंदिर के सामने हरित क्षेत्र की भू- दृश्यांकन योजना

कालकाजी के सामने स्थित हरित क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भ-दृश्यांकन योजना तैयार की गई थी, ताकि आस-पास के परिवेश में सुधार किया जा सके और इस पार्क का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि यह क्षेत्र यहाँ के निवासियों में लोकप्रिय है। मुख्य योजना हरित क्षेत्र के रूप में निर्धारित यह स्थल 11.67 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बाहरी रिंग रोड तथा माँ आनन्दमयी मार्ग के जक्शन पर स्थित है। इस क्षेत्र की योजना इस तरह से तैयार की गई है कि इसमें सक्रिय एवं शांत मनोरंजनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। इस स्थल पर तीन ओर से पहुँचा जा सकता है। चार दीवारी और एंटरेंस प्लाजा का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि मेन रोड की ओर से हरित क्षेत्र में वृद्धि की जा सके। पार्किंग क्षेत्र दक्षिणी तरफ बनाने का प्रस्ताव किया गया है। एक बी.ओ.टी. शौचालय माँ आनन्दमयी मार्ग के साथ-साथ और पार्किंग क्षेत्र के पास बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि लोगों की जरूरत पूरी की जा सके। यह स्थल पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ स्थलाकृति का ध्यान रखा गया है। कैक्टस उद्यान, वरिष्ठ नागरिक कार्नर, घास वाले क्षेत्र, बाल क्रीड़ा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया गया है। स्थल पर मौजूदा पथ का ध्यान रखते हुए परिधि के साथ-साथ फिटनेस ट्रेल का प्रस्ताव किया गया है।

XII संजय झील हरित क्षेत्र, त्रिलोकपुरी का उन्नयन

यह एक पुरानी भूदृश्यांकन परियोजना है जो 140 एकड़ भूमि पर विकसित की गई थी जिसमें 25 एकड़ झील क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र नीतिबद्ध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के

स्वर्ण जयंती पार्क स्थित झील

साथ-साथ स्थित है और यह पूर्वी दिल्ली का अकेला बड़ा हरित क्षेत्र है। इसे उन्नयन के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से पुन: विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। डी.टी.टी.डी.सी. यहाँ सोफ्ट एडवेंचर पार्क, मानदंडो के अनुसार पार्किंग सहित रामलील/मेला ग्राउंड विकसित कर रहा है और खिचड़ीपुर की तरफ से 24 मीटर चौड़ी सड़क से पृथक् प्रवेश स्थान तैयार कर रहा है। हरित क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न प्रवेश स्थानों पर अतिरिक्त पैदल पथ और वाहनों के प्रवेश का प्रस्ताव किया गया है। विद्यमान स्थल में से ही भू-दृश्यांकन स्थलों को निर्धारित किया जाना है, ताकि संपूर्ण क्षेत्र को अच्छा और वायुप्रद स्थान बनाया जा सके। नये वृक्ष लगाने की स्कीम भी प्रस्तावित है।

विभिन्न भू-दृश्यांकन विशेषताएँ, जिनके डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं, निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की ओर से प्रवेश मार्ग एवं अन्य प्रवेश मार्ग
- डक एन्क्लेव
- समारोह स्थल
- बैठने के स्थान
- वाटर एज डेवलेपमेंट
- घाट
- प्रवासी पक्षियों के लिए स्थान
- झील के अन्दर अतिरिक्त फव्वारे
- पैदल-पथ (ट्रेल्स)
- बाल क्रीड़ा उद्यान
- फिटनेस ट्रेल

XIII प्रसाद नगर झील की भू-दृश्यांकन योजना में परिवर्द्धन/परिवर्तन

झील के साथ-साथ पार्क काफी लम्बे समय से मौजूद है और आस-पास के निवासियों द्वारा इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। डी.टी.टी.डी.सी. इस झील में 1997 से बोटिंग की व्यवस्था कर रहा है। जिला केन्द्र की तरफ मौजूदा गेट के पास बो.ओ.टी. शौचालय की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पानी को देखने के लिए झील के किनारे रेलिंग बनाई गई है। नीरसता को भंग करने के उद्देश्य से रेलिंग के कुछ भागों में नीचे पौधे लगाए गये है। जल का आनन्द लेने के लिए किनारे के साथ-साथ जनता पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बाल क्रीड़ा क्षेत्र, प्रवेश द्वार को पुन: विकसित किया गया है। कुल मिलाकर पाँच फव्वारों की व्यवस्था की जानी है, जो वायु मिश्रण (एरेशन) द्वारा झील को साफ रखने में सहायक होंगे। प्रस्तावित है कि यदि पहले झील में मछली न छोड़ी गई हों, तो मछली भी पाली जाएँ ताकि पानी को साफ रखने में सहायता मिले।

XIV राष्ट्र मंडल खेल गाँव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ), भारत सरकार ने "भारतीय विकास/ संरचना फेज-I" (इंडिया डेवल्पमेंट/कांस्टिट्यूशन फेज-I) शीर्ष के अन्तर्गत समन्वय नं. V प्रस्तुत किया कि हरित पट्टी का विकास कार्य वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के परामर्श से किया जाएगा। रेलवे लाइन (रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर) के साथ-साथ हरित पट्टी में वृक्षारोपण की संकल्पना भूदृश्यांकन यूनिट द्वारा विकसित की गई है। वृक्षारोपण रेलवे ट्रैक से आने वाले शोर के ऊँचे लेवल, जिसे रोके जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अक्षरधाम मंदिर की दृश्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। डिजाइन संबंधी अन्य मुख्य परेशानी स्थल पर मौजूद बड़ी संख्या में कीकर और बेकार यूक्लिप्टिस के वृक्ष हैं और अन्य परेशानी समय संबंधी है, जो 2010 में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए किये गये वृक्षारोपण के पूरी तरह से बड़े वृक्ष होने के संबंध में है।

XV जहाँगीरपुरी स्थित हरित क्षेत्र का भू-दृश्यांकन

यह स्थल 9.8 हेक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आरम्भ में आवासीय विकास के लिए निर्धारित इस स्थल को जलाक्रान्त होने के कारण बाद में मनोरंजनात्मक हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया। इस स्थल पर एक समारोह स्थल, बाल क्रीड़ा क्षेत्र और जलाशय बनाने का डिजाइन तैयार किया गया है। इस स्थल पर उत्तर और दक्षिण तरफ से पहुँचा जा सकता है। समारोह स्थल के लिए लगभग 160 कारों की पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है। 2.5 मीटर चौड़े मुरम पथ की व्यवस्था की गई है। बाल उद्यान और वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र की व्यवस्था वन भूमि के पास की गई है। हरित वातावरण में शांति बनाए रखने के लिए चार दीवारी के साथ-साथ घने वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया है।

XVI निर्धारित स्थलों पर जलाशयों का विकास

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के अनेक जलाशयों के पुनरुद्धार, रखरखाव और सुधार के कार्य को पारिस्थितिकीय

एवं उन्हें बनाए रखने के रूप में आरम्भ किया है। कुल मिलाकर 11 स्थलों को पहले ही अनुमोदित/विकसित किया जा चुका है और विभिन्न जोनों में 16 स्थलों के भू-दृश्यांकन प्लान विकास कार्य के लिए अनुमोदित किये जा चुके हैं।

रोहिणी खेल परिसर

XVII रोहिणी सेक्टर-3 स्थित खेल-मैदान

रोहिणी में ब्लॉक ए,सी, एच, एफ में लगभग 72 मी. x 185 मी. आकार के चार स्थल 'पार्क एवं खेल-मैदान' के रूप मे विकास हेतु निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार, प्रत्येक स्थल पर परिधीय कच्चे जोगिंग ट्रैक सहित एक बास्केट बॉल कोर्ट, एक लॉन टेनिस कोर्ट, एक रेन शैल्टर और लगभग 12 कारों की पार्किंग की जगह की व्यवस्था की गई है। स्थलों पर आसानी से पहुँचने के लिए विकेट गेट की व्यवस्था की गई है। आस-पास के क्षेत्र से दिखाई देने के लिए चारदीवारी के साथ-साथ वृक्षारोपण और रेलिंग की व्यवस्था कर दी गई है।

XVIII तैयार की गई अन्य भू-दृश्य स्कीमें

दिल्ली में हरित क्षेत्रों के बारे में स्थानीय निकायों द्वारा बड़ी भारी मांग की जाती रही है और जनता की तरफ से भागीदारी एवं रूचि लेने में बहुत अधिक सहयोग मिलता रहा है। तैयार किये गये/बनाए जा रहे कुछ पार्कों, खेल मैदानों, खेल परिसरों की सूची नीचे दी गई है:

- निजामुद्दीन बस्ती स्थित पार्क की भू-दृश्यांकन योजना।
- मुकुन्दपुर गाँव के समीप भलस्वा गोल्फ कोर्स में से निर्धारित गाँव हेतु पार्क का भू-दृश्यांकन विकास।
- हस्थाल स्थित मुख्य योजना हरित क्षेत्र।
- वसंत कुंज, सेक्टर-ए, पाकेट-सी एवं बी के बीच हरित क्षेत्र की भू-दृश्यांकन योजना।
- संगम विहार में रतिया मार्ग के पश्चिम में हरित क्षेत्र की भू-दृश्यांकन योजना।
- मदनगीर स्थानीय बाजार के समीपवर्ती हरित क्षेत्र की भू-दृश्यांकन योजना।
- मैदान गढ़ी (छतरपुर एन्क्लेव) स्थित हरित क्षेत्र।
- कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा स्थित हरित क्षेत्र की भू दृश्यांकन योजना।
- सिद्धार्थ एक्सटेंशन में हरित क्षेत्र की भू-दृश्यांकन योजना।
- पीतमपुरा गाँव स्थित हरित क्षेत्र की भू दृश्यांकन योजना।

XIX अन्य कार्यकलाप

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष पुष्प प्रदर्शनी/उद्यान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरी दिल्ली से आए भागीदार और प्राइवेट नर्सरी भाग लेते हैं। पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी, 2007 में हौजखास जिला पार्क में किया गया भू-दृश्यांकन यूनिट पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने और प्रतियोगिता की विभिन्न प्रविष्टियों के बारे में निर्णय लेने में एक अहम भूमिका निभाती है।

युमना नदी तट विकास, भलस्वा मनोरंजनात्मक परिसर आदि जैसी परियोजनाओं के लिए विभिन्न पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण तैयार किये गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित हरित क्षेत्रों पर जन सम्पर्क विभाग और भू-दृश्यांकन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक पुस्तिका संपादित और प्रकाशित की गई।

दि.वि.प्रा. द्वारा प्रत्येक तिमाही में 'दिल्ली बायोडाइवर्सिटी फाउंडेशन' पर एक न्यूज लेटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भू-दृश्यांकन यूनिट से मुख्य सम्पादक प्रो. सी.आर. बाबू और निदेशक (एलएस) को उसकी सम्पादकीय टीम में सहायक सामग्री प्रदान की गई है।

निदेशक (भू-दृश्यांकन) एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में विभिन्न समितियों एवं समूहों जैसे-राष्ट्रमंडल खेल, दि.मु.यो.-2021, समाधि उन्नयन और पर्यावरण, भू-दृश्य एवं संरक्षण आदि को संबंधित कार्यों में सहयोग देते हैं।

10. आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास संबंधी कार्यकलापों का शुभारम्भ सन् 1967-68 में किया और समय-समय पर फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्कीमों की घोषणा की। पहली पंजीकरण स्कीम सन् 1969 में शुरू की गई थी। उसके बाद आज तक 41 और स्कीमें शुरू की गई। अभी तक शुरू की गई कुल 42 स्कीमों में से केवल 5 स्कीमें अभी चल रही हैं। अभी तक दि.वि.प्रा. ने 31.3. 2007 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 3,67,991 फ्लैटों का आबंटन किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

स्कीम का नाम	किए गए कुल आबंटन
सामान्य आवास स्कीम	65,590
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-79	1,67,310
स्व वित्त योजना/विजयी वीर आवास योजना	53,938
अम्बेडकर आवास योजना-1989	17,465
विस्तारणीय आवास योजना-1995-96/ एन.एच.एस./श्रमिक आवास योजना आदि	22,352
जनता आवास पंजीकरण योजना-96/ पंजाब एण्ड कश्मीर प्रवासी/मोतिया खान	20,942
सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी/जम्मू एण्ड-कश्मीर प्रवासी (आर.पी.एस.)	1,015
विविध	440
उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.)	3,337
सरकारी संगठन	4,670
जसोला जनता टेनामेंट्स 2003	2,252
टी.बी.आर.एच.एस. (एम.आई.जी.)2004	2,356
उत्सव आवास योजना-2004 (एच.आई.जी.-1287 + एम.आई.जी. 862+ई.एच.एस. 357)	2,506
नई आवास योजना-2006 (एच.आई.जी.-1504 + एम.आई.जी.-2018+ई.एच.एस. 296)	3,818
कुल	**3,67,991**

10.2 आवासीय योजनाओं की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है–

10.2.1. न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम–1979

म.आ.व., नि.आ.व. और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन हेतु वर्ष 1979 में एन.पी.आर.एस.–1979 स्कीम आरम्भ की गई थी। यह स्कीम अखिल भारतीय स्तर की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत आबंटित किए गए फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	47,521	46,278	शून्य
नि.आ.व.	67,502	66,744	1,043
जनता	56,249	54,288	शून्य
कुल	1,71,272	1,67,310	1,043

**पंजीकरण एवं आबंटन/बैकलॉग में अंतर रद्दकरण / फ्लैट वापस करने या योजनाओं में परिवर्तन कराने के कारण है।*

10.2.2 अम्बेडकर आवास योजना–1989

यह स्कीम एन.पी.आर.एस.-79 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 25% पंजीकरण की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत म.आ.व./नि.आ.व. एवं जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु 20,000 व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे।आबंटन का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया
म.आ.व.	7,000	5,902	शून्य
नि.आ.व.	10,000	8,575	449
जनता	3,000	2,988	शून्य
कुल	20,000	17,465	449

**पंजीकरण एवं आबंटन/बैकलॉग में अंतर रद्दकरण / फ्लैट वापस करने के कारण है।*

इस स्कीम में निम्नलिखित आरक्षण किए गए:

1. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% युद्ध में मारे गए वीरों की विधवाओं के लिए

10.2.3. जनता आवास पंजीकरण योजना 1996

यह स्कीम चरणबद्ध तरीके से जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु समाज के कमजोर वर्ग के 20000 लोगों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 1996 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित आरक्षण किए गए–

1. 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु

2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए
4. 1% शहीदों की विधवाओं के लिए
5. 2% बच्चों वाली शहीदों की विधवाओं के लिए

आबंटन की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है–

पंजीकृत व्यक्ति	आबंटन किया गया	बकाया संख्या
20,000	18,347	709

**पंजीकरण एवं आबंटन/बैकलॉग में अंतर रद्दकरण / फ्लैट वापस करने के कारण है।*

10.2.4 विजयी वीर आवास योजना–1999

विजयी वीर आवास योजना वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी और यह स्कीम शुरू में 'ऑपरेशन विजय' में शहीद हुए अथवा स्थाई रूप से विकलांग हो गए सैनिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों के लिए 10.09.1999 से 30.06.2000 तक खोली गई थी। तथापि, यह स्कीम 30 सितंबर, 2003 तक बढ़ा दी गई थी और यह मई 1999 के बाद हुए ऑपरेशन में सैनिकों की विधवाओं/निकट संबंधियों/आश्रितों के लिए भी बढ़ा दी गई थी।

इस स्कीम के अन्तर्गत 414 फ्लैटों का निर्माण किया गया था जिनमें से 312 फ्लैट दो शयन कक्ष वाले (टाइप-ए) और 102 फ्लैट तीन शयनकक्ष वाले (टाइप-बी) थे। इस समय 431 आवेदकों ने आवेदन भेजे हैं। 431 आवेदकों में से 17 आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र वापस ले लिए। शेष 414 में से 308 को टाइप-ए (2 शयन कक्ष वाले फ्लैट) और 102 को टाइप-बी (3 शयन कक्ष वाले फ्लैट) आबंटित किए गए थे, 4 ने अभी तक वांछित 90% राशि जमा नहीं की, अत: उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं किए गए।

10.2.5 पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

पंजाब के 3661 प्रवासी, जो निम्नलिखित कैंपों में ठहरे हुए थे, के पुनर्वास हेतु आवास स्कीम दिनांक 8 मार्च 2000 को आरंभ की गई थी–

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	पीरागढ़ी कैम्प	2560	दि.वि.प्रा.
2.	मंगोलपुरी कैम्प	226	डी.एस.आई.डी.सी.
3.	गोविन्दपुरी कैम्प	347	डी.एस.आई.डी.सी.
4.	जहाँगीरपुरी कैम्प	385*	दि.वि.प्रा.
5.	ज्वालापुरी कैम्प	42	स्लम एवं जे.जे.
6.	पालिका होस्टल कैम्प	36	एन.डी.एम.सी.
7.	यूथ होस्टल, मोरी गेट	65	दिल्ली प्रशासन
	कुल	**3661**	

**इन प्रवासियों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैट आबंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने इन्हें फ्लैट आबंटित करने का निर्णय लिया है।*

आबंटन के बारे में दिनांक 30.6.2007 तक नवीनतम स्थिति इस प्रकार है–

कुल प्रवासी	3,661
घटाएँ (जहाँगीर पुरी में रहने वाले प्रवासी)	385
	3,276
आबंटन हेतु आवेदन किया	3,630
आबंटित किए गए फ्लैट	3,335

दोहरे/तिहरे आबंटन और पीरागढ़ी कैम्प के पंजाब प्रवासियों को किये गये 291 आबंटन मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रद्दकरण/रोके गये कब्जा-पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक 30.6.2007 तक 3,335 में से लगभग 3000 कब्जा-पत्र जारी कर दिए गए हैं। (फ्लैट नरेला, द्वारका, रोहिणी और बिन्दापुर में आबंटित किए गए हैं।)

प्रगति मैदान में भागीदारी मेले में दि.वि.प्रा. का स्टॉल

10.2.6 कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

कुल 14 शरणार्थी कैम्प हैं, जिनमें इस समय 237 कश्मीरी प्रवासी ठहरे हुए हैं। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	हौजरानी	16	दि.न.नि.
2.	बापू धाम	24	एन.डी.एम.सी
3.	न्यू मोती नगर	23	दि.न.नि.
4.	पालिका धाम	13	एन.डी.एम.सी
5.	बलजीत नगर	49	स्लम एवं जे.जे.
6.	मंगोल पुरी-डी ब्लॉक	34	स्लम एवं जे.जे.
7.	मंगोल पुरी-एन ब्लॉक	16	दि.न.नि.
8.	सुलतान पुरी-पी-2	09	स्लम एवं जे.जे.
9.	बेगमपुर	06	दि.न.नि.
10.	साउथ एक्स, पार्ट-2	05	स्लम एवं जे.जे.
11.	कृष्णा पार्क	10	दि.न.नि.
12.	कैलाश कॉलोनी	02	दि.न.नि.
13.	अली गंज	12	दि.न.नि.
14.	नन्द नगरी	18	स्लम एवं जे.जे.
	कुल प्रवासी	**237**	
	आबंटन के लिए आवेदन किया	**228**	
	आबंटन किया गया	**228**	

फ्लैट द्वारका और रोहिणी में दिए गए।

10.2.07 सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना

दिनांक 2.7.2001 को सरकारी कर्मचारीयों के लिए आवास योजना आरम्भ की गई थी। कुल 2074 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनके आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. स.	श्रेणी	आवेदन पत्र प्राप्त हुए	आबंटन किया गया
1.	म.आ.ब.	1,464	410
2.	नि.आ.वर्ग	550	546
3.	जनता	60	59
	कुल	2,074	1,015

टिप्पणी: *असफल पंजीकृत व्यक्तियों को जमा राशि के रूप में बकाया राशि लौटा दी गई है, इस लिए कोई बैक-लाग नहीं है।*

10.2.8 मोतिया खान झुग्गी समूह के पुनर्वास हेतु आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने अपने संकल्प सं. 88/2002 दिनांक 26.12.2000 द्वारा मोतिया खान के पात्र झुग्गी वासियों के लिए रोहिणी के सैक्टर-4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक कमरे के मकान का आबंटन करने हेतु योजना का अनुमोदन किया। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मोतिया खान में 2068 आबादकार थे। दिनांक 26.09.2001 से योजना आरंभ हुई थी और 30.06.2002 तक निरंतर रही। 1288 आबादकार पात्र परिवारों को रोहिणी में मकान दिए गए हैं। अब योजना बंद हो चुकी है।

10.2.9 उच्च आय वर्ग आवासीय योजना द्वारका 2003

416 पंजीकर्ताओं को आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.10 जसौला जनता मकान योजना -2003

2215 पंजीकर्त्ताओं को आबंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.11 नरेला आवासीय योजना 2004 (30 प्रतिशत की छूट पर)

योजना दिनांक 15.4.2004 तक खुली थी, जिसमें 2,124 फ्लैटों का आबंटन हुआ और फिर योजना बंद कर दी गई।

10.2.12 दो कमरों की आवासीय योजना-2004

योजना 07.06.2004 से 07.07.2004 तक आरंभ रही इसमें लागभग 90,000 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, 12.08.2004 को 'ड्रा' हुआ। इस योजना के अंतर्गत 2,356 फ्लैटों का आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.13 उत्सव आवास योजना-2004

यह योजना 2500 बने हुए तैयार फ्लैटों के लिए 20.10.2004 से 24.11.2004 तक शुरू रही थी। दिनांक 28.1.2005 को आयोजित ड्रा में 2506 फ्लैट (उ.आ.वर्ग-1287+म.आ. वर्ग- 862+वि.आ.यो-357) आबंटित किए गए। अब यह योजना बंद कर दी गई है।

10.2.14 दि.वि.प्रा. आवासीय योजना-2006

यह योजना 'ड्रा' के माध्यम से दिनांक 22.08.2006 से 12.10.2006 तक लगभग 3500 उ. आ. वर्ग /म.आ.मर्ग /वि.आ.यो. के फ्लैटों के आबंटन हेतु जारी रही थी। लगभग 2.00 लाख आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और दिनांक 03.01.2007 के 'ड्रा' में 3,818 आबंटन हुए थे।

10.2.15 फ्लैट का परिवर्तन

प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	निपटाए गए आवेदन-पत्रों की संख्या	स्मरण-पत्र जारी किए जाने के बाद भी बकाया देयताएं एवं अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण बंद किया।	लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या
63486	60653	384	2449

स्मरण-पत्र जारी किए जाने के बाद भी बकाया देयताएं एवं अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण बंद किया।

10.2.16 योजनावार बैंक लॉग

क्र. सं.	योजना	कुल बैंक लॉग
1.	एन.पी.आर.एस-79	1,043
2.	अंबेडकर आवास योजना-89	449
3.	जे.एच.आर.एस-96	709
	कुल	**2,201**

10.2.17 म. आ. वर्ग, नि.आ. वर्ग और जनता फ्लैटों के पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतीक्षा-सूची समाप्त करने हेतु कार्य योजना।

म.आ.वर्ग	नि.आ.वर्ग	जनता	प्रस्तावित तिथि
शून्य	1043-एन.पी.आर.एस.-79 449-अ.आ.यो.-89	709	June-2007

एन.पी.आर.एस-1979 के अंतर्गत म. आ. वर्ग के लिए पंजीकृत व्यक्यिों की मुख्य-सूची पूरी की जा चुकी है। जनता/नि. आ. वर्ग से म.आ.वर्ग में परिवर्तन के मामलों और उसके अन्तिम भाग की प्राथमिकता पहले ही समाप्त हो चुकी है।

10.3 आवास लेखा विंग

10.3.1 आवास लेखा विभाग मुख्यत: फ्लैटों के आबंटन से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है।

1. वित्तीय सहमति के लिए बी.जी.डी.ए.के आरंभिक अनुमान की जांच।
2. लागत निर्धारण मामलों पर कार्यवाही और उनका निपटान।
3. फ्लैटों से संबधित प्राप्तियाँ और भुगतान तथा उनकी वसूली के खातों का रख-रखाव।
4. निर्मित दुकानों के संबंध में खातों का रख-रखाव।

10.3.2 वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप/उपलब्धियाँ।

1. आरंभिक अनुमानों की जांच

क) 13216 फ्लैटों वाली 11 आवासीय योजनाओं हेतु फ्लैटों के आरंभिक अनुमानों को वित्तीय सहमति प्रदान कर दी गई है।

ख) 16 दुकानों वाली योजना हेतु दुकानों के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान कर अन्तिम रूप दे दिया गया।

2. फ्लैटों की लागत का निर्धारण

क) 14462 फ्लैटों की लागत निर्धारन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ख) 8 नई योजनाओं के लागत निर्धारन को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें 280 दुकानें शामिल हैं।

ग) 1509 दुकानों (पुरानी योजना) के लागत निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

3. कम्प्यूटरीकरण

निम्नलिखित सॉफ्टवेयार विकसित करने के लिए कदम उठाए गए:

क) फ्लैटों की लागत निर्धारण

ख) सामान्य आवास शाखा का कंप्यूटरीकरण

ग) वेतन-चिठ्ठा लेखा

घ) आवास प्राप्तियों का ऑन-लाइन सत्यापन

दि.वि.प्रा. जनता फ्लैट

4. अन्य उपलब्धियाँ

क) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत निकालने के लिए ली जाने वाली कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष कार्य-सूची रखी गई। इसकी प्रभावी तिथियां प्रत्येक वर्ष की 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल हैं।

ख) दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में म.आ.व./उ.आ.व. की श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन हेतु साधारण जनता के लिए एक नई आवास योजना-2006 आरंभ की । इस नई योजना के अंतर्गत 3818 फ्लैटों को आबंटन हुआ है।

ग) आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवास लेखा विंग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 270 मामले प्राप्त हुए और जनता को उपयुक्त उत्तर देकर निपटाया गया तथा उनके अनुसार वांछित कागजात/सूचना दी गई।

5. वसूली कार्य को तेजी से करने के लिए उठाए गए कदम

चूककर्ता आबंटितियों से मासिक किश्तें/जुर्मानें की बकाया राशि की वसूली करने और चूककर्त्ता आबंटितियों पर दबाव डालने की दृष्टि से तथा ऐसे अबंटितियों के विरूद्ध कठोर एवं समय बद्ध कार्यवाही करने के अपने अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गई।

क) इस वित्तीय वर्ष 2006-07 क दौरान आवास लेखा खण्ड में वसूली के उद्देश्य से 5 सहायक समाहर्त्ता ग्रेड-।।/विरष्ठ लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

ख) उन 55000 चूककर्त्ता आबंटितियों को दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि में चूक नोटिस जारी किए गए है, जिन आबंटितियों ने ई.एम.आई. जमा नही कराया है।

ग) 5021 मामले रद्द करने के लिए प्रबंधन खण्ड को भेजे गए।

6. वर्ष के दौरान आवास लेखा खण्ड के कुछ अन्य कार्य

क) 10,433 लीज-होल्ड से फ्री -होल्ड परिवर्तन के मामलों में निर्णय लिये गए।

ख) कब्जा-पत्र जारी करने के लिए प्रबंधन विंग को 1850 मामलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

ग) 7,199 मामले, जिनमें पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए इच्छुक नहीं थे, धन वापसी की गई।

घ) दोषी आबंटितियों को कुछ छूट देने के लिए एक नई दण्ड मुक्त योजना उच्चाधिकारियों के लिए विचाराधीन है।

आवासीय परिसर के पास दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किया गया हरित क्षेत्र

11. भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबंध विभाग

11.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल-I की भूमि की देखभाल करने के अतिरिक्त सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई नजूल-2 की भूमि का प्रबंध एवं देख-रेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय के एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय शहरी कार्य मन्त्रालय की भी कुछ भूमि देख-भाल एवं रख-रखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आबंटन भूमि विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

11.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य

i) भूमि अधिग्रहण
ii) भूमि प्रबंध
iii) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा भूमि लिये जाने तक भूमि की सुरक्षा
iv) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना।
v) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
vi) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका निष्पादन करना।
vii) विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करना।
vii) मुख्य योजना प्रावधानों के दुरूपयोग के विरूद्ध कार्यवाही करना।

11.1.3. इसकी एक शाखा है, जो नजूल-1 की उस भूमि का कार्य करती है जो भूमि दि.वि.प्रा. के पास पूर्ववर्ती दिल्ली इम्प्रूमेंट ट्रस्ट से आई है और नजूल-2 की भूमि है जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की नीति के अंतर्गत अधिग्रहित की गई है। 1.4. 2006 से 31.3.2007 तक की अवधि के दौरान 1,932.58 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई एवं एल.ए.सी. द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई थी।

11.1.4. भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्वपूर्ण: कार्य क्षेत्र दि.वि.प्रा. की भूमि की अतिक्रमण से रक्षा करना है। दि. वि. प्रा. ने भूमि की रक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई गई है, इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी-पूर्वी, दक्षिणी-पश्चिमी एवं रोहिणी, छह जोन है।

11.1.5. प्रत्येक जोन के प्रमुख उप निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी सहायता सचिवालय एवं फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। दि. वि. प्रा. की भूमि की नियमित रूप से निगरानी एवं देखभाल सुरक्षा गार्डो द्वारा की जाती है, जिन्हें विशिष्ट गश्त क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृति को रोकने के लिए निर्माण गिराने के अभियानों की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उसे पूरा किया जाता है।

11.1.6 अप्रैल, 2006 से 31.03.2007 तक दि. वि. प्रा. ने 402 निर्माण गिराए और 168.67 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस प्रक्रिया में कच्चे, पक्के और आधे पक्के 4,388 ढ़ांचे हटाए गए। भूमि प्रबंध विभाग ने पिछले एक वर्ष के दौरान निर्माण गिराने के कुछ व्यापक अभियान चलाए, जिससे दि.वि.प्रा. की भूमि के लिए पुन: दावा कर सकें। निर्माण गिराने के कुछ ऐसे ही व्यापक कार्यक्रम सरिता विहार, यमुना पुस्ता, गीता कालोनी, गांव शाहपुर गढ़ी (नरेला), होलम्बी कलां, सरस्वती विहार, पीरागढ़ी कैम्प (पश्चिम विहार), वसंत कुंज, बेला स्टेट दरियागंज, संगम बिहार, अली गांव (सरिता बिहार), नसीर पुर गांव, गांव पीतमपुरा, पूटकलां, लाजपतनगर, लाड़ो सराय, रोहिणी सैक्टर-3, बाल्मीकि कैम्प-II (कटवारिया सराय), गांव मालवीयनगर, महरौली, हरिजनबस्ती मसूदपुर, अरकपुर बाग मोची, कड़कड़डूमा, उत्तम नगर, पालम बाजार रोड, भौर गढ़, होलम्बी कलांगांव रिठाला, जिमरानपुर बस्ती, औखला औद्योगिक क्षेत्र, गांव खिचड़ीपुर, आजादपुर गांव नाहरपुर, रोहिणी सैक्टर-10, किशन गढ़ (महरौली), गाजीपुर, खसरा नं. 75/2/1/, 2/2, 2/3, नरेला, सराय काले खाँ (निजामुद्दीन), गांव खिचडीपुर, नंन्दनगरी, तथा गांव अम्बराय सैक्टर-10, द्वारका में चलाए गए। इसने दि.वि.प्रा. की छवि एक ऐसी एजेंसी के रूप में बनाने में सहायता की है, जो प्रभावी रूप से अपनी भूमि की रक्षा करता है।

कभी-कभी निर्माण गिराने के अभियानों में मुकदमेंबाजी और कानून एवं व्यवस्था के कार्यों में पुलिस उपलब्ध न होने के कारण अभियान पुन: तय करने पड़ते हैं। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने अपने सतत प्रयासों से कुछ ऐसे महत्वपूण न्यायालय मामलें भी जीते हैं।

11.1.7 क्षतिपूर्ति शाखा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनाधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने, उनके कारण हुई क्षतिपूर्ति एवं वसूली का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। दि.वि.प्रा. सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध पी.पी. एक्ट के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही करता है। इस शाखा में 2 संपदा अधिकारी हैं, जिन्हें क्षतिपूर्ति का आंकलन करने और बेदखल करने के लिए उन्हें कार्य करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां सौंपी गई है। दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक संपदा अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए:

i)	क्षतिपूर्ति की वसूली	रू. 3,60,97,435/-
ii)	क्षतिपूर्ति के निर्णीत मामलों की संख्या	128
iii)	दिनांक 31.3.2007 तक निर्णीत बेदखली के मामले	88

चित्रगुप्त पार्क, रोहिणी

वर्ष 2003-04, 2004-2005, 2005, 2005-06 और 2006-2007 की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है।

कार्य	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
एल.ए.सी द्वारा दि.वि.प्रा. का सौंपी गई भूमि	770.697 एकड़	1765.60 एकड़	3426.97 एकड़	1932.58 एकड़
निर्माण गिराने हेतु चलाए गए अभियानों की संख्या	354	326	344	402
झुगियों को हटाकर फिर से प्राप्त की गई भूमि	259.44 एकड़	181 एकड़	158.90 एकड़	168.67 एकड़
हटाए गये ढांचे/भवन	13077	14937	4495	4388
क्षतिपूर्ति की वसूली	रू. 1.37 करोड़	रू. 1.57 करोड़	रू. 2.56 करोड़	रू. 3.61 करोड़
निर्णीत क्षतिपूर्ति मामलों की संख्या	887	321	154	128

11.1.8. 2006-07 के दौरान भूमि अधिग्रहण की मुख्य उपलब्धियां

वर्ष 2006-2007 के दौरान 155.92 एकड़ भूमि का क्षेत्र प्रदान किया गया था। पुरानी/नई दी गई भूमि में से 1932.58 एकड़ भूमि का कब्जा भूमि अधिग्रहण समहर्त्ता द्वारा दि.वि.प्रा को सौंपा गया। भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा दि.वि.प्रा को सौंपी गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

1.	पूर्वी जोन	शून्य
2.	पश्चिमी जोन	291.18 एकड़
3.	उत्तरी जोन	1527.63 एकड़
4.	दक्षिणी जोन	113.77 एकड़
	कुल	**1932.58 एकड़**

11.2 भूमि निपटान विभाग

11.2.1 व्यवसायिक भूमि

रूपए 28,69,64,90,000/- की आरक्षित राशि की बाबत 45,61,56,24,000/- रूपए की राशि की बोली के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान व्यावसायिक भूमि शाखा ने निलामी में 123 प्लाटों का निपटान किया जिनमें से होटल प्लाट के लिए मार्च, 2007 की निलामी में एक बोली लगी थी जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा अभी स्वीकृत होनी है और मार्च 2007 में 16 बोलियां व्यावसायिक प्लान की निलामी के लिए हुई। जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी है इस कार्यालय ने

नेहरू प्लेस और रोहिणी में मंगलम प्लेस में मल्टीलेवल पार्किंग के संबंध में आर. एफ .पी. को भी अंतिम रूप दिया गया है। तकनीकी योग्यता के बाद बोली लगाने वालों की सूची शीघ्र ही जारी होने वाली है। द्वारका में कन्वेंशन सैंटर के लिए टेंडर निकाला है। द्वारका में आई.टी. पार्क के विकास के परामर्श का कार्य भी शाखा ने दे दिया है।

11.2.2. भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी), रोहिणी आवासीय योजना 1981 के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए म.आ. वर्ग, नि.आ.वर्ग और जनता की विभिन्न श्रेणियों के प्लाटों के आबंटन का कार्य और नीलामी द्वारा प्लाटों का निपटान करती है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान रोहिणी आवासीय योजना-1981 के अंतर्गत 462 प्लाट आबंटित किए गए थे।

11.2.3 व्यावसायिक संपदा

व्यावसायिक संपदा शाखा सामाजिक, आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित/ अनु. जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूमि अधिग्रहित श्रेणी, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों को बिनावारी आबंटन आधाार पर और सरकारी विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिन्हें प्राधिकरण के विभिन्न संकल्पों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, को नीलामी, आबंटन और टेंडर आधार पर निर्मित सम्पत्तियों के संबध कार्यवाही करता है। इस शाखा द्वारा लाईसेंस शुल्क आधार पर निविदाओं द्वारा पार्किंग स्थलों के निपटान का कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान टेंडर निकाले गए। और कुल 1034 व्यावसायिक संपतियों को कुल 1,53,04,84,803.00 रूपए की कुल आरक्षित राशि की बाबत कुल 2,22,93,03,894.72 रूपए की बोली राशि से बेचा।

11.2.4 भूमि विक्रय शाखा/भूमि पट्टा प्रशासन (आवासीय)

पट्टा प्रशासन शाखा दिल्ली में व्यापक पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और निपटान योजना के अंतर्गत, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन्हें वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन और नीलामी द्वारा आवासीय प्लाटों के निपटान का कार्य करती है। इस अवधि में आवासीय भूमि शाखा की रिपोर्ट के अंतर्गत आरक्षित मूल्य 380.28 करोड़ रूपए की बाबत 827.07 करोड़ रूपए की बोली की राशि से वर्ष 2006-07 के दौरान नीलामी में 150 प्लाटों का निपटान किया गया है।

11.2.5 अनुमानत: कार्य निष्पादन

वर्ष 2007-08 के लक्ष्य

1. विभिन्न कालोनियों में लगभग 200 करोड़ रूपए की राशि आवासीय सम्पत्तियों को जन-नीलामी के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
2. वर्ष 2007-08 में लगभग 600 प्लॉटों के वैकल्पिक आबंटन किए जाने की आशा की जाती है और 300 करोड़ रूपए की राशि इस खाते से प्राप्त होने की सम्भावना है।
3. लगभग 317 करोड़ रूपए आवासीय कम्पलैक्स नीलामी के कोमनवैल्थ गेम्स के खाते में आने की सम्भावना है
4. लगभग 901 करोड़ रूपए द्वारका में सभा केन्द्र की निविदाओं के माधयम से प्राप्त होंगे।

11.2.6 परिवर्तन आवेदन

वित्तीय वर्ष के दौरान 8,547 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में 11, 272 परिवर्तन आवेदनों को भूमि निपटान विंग में निपटाया गया है।

11.3 भूमि लागत निर्धारण विंग

11.3.1 विकसित क्षेत्रों की पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण

द्वारका फेस-1 एवं II (सैक्टर-22 से 26 के अतिरिक्त) को रोहिणी फेस-III के साथ विकसित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2006-07 के लिए पी.डी. आर्स के नियतन के उद्देश्य से दर संरचना, रोहिणी फेस-I एवं II (जो पहले ही विकसित क्षेत्र थे) सहित इन विकसित क्षेत्रें के लिए सक्षम प्राधिकारीं के अनुमोदन के अधीन विश्लेषित और अंतिम रूप दिया गया था और वर्ष 2006-07 के दौरान इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्लाटों को भी अबंटित किया जाना और मकानों/फ्लैटों के अधीन भूमि लागत की गणना का कार्यान्वयन करने के लिए डिप्टी सी.ए.ओं(एल.सी.) /डी.ए.आर/2004-05/23 दिनांक 10.05.2006 का परिपत्र परिचालित किया।

11.3.2 लागत लाभ विश्लेषण

वर्ष 2007-08 के लिए नरेला, टीकरी कलां और रोहिणी फेस-IV एवं V के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित कार्य को भी अंतिम रूप दिया और वित्तीय वर्ष 2007-08 के आरंभ होने के पहले दि.वि.पा. के उपाध्यक्ष

से सम्यक रूप से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। सूची मदें शीघ्र तैयार करके प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हैं।

11.3.3 सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क की दरों का संशोधन

वर्ष 2006-07 के लिए सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क की दरों को निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 28.06.2006 को आयोजित बैठक में एक कार्य सूची रखी गई और प्रस्तावित दरों की संरचना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तदनुसार, मंत्रालय को दि.वि.प्रा के संकल्प स. 61/2006 में निर्दिष्ट दरों को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। मंत्रालय ने दि.वि.प्रा. को अपना अनुमोदन भेज दिया है। वर्ष 2007-08 के लिए सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क के निर्धारण के लिए इस तरह के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2007-08 के आरम्भ होने से पूर्व सम्यक एवं आग्रिम रूप से उपाधयक्ष, दि.वि.प्रा के अनुमोदन के साथ अंतिम रूप दिया गया। कार्य-सूची की मदों को शीघ्र तैयार करके प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

11.3.4 अन्य महत्वपूर्ण मदें/उपलब्धियां

- संशोधित मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के अधीन मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक उपयोग के परिसरों की अनुमति के लिए प्रभारों के निर्धारण से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के साथ अंतिम रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवासीय विकास विनियमों के लिए अनाधिकृत निर्माण के विनियम के अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए प्रभारो को भी मंत्रालय के अनुमोदन के साथ अन्तिम रूप दिया गया है। चार दीवारी शहर में चावड़ी बाजार आदि के व्यक्तियों को बेदखल करना और पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर में बसाने के लिए प्रभार के लिए पहले से निर्धारित दरों के निर्धारण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इसी अवधि में तय किये गए थे। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और भूमि निपटान विंग के लिए परिपत्र परिचालित किया गया। पहले विचारी गई दरों को ज्वालापुरी आदि से बाहर निकाले गए प्रभारित ब्यक्तियों को जिन्हें टीकरी कलां बसाया गया, चार्ज करने की कार्यवाही की गई। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए सक्षम प्राधिकरण से दरे अनुमादित कराई गई हैं और भूमि निपटान विंग को इसकी सूचना दी।
- दुरूपयोग प्रभारों की तरह का तर्कसंगत अन्य अनिवार्य मुद्दा भी तय किया गया और जोनल आधार पर दुरूपयोग प्रभारों की संगणनाा के लिए तर्केसंगत दरें सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित कराई गई और सभी संबंधित विभागों को परिचालित की गई।
- वर्ष 2006-07 के लिए अरबन एक्सटेंशन सहित ग्रामीण उपयोग जोन/ग्रामीण क्षेत्र में पैट्रोल पम्पों के लिए लाइसेंस शुल्क और उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण किया गया और उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा के अनुमोदन से दरों को अन्तिम रूप दिया गया तथा शहरी विकास मंत्रालय से अनुमोदन की शर्त पर अनुमानत रूप से परिचालित किया। अनुमोदन हेतु मंत्रालय को आवश्यक पत्र भी भेजा गया है

जिला पार्क, द्वारका

11.3.5 कम्पोजिशन शुल्क

आवासीय व्यावसायिक, सांस्थानिक और को-आपरेटिव समूह आवास सोसाइटी प्लाटों पर निर्माण में देरी के लिए कम्पोजिशन शुल्क की वसूली के लिए संशोधित दर संरचना सक्षम प्राधिकरी से अनुमोदित करवा ली गई है और सभी संबंधित विभागों को परिचालित कर दी गई है।

11.3.6 भू-भाटक/लाइसेंस शुल्क की वसूली:

25000 से अधिक चूककर्त्ता आबंटितियों के विरूद्ध

भू-भाटक की वसूली के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। किए गए विशेष प्रयासों से हमने 55.15 करोड़ रूपए की राशि की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष 44.14 करोड़ रूपए की वसूली हुई थी। समान रूप से लाइसेंस शुल्क राशि के 43.46 करोड़ रूपए वसूल किए गए, जबकि पिछले वर्ष 37.17 करोड़ रूपए की वसूली की गई थी।

11.4 प्रवर्तन शाखा (भूमि)

प्रवर्तन (भूमि) शाखा की भूमिका मुख्य योजना/जैड.डी. पी का उल्लंघन करके दुरूपयोग करने वालो का पता लगाना और कानूनी औपचारिक्ताओं के बाद एम.एम. कोर्ट में मुकदमा चलाकर दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धाारा 29(2) के साथ पढ़े जाने वाली धाारा-14 के अधीन दुरूपयोग कर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ करना है। यह व्यक्त किया जाता है कि दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनिमम, 2006 दिनांक 19.05.2006 के लागू होने के कारण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(2) के साथ पठित धाारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही केवल उस दुरूपयोग कर्त्ता के विरूद्ध की जा सकती है जो 01.01. 2006 के बाद आरम्भ करे। दिनांक 01.01.2006 से पहले वर्तमान व्यावसायिक कार्यकलापों के विरूद्ध कार्यवाही धाारा-14 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दिनांक 18.05.2007 तक बिल्कुल रोक दी गई है। वर्ष 2006-07 में एम.एम कोर्ट ने मुख्य योजनाप्रावधाानों के उल्लंघन करने पर दुरूपयोग कर्त्ताओं पर 30.29 लाख की राशि का दण्ड लगाया।

12. खेलकूद

दि.वि.प्रा. के एक खेल-कूद परिसर में अखिल भारतीय अन्तर्संस्थानिक टेबल टेनिस चैंम्पियनशिप प्रगति पर

12.1 परिचय

सन् 1982 में दिल्ली में सफल एशियाई खेलों ने दिल्ली वासियों के लिए खेल-सुविधाओं में जागरूकता पैदा की। खेल-सुविधाएँ जो जन साधारण व्यक्यिों के लिए उस समय उपलब्ध थी, बहुत अपर्याप्त थी। कुछ स्टेडियम जो एशियाई खेलों के लिए बनाए गए थे, वे सामान्यत: पहले ही कुशल खिलाड़ियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे। कुछ प्राइवेट कल्ब जो बहुत खर्चीले थे और उनका प्रयोग खेलों की बजाय अधिकतर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया गया। मुख्य योजना-दिल्ली 2001 में इस प्रकार समाज के सभी वर्गों, समस्त आयु सीमा के लोगों के लिए आसानी से प्राप्त होने वाली और सस्ती खेल सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया।

समस्त शहर में खेल परिसरों के निर्माण का उद्देश्य यह था कि लोगों को निकट स्थानों पर खेल सुविधाएं उपलब्ध हों। सन् 1989 में सीरीफोर्ट में इसकी नीव डाली गई जहां सबसे पहले खेल परिसर आरम्भ हुआ। अब दि.वि. प्रा. 13 खेल परिसरों, 26 मल्टीजिम्स, दो गोल्फ कोर्स और बहुत से खेल के मैदानों के लिए गौरवान्वित है। दिल्ली के नागरिक, अपने घरों के पास आश्चर्यचकित व्यवस्था और सुसज्जित परिसरों से आश्वस्त है। केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मामूली शुल्क संरचनाएं और विभिनन छूट प्रस्ताव, प्रतियोगिताएं और कोचिंग भी भिन्न-भिन्न आयु समूह के विधार्थियों और बच्चों के लिए उपलब्धा हे जो बहुत बड़े पैमाने पर खेल परिसरों में लोगों को उपलब्ध है। वि.वि.प्रा. के खेल कम्पलैक्सों ने खेल सुविधाऐं बढ़ाई हैं जिनसे खेल परिसरों के सदस्य और गैर-सदस्य प्रशिक्षणार्थियों ने अधिक से अधिक साहस बढ़ाया और अधिक से अधिक दिल्ली वासियों को सदस्य बनाया। दि.वि.प्रा द्वारा चलाई गई एथलैटिक्स और फुटबाल प्रमोशन योजनाएं राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर नौ-जवान फुटबालरों और एथलेटस की प्रतिभा के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर अल्प राशि के भुगतान द्वारा दि. वि.प्रा. खेल परिसर की सुविधाओं के उपयोग हेतु विद्यार्थियों के लिए बढ़ी हुई छूट और सामान्य श्रेणी सदस्यों द्वारा संदत प्रवेश शुल्क के ठीक 1/5 भुगतान पर वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष के उपर) के लिए बढ़ी हुई सदस्यता पर खेल विंग दि. वि.प्रा के खेल दृष्टिकोण को दर्शाती है। दि.वि.प्रा. खेलों के क्षेत्र को निर्धारित कोमनवैल्थ गेम्स के साथ विस्तृत कराया गया है, जहां दि.वि.प्रा. को खेल गांव के विकास का कार्य दिया गया है और अन्य विभिन्न जिम्मेदारियों के अतिरिक्त खेलो के भाग के रूप में टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिटन भी शामिल है।

12.2 खेलों में मुख्य उपलब्धियां

I) राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट

दि.वि.प्रा. खेल विंग ने निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित किया।

i) दिनांक 8 से 12 अक्तूबर, 2006 तक सीरीफोर्ट स्पोर्ट कम्पलैक्स में 13वां दि.वि.प्रा ओपन स्क्वेस टूर्नामेंट (एक राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट, 305 प्रविष्टियाँ 16 लड़के और लडकियां दोनो के लिए..... के अर्न्तगत दो लाख रूपए पुरस्कार राशि, 9 श्रेणियों में प्राप्त की थी) समापन के समय दिनांक 12 अक्टूबर 2006 को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री बी. एल जोशी ने पुरस्कार वितरण करके समापन किया।

ii) दिनांक 13 से 18 नवम्बर, 2006 तक साकेत खेल कम्पलैक्स (एस.एस.सी) में दि.वि.प्रा. राष्ट्रीय सिरीज टैनिस टूर्नामेंट (ए.आई.टी.ए रैंकिंग) (226 प्रविष्टियां समस्त भारत से प्राप्त की) श्री बी.एल.जोशी माननीय उपराज्यपाल दिल्ली, ने दिनांक 18 नवम्बर, 2006 को शुभ भावना सहित समापन के समय पुरस्कार देकर उत्सव समाप्त किया।

iii) आल इंडिया फुटबाल फैडरेशन (ए.आई.एफ.ई.) के साथ एसोशिएशन में 5 से 14 दिसम्बर, 2006 तक अम्बेडकर स्टेडियम पर यमुना खेल कम्पलैक्स (वाई. एस.सी) द्वारा तीसरे उपराज्यपाल आमंत्रणीय दि.वि.प्रा फुटबाल टूर्नामेंट, 2006 का आयोजन किया गया था और टूर्नामेंट के लिए समस्त भारत से दिल्ली सोसर एसोशिएशन (डी.एस.ए.) 8 टीम, प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि 4 लाख रूपए थी। पंजाब पुलिस फुटबाल टीम जीती और राष्ट्रीय फूटबाल क्लब, दिल्ली रनर अप थे।

iv) स्कूलों के लिए दिनांक 24 नवम्बर, से 2 दिसम्बर तक सीरीफोर्ट स्पोर्ट कम्पलैक्स (एस.एफ.एस.सी) पर दि.वि.प्रा. के 5वे उपाध्यक्ष फुटबाल टूर्नामेंट 2006 का आयोजन कराया/डीडीए फुटबाल अकेडमी ए टीम विजयी हुई।

II) काम्प्लैक्सों द्वारा टूर्नामेंटों का आयोजन

1. श्री सीरीफोर्ट कम्पलैक्स (एस.एफ.एस.सी)

i) दिनांक 7 से 13 जून, 2006 तक की शूटिंग प्रतियोगिता में श्री समरेश जैन और श्री गमन नारायण ने प्रतिभागियों को शूटिंग टिप दी।

ii) दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2007 तक स्कूलों के लिए आयोजित 5 वें इंवीटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया।

iii) मेजर मनियम परामर्शदाता कोच, एस.आर. एफ.आई के सर्वेक्षण में दिनांक 8 से 10 सितम्बर, 2006 तक स्कैवस राकेट फैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा एक इंस्ट्रक्टर कोर्स सामर्थ्य रेफ्रियों का चयन करने के लिए चलाया गया।

2. दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर (पी. डी.के.पी)

i) 5 वां इन्वीटेशनल स्कूल बास्केट बाल टूर्नामंट

ii) तीसरा इंटर स्कूल इन्वीटेशनल स्केटिंग (स्पीड) टूर्नामेंट

iii) राजीव गांधी मैमोरियल क्रीकेट टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया।

iv) ए. आई.टी.ए. रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में 250 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

v) पूर्वीजोन (इंटर स्कूल) का एथ्लेटस् से मुकाबला

3 यमुना खेल-कूद कम्पलैकस (वाई.एस.सी)

i) एक ए.आई.टी.ए. रैंकिंग टैनिस टूर्नामेंट में समस्त भारत से 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ii) इंटर कम्पलैक्स इन्वीटेशनल स्केटिंग चैम्पीयनशिप में 100 बच्चों ने भाग लिया।

iii) इंटर क्लब टीकवोन्डों चैयरमैनशिप में 6 से 18 वर्ष तक की आयु के 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv) इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 10,13 और 15 वर्ष तक की आयु के 200 बच्चों ने भाग लिया।

v) एथ्लेटिक्स में जोनल सलैक्शन ट्रेल्स में 200 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

सीरीफोर्ट खेल परिसर में इन्डोर स्टेडियम

4. चिल्ला स्पोर्टस कम्पलैक्स (सी.एस.सी.)

i) इंटर कम्पलैक्स कोचिंग सकीम/एकादमी टूर्नामेंट

ii) टैन्थ प्लस पोलियों इंटर स्कूल फूटबाल टूर्नामेंट

iii) डा. शिव कुमार कौशिक मैमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट

संजय झील परिसर

5. अन्य कम्पलैक्स

i) साकेत स्पोर्टस कम्पलैक्स (एस.एस.सी) ने दिनांक 20 से 23 दिसम्बर, 2006 तक स्कूल स्तर पर बास्केट बाल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें 14 स्कूलों ने भाग लिया। जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज विजयी हुआ।

ii) जसौला ओपन टेनिस टूर्नामेंट ने मई-जून 2006 में नेताजी सुभाष स्पोर्टस कम्पलैक्स (एन.एस.एस.सी) के माधयम से आयोजन किया, जिसमे 67 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iii) स्कूल के बच्चों के लिए बसंत कुंज स्पोर्टस कम्पलैक्स (वी.के.एस.सी.) द्वारा एक इंवीटेशनल टेबल टैनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 स्कूलों ने भाग लिया। अल्कान पब्लिक स्कूल, वसंतकुंज इसमें विजयी हुए।

iv) दिनांक 12 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2006 तक पश्चिम विहार स्पोर्टस कम्पलैक्स (पी.वी.एस.सी) द्वारा 15.. के अधीन 5वें इंटरनेशनल क्रीकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। सैंट मार्क्स पब्लिक स्कूल, मीराबाग इसमें विजयी हुआ।

v) दिनांक 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2006 तक हरिनगर स्पोर्टस कम्पलैक्स (एच.एन.एस.सी) द्वारा एक प्राइजमनी स्टेट लेवल टूर्नामेंट, 7 वे दि.वि.प्रा. इन्वीटेशनल वालीबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 टीमें भागीदार थी। राजपूताना राइफलस (आर्मी) टीम गौरव पूर्वक विजयी हुई।

vi) न्यूजीलैण्ड के चैरिस चैरनस एण्ड डेनियल विकटोरी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने 8 नवम्बर, 2006 को एच. एन.एस.सी में 'पिपोसडेंट कप' के लिए मैत्री भाव से एक मैच खेला, जिसमें बच्चों और दम्पत्तियों ने आनन्द मनाया था। कम्पलैक्स की हरियाली और परिवेशी को आगन्तुकों ने बहुत सराहा।

vii) नवम्बर, 2006 के दौरान रोहिणी खेल कम्पलैक्स (आर.एस.सी) ने दृष्टिहीनों के लिए चौथा दि.वि.प्रा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया और बहरों के लिए नौवां दि.वि.प्रा. क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया जो कम्पलैक्स के लिए वार्षिक तत्व हैं, इसमें दृष्टि हीनों की 12 टीमों और बहरों की 6 टीमों ने भाग लिया।

viii) दिनांक 5 से 9 दिसम्बर, 2006 तक राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा (आर.एस.के.पी.) में दूसरा इन्वीटेशनल बैड मिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 8 क्षेत्रीय स्कूलों ने भाग लिया।

12.3 विविध कार्यकलाप

I) **वार्षिक खेल-कूद गाला:** दिनांक 15 अक्टूबर 2006 से 15 जनवरी, 2007 के बीच दि.वि.प्रा के प्रत्येक खेल-कूद कम्पलैक्स में 15 दिनों के लिए गाला खेल-कूद का आयोजन किया गया था। महिलाओं और बच्चों सहित सभी सदस्यों के लिए बहुत से खेलों की व्यवस्था में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गुणों के आधाार पर विजयी व्यक्तियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया।

II) **कोचिंग:** शिक्षण में उनकी अपनी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कम्पलैक्सों द्वारा कोचिंग का आयोजन किया जाता है जिसके कम्पलैक्स में ही सुविधाा प्रदान की

जाती है। कुछ खेल-कूदों में तीन स्तर की कोचिंग-जो इस प्रकार से हैं- बेसिक, मध्यम और अग्रिम स्तर की हैं, आयोजित की जाती हैं। दि.वि.प्रा. खेल-कूद कम्पलैक्स योग्य अभ्यार्थियों को विशेष शिक्षणों में 10 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी को जो कोचिंग लेते हैं को मुफ्त कोचिंग दी जाती है।

III) **ग्रीष्म कोचिंग कैम्पस:** दि.वि.प्रा. खेल-कूद कम्पलैक्स भी बच्चों और आश्रित सदस्यों के लाभार्थ ग्रीष्म छुट्टियों के दौरान विविधखेल-कूद प्रशिक्षणों में ग्रीष्म कोचिंग कैम्पस का आयोजन करता है। कोशिश यह की जाती है कि सस्ते प्रभारों पर कोचिंग दी जाए।

IV) **तैराकी:** दि.वि.प्रा. में 13 तैराकी पूलों की स्थापना की (12 कम्पलैक्स में और एक हरित क्षेत्र में) वे पूल अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 तक परिचालन में रहे। सदस्यों के अतिरिक्त, पूलों को दैनिक डुबकी आधाार पर बड़े पैमाने पर अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया गया।

प्रत्येक पूल कोचिंग प्रदान करने के लिए कोचिंग देता है। कुछ कम्पलैक्सों में तैराकी के लिए विशेष कोचिंग कैम्प भी आयोजित किए गए। वैच बुकिंग के आधाार पर स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा भी पूलों का उपयोग किया जाता है। कुछ कम्पलैक्सों में पूलों के उपयोग के लिए महिलाओं के लिए अलग से समय रखा गया है, जहां इस तरह की मांग हो।

V) **विशेषीकृत सुविधाएं:** दि.वि.प्रा. वाई.एस.सी पर कृत्रिम आरोही दीवार सुविधा, एस.एफ. एस.सी. पर एयर राइफल शूटिंग और एस.एस.सी पर घुड़सवारी व्यवस्था करता है जिससे एक बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षार्थियों को ये सुविधाएं देकर लाभान्वित किया जाता है।

क्यू जी.सी, एस.एफ.एस.सी और बी.जी.सी पर तीन गोल्फ ड्राइविंग रेंज हैं। एस.एफ.एस.सी में एक मिनी गोल्फ कोर्स भी बढ़ा है।

VI) **संयुक्त कार्यकलाप और भ्रमण:**

i) रिलाइन्स उद्योगों ने पी.डी.के.पी., वाई.एस.सी, सी. एस.सी और एस.एस.सी में ग्रीष्म कोचिंग कैम्पस के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए दि.वि.प्रा. खेल-कूद कम्पलैक्सों की कोचिंग सुविधाओं का उपयोग किया।

ii) वाई.एस.सी ने 19 जुलाई, 2006 को एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया, जिसमें इस अवसर बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।

iii) श्री नन्द लाल, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने दिनांक 3 फरवरी, 2007 को वाई.एस.सी में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए उपाध्यक्ष क्रिकेट कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।

iv) श्री जयपाल रेड्डी, माननीय मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 9 अप्रैल, 2006 को द्वारका में कम्पलैक्स का निरीक्षण किया। मंत्री ने यह अनुभव किया कि कम्पलैक्स का भली भांति विकास किया गया उसकी समुचित व्यवस्था की है और द्वारका उप-शहर में यह एक आश्चर्य जनक सुविधा है।

v) एशिया की औलम्पिक परिषद के एक प्रतिनिधि मण्डल ने दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को एशिया गेम्स, 2014 की मेहमानदारी के संबंध में कम्पलैक्स का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने कम्पलैक्स के आस-पास सुविधाओं की प्रशंसा की।

VII) **फ्लैग शिप एस.एफ.एस.सी:** दि.वि.प्रा के एस.एफ. एस.सी. का प्रथम खेल-कूद कम्पलैक्स था, जिसका दिनांक 29 मार्च, 1989 को उद्घाटन हुआ और यह स्पोर्टस विंग का फ्लेग शिप है। अब दिल्ली में यह

जिला पार्क द्वारका में योग का अभ्यास करते हुए

एक सबसे प्रसिद्ध खेल-कूद का गन्तब्य स्थल है। जोगिंग ट्रेक, गोल्फ ड्राइविंग रेंज, सिंथैटिक टैनिश कोर्टस्, इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट फील्ड ठीक से व्यवस्थित हैं। समुचित रूप से चयनित जिम और एयरोबिक/योगा कक्षाओं की बहुत मांग है। कुछ विशेष विवरण निम्नलिखित है।

i) **चैम्पियन ट्रोफी टीमों के लिए अभ्यास सत्र:** उन टीमों द्वारा अभ्यास-सत्र को चलाने की एक सर्वोत्तम राय के रूप में एस.एफ.एस.सी के क्रिकेट मैदान को चुना गया था, जो चैम्पियन ट्रोफी-2006 में भाग लेने के लिए अक्टूबर से नवम्बर, 2006 के दौरान भारत में थे। विश्व की सर्वोच्च 8 टीमों ने क्रिकेट मैदान, बास्केट बाल कोर्टस का उपयोग किया और उनकी अभ्यास अनुसूची के रूप में भिन्न-भिन्न तिथियों में कम्पलैक्स की गोल्फ ड्राइविंग रेंज और कम्पलैक्स सुविधाओं की अत्यधिक संतुष्टि और प्रशंसनीयता तथा सत्कार बढ़ाया गया। कम्पलैक्स की आगन्तुक पुस्तिका में न केवल विचार ही जोड़े गए, बल्कि कम्पलैक्स में खिलाड़ियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक को एक बल्ला भी दिया गया।

ii) **टैनिस वर्क्सशोप:** श्री बोब ब्रेट, वर्ल्डरिनोंड टैनिस कोच ने खिलाड़ियों के लिए तीन दिवसीय टैनिस वर्क्सशोप चलाई और दिनांक 7 से 9 सितम्बर, 2006 तक एस.एफ.एस.सी में कोचिंग दी। बोब ने कम्पलैक्स की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और प्रभावी सुविधा में जोरदार तर्क दिए और कहा कि खिलाड़ियों के लिए अच्छी व्यवसथा ही महान वरदान है।

iii) **उत्तम जोगिंग ट्रेक:** 11 अप्रैल, 2005 के 'इण्डिया टू-डे' में शहर में उत्तम में से एक के रूप में एस. एफ.एस.सी. के जोगिंग ट्रेक को जाहिर किया और चर्चा की कि ट्रैक ''शहर के मध्य में एक छोटे-से मरूद्यान'' की तरह है। दिनांक 16 अप्रैल, 2007 को मैगजीन ने पुन: 'फिटनेस फेनस' को उघृत किया'' यह एक आश्चर्य जनक ट्रैक है, दि.वि.प्रा. द्वारा सुन्दर तरीके से व्यवस्थित है, यह सब हरियाली आपको स्वास्थय की अनुभूति कराती है।

रोहिणी में फलोद्यान

12.4 आधारिक संरचना

क)	खेल-कूद कम्पलैक्स	13
ख)	मिनी खेल-कूद कम्पलैक्स	01
ग)	स्वीमिंग पूल्स	13
घ)	खेल-कूद कम्पलैक्स में मल्टीजिम	13
ड.)	गोल्फ कोर्स	02
च)	मिनी गोल्फ कोर्स	01
छ)	गोल्फ ड्राइविंग रेजस (रात्रि विद्युत सुविधा सहित)	03 (रात्रि लाइट सुविधा सहित एस.एफ. एस सी पर एक)
ज)	ग्रीन्स (हरित पक्ष) में मल्टीजिम	26

II) वर्ष के दौरान विकसित

- पश्चिम दिल्ली में दिनांक 24 सितम्बरश 2006 और 14 जनवरी, 2007 को क्रमश: मान सरोवर गार्डन और सालवेज पार्क दोनों में जनता के लिए हरित क्षेत्र में दो मल्टीजिम खोले गए थे।
- सुन्दर विहार एक मल्टीजिम नवीनीकृत किया और दिनांक 1 मार्च, 2007 को चालू हुआ।
- बढ़े हुए द्वार और विस्तृत पार्किंग स्पेस के प्रवेश को विकसित करने के लिए साकेत खेल-कूद कम्पलैक्स (एस. एस.सी) द्वारा 1.56 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है।
- चिल्ला खेल-कूद कम्पलैक्स (सी.एस.सी) ने अपने प्रयास से कम्पलैक्स में एक फुटबाल मैदान विकसित किया।
- चिल्ला खेल-कूद कम्पलैक्स (सी.एस.पी.) में एक

एयरोबिक्स हॉल और स्वीमिंग पूल का निर्माण आरंभ हुआ।

- खेल-कूद कम्पलैक्सों में दि.वि.प्रा. के अभियान्त्रिक खण्ड द्वारा परियोजनाओं का चालू कार्य प्रगति में है।

III. **हरित क्षेत्रों में मल्टीजिम्स**

- **एस.एफ.एस.सी** - हौजखास जिम में नए जिम उपकरण लगाए गए।
- **पी.वी.एस.सी.** - सुन्दर विहार जिम हरित क्षेत्र में 1 मार्च, 2007 को चालू किया।
- **एच.एन.एस.सी. क्रमशः** दिनांक 24 सितम्बर, 2006 और 14 जनवरी, 2007 को मानसरोवर गार्डन और सालवेज पार्क, मायापुरी में मल्टीजिम्स चालू किया गया।
- **सी.एस.सी.** - मण्डावली फाजलपुर जिम की मरम्मत की गयी। नई मदें उपलब्धा करके जिम की सज्जा की ।

IV. **आधारिक संरचना का उन्नयन -मुख्य उन्नयन निम्नलिखित है:**

- **एस.एफ.एस.सी** - समन्वय के लिए एक कार्यालय और कोमनवैल्थ गेम्स, 2010 के लिए केन्द्रीय लेखा इकाई की स्थापना।

  -टैनिस एरेना में कमरों और शौचालयों का नवीनीकरण।

  -ओपन बैडमिन्टन कोर्ट्स में सिन्थैटिक की सतह बिछाना।

  -एक खेल-कूद पुस्तकालय और कला कक्षा कक्ष का क्षेत्र।
- **एस.एस.सी** - नई जिम सज्जा की कुछ नई मदें मल्टीजिम में जोड़ी गई थी।
- **एन.एस.एस.सी** - एयरोबिक हॉल, कवर्ड वैडमिन्टन कोर्ट और प्राप्त किए मिनी पवेलियन के निर्माण के लिए सक्रीनिंग कमेटी का अनुमोदन।
- **वी.के.एस.सी** - अभ्यास टेनिस वाल का परिचालन किया।
- **पी.वी.एस.सी** -हैलोजन को हटाकर मैटल-हैलिड लाइटस लगाई।
- **एच.एन.एस.सी** - अभ्यास पिच के निर्माण। में प्रगति। वाकिंग/जोगिंग ट्रेक में सुधार ।
- **आर.एस.के.सी.** - एक हार्ड और टर्फ क्रिकेट प्रेक्टिस जोड़ी गई। सिन्थैटिक कार्ट निर्माण प्रगति में है।
- **सी.एस.सी.** - फुटबाल मैदान विकसित किया और परिचालन किया।
- एक कोट में बास्केट बाल बोर्ड और पोल्स लगवाए।

VI) **भविष्य योजनाएं**

i) तीन स्वीमिंग पूल्स- सी.एस.सी, विकासपुरी और कान्तिनगर जो निर्माणाधीन हैं। भविष्य में स्वीमिंग पूल्स बी.ओ.टी के आधाार पर होंगे।

ii) अलकनन्दा में एक मिनी खेल-कूद कम्पलैक्स का विकास

iii) क्षेत्र में चार और प्रस्तावित खेल-कूद कम्पलैक्सों का विकास होना है जो इस समय निरीक्षणाधीन हैं। ये नरेला, करोल बाग/ पटेल नगर/ राजेन्द्र नगर, रोहिणी फेस-III एवं द्वारका फेज-II में होंगे।

iv) भलस्वा गोल्फ कोर्स के विकास के साथ द्वारका में एक गोल्फ कोर्स की योजना बनाई जा रही है, जिससे 18 होल होंगे। एक दूसरा, गोल्फ कोर्स, विभिन्न एजेन्सियों की ओर से अनापत्ति प्राप्त होने की शर्ते पर प्रस्तावित सी. डब्ल्यू.जी.2010 गेम्स गांव के पास यमुना बैंड के साथ विचाराधीन है।

v) विद्यमान खेल-कूद परिसरों की प्रोन्नति से सुविधाओं में सुधार हो।

12.5 खेल-कूद प्रोत्साहन योजना

दि.वि.प्रा ने फूटबाल और एथलैटिक्स प्रोत्साहन योजना की वृद्धि के साथ ये दो खेल-कूद योजनाएं बनाई हैं। पदमश्री और अर्जुन पुरस्कारी श्री जी.एस.रणधाावा एथलैटिक्स दि.वि.प्रा. का सलाहकार है और मैलिन डी' सौजा (एक्स एफ.आई.एफ.ए रैफ्री) फूटबाल का सलाहकार है।

12.5.1 एथलैटिक्स प्रोत्साहन योजना

पुनरीक्षणधीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलें की योजना में प्रशिक्षणाधीन 16 एथलेट्स ने 36 गोल्ड, 24 सिल्वर और 7 ब्रोंज मैडल जीते।

12.5.2 फूटबाल प्रोत्साहन योजना

दि.वि.प्रा फुटबाल प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 75 प्रशिक्षणार्थी फुटबाल कोचिंग के लिए गए थे। चतुर फुटबाल खिलाड़ियों को प्राप्त करने के लिए जांच परीक्षा और वर्षिक तत्व से चयन करने के लिए श्री मौलिन

डी सौजा के निरीक्षण में आयोजन किया और निम्न प्रकार से अपनी कोचिंग की टीम बनाई।

- यमुना खेल-कूद कम्पलैक्स (वाई.एस.सी) में दिनांक 8 से 9 जून, 2006 तक
- सीरीफोर्ट खेल-कूद कम्पलैक्स (एस.एफ. एस. सी.) में दिनांक 22 से 23 जून, 2006 तक

चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 1 अगस्त, 2006 की योजना में लिया गया।

इसमें निम्नलिखित उपलब्धियां हुई-

i) सुवर्तो कप फूटबाल टूर्नामेंट में 31 लड़कों ने अपनी स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया।

ii) 11 लड़के दिल्ली स्टेट (यू-16) टीम के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तरी जोन में भाग लिया। कलकत्ता/गोवा के कोचिंग कैम्पस के प्राशिक्षण हेतु ए.आई.एफ. एफ. ने होनहार फूटबाल खिलाड़ियों के रूप में तीन प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया था।

विजेता को ट्राफी प्रदान करते हुए दिल्ली के प्रशासक और हरियाणा के राज्यपाल डा. ए. आर. किदवई

iii) पब्लिक स्कूल (सुबर्तो पार्क/लोदी रोड़ पर एयर फोर्स बाल भारती स्कूल) में 18 प्रशिक्षणार्थियों ने फूटबाल में अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के कारण नि:शुल्क प्रवेश पाया। उन्हें शिक्षा शुल्क और यातायात प्रभारों में भी छूट दी गई।

iv) दिल्ली और देश के अन्य शहरों में खेले गए 8 मुख्य टूर्नामेंटों में हमारी टीमों ने भाग लिया और प्रशंसनीय कार्य किया। दि.वि.प्रा. फूटबाल अकादमी टीम ने प्रथम बार ओ. एन. जी.सी. गोल्डन जुबली टूर्नामेंट (यू-17) जीता जो दिनांक 15 से 28 अक्टूबर, 2006 तक स्कूलों के लिए रखा गया था। दिल्ली में दि.वि.प्रा. टीम ने स्कूलों के मध्य उत्तम टीम के रूप में प्रकट किया था।

12.5.3 गोल्फ प्रोत्साहन

- लाडो सराय कुतुब गोल्फ कोर्स (क्यू.जी.सी) ने 2006 में मुख्य टूर्नामेंटों जैसे- उप-राज्यपाल कप, सी.ए.जी कप, एडमिरल कप, द्वितीय प्रो-एम टूर्नामेंट भी आयोजित किए गए। भारत में मात्र पब्लिक गोल्फ कोर्स और क्यू जी.सी. ही प्रथम है।
- पी.एच.डी.सी.सी.आई-गोल्फ टूर्नामेंट- कोमर्स और इंडस्ट्री (पी.एच.डी.सी.सी.आई) के पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बरों ने 28 अक्टूबर, 2006 को क्यू. जी.सी पर गोल्फ टूर्नामेंट, 2006 का आयोजन किया। छ: देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों के साथ डिप्लोमेटस वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी, मेजर कोरपोरेट हाऊसों के नोरिड इंडस्ट्रेलिस्टस ओर लीडरों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया।
- एक आंतरिक- नोएडा गोल्फ कल्ब और क्यू.जी.सी के बीच 16 सितम्बर, 2006 को क्यू.जी.सी पर एक क्लब गोल्फ टूर्नामंट खेला गया था, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया।
- दिनांक 28 से 29 मार्च, 2006 तक क्यू.जी.सी पर टर्फ मैनेजमेंट पर एक सेमीनार हुआ था। टर्फ इंडस्ट्री, गोल्फ कोर्स विकास, रख-रखाव और अभ्यासों की व्यवसथा में अन्तिम प्रवृत्ति के बारे में अधिक सीखने के लिए ध्यान से सीखने और तेज बुद्धि के लिए दो दिन की कार्यशाला हुई।
- क्यू.जी.सी को प्रोत्साहित किया गया है और 6000 गज से अधिक बढ़ा कोर्स, कुल लम्बाई के साथ फुल 18 होल गोल्फ कोर्स में बनाया गया है।
- भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास भी पूर्णत: परिचालित 7 होलों के साथ जारी है। अन्ततोगत्वा यह एक 18 होल गोल्फ कोर्स में विकसित होगा।
- क्यू. जी.सी, एस.एफ.एस.सी. और बी.जी.सी. पर ये तीन गोल्फ ड्राइविंग रेंज्स हैं। एक मिनी गोल्फ कोर्स भी एस.एफ.एस. सी पर विद्यमान होता है।

12.6 सदस्यता प्रबंध

12.6.1 सदस्यों का प्रवेश

प्रत्येक कम्पलैक्स में एक जांच कमेटी है, जो कम्पलैक्स के लिए सदस्यों के प्रवेश के बारे में तय करती हे। सदस्यों के प्रवेश के लिए कम्पलैक्सों द्वारा मानकीकृत मापदण्डों का पालन किया जाता है।

12.6.2 सदस्यता

स्पोर्टस कम्पलैक्स के लिए 5,172 नए सदस्यों को प्रवेश दिया और 1,483 व्यक्तियों की सदस्यता रद्द की गई थी।

12.6.3. ग्राहक संबंध

प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, गेम्स सुपरवाइजर जो खेल-कूद परिसरों में ड्यूटी करने के लिए चुने गए थे, कार्य पर 2 से 4 वर्ष तक उनका अवधिकाल रखा गया था। सब मिलाकर वे भली प्रकार निभाते है और वे सदस्यों को संभालने और उनकी समस्याओं के समाधान पूर्णत: योग्य हैं।

12.6.4. दोषी सदस्यों को नोटिस

कम्पलैक्स प्रत्येक तिमाही में उन सदस्यों को नोटिस भेजते हैं, जिन्होंने अपनी देनदारी नहीं निपटाई है। दोषी सदस्यों की सदस्यता को कम्पलैक्स के नियम, विनियम और उप-नियमों के अनुसार सख्ती से रद्द किया जाता है।

12.7 वैबसाइट

कम्पलैक्सों ने अपनी वैबसाइट को आधुनिक बनाया है। सभी संस्थान से संबंधित संगत सूचनाएं, सदस्यता, कोचिंग एवं प्रभार/दरें उपलब्ध सुविधाऐं आदि को वैबसाइट में शामिल किया गया है। वैबसाठट का वैब पता हैं- डब्ल्यू. डब्ल्यू डब्ल्यू .डीडीए.ओरग.इन

12.8 मानव शक्ति

मानवशक्ति को रखने का अधिकार खेल-कूद प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित होता है। खेल-कूद विंग कम्पलैक्स के अनुसार वास्तविक मानवशक्ति की जरूरत का निरीक्षण करके कार्यान्वित किया है। तदनुसार मैन-इन-पोजीशन का प्रावधान रखा है। जहां दि.वि.प्रा. की मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है वहां वाहय साधन उपयोग किए जाते है विशेष रूप से भवन व्यवस्था, सिक्यूरिटी, खेल सुविधाओं का रख-रखाव और क्रिकेट-पिचें कोर्टस आदि का संवारना।

12.9 प्रचार

- दि.वि.प्रा. खेल-कूद परिसरों के कार्यकलापों पर डी.डी. स्पोर्टस और अन्य मीडिया भी ध्यान देते हैं। मीडिया (न्यूज पेपर्स और दूरदर्शन) ने कम्पलैक्सों के द्वारा छूट प्रदान करना, चल रही कोचिंग योजनाएं आदि सुविधाओं के बारे में कैपसूल्स तैयार किए है।
- दि.वि.प्रा. खेल शाखा की गतिविधियों के संबंध में दिल्लीवासियों को जागरूक बनाने के लिए यह कैपसूल डी.डी. (स्पोर्टस), डी.डी. (नेशनल) पर दिखाए गए तथा विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।
- दि.वि.प्रा. खेल समाचार-पत्र ने प्रकाशन के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से तथा निदेशक (खेल) दि.वि.प्रा. द्वारा इसकी विषय-वस्तु पर अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किया जाता है।
- यह त्रैमासिक आधाार पर खेल शाखा, परिसरों, गोल्फ कोर्सों और राष्ट्रमण्डल खेल गतिविधियों की प्रगति का खेल समाचार प्रस्तुत करता है। इसे देश के खेल संगठनों, राज्य, स्कूल तथा कॉलेजो में वितरित किया जाता है।

12.10 राष्ट्रमण्डल खेल 2010

- जबसे दिल्ली को खेल आबंटित हुए हैं तबसे दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के संबंध में एक विशेष भूमिका अदा कर रहा है। दि.वि.प्रा. को अक्षरधाम मंदिर के समीप राष्ट्रमण्डल खेल गाँव तथा सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिन्टन और स्क्वैश के लिए और यमुना खेल परिसर में टेबल टेनिस के लिए स्टेडिया निर्मित करने का कार्य निर्धारित किया गया है।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर में एक समन्वय कार्यालय और एक सम्मेलन कक्ष का विकास किया गया है। जिसमें आयोजित होने वाले राष्टमण्डल खेलों के लिए दि.वि.प्रा. को सौंपे गए कार्यों की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। कामनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के इवेल्यूएशन कमीशन ने दि.वि.प्रा. द्वारा निर्माण किए जा रहे खेल स्थलों तथा गाँव (विलेज) स्थल का 2-3 नवम्बर 2006 को दौरा किया। इसके पश्चात् 11 नवम्बर 2006 को श्री किपसिन ब्लन्ट, यू.के. राज्य खेल मंत्री सहित 9 सदस्यों ने भी दौरा किया।

12.11 वित्तीय प्रबंध

- दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों की संरचना ऐसे की गई है जिससे कि वह स्वयं को संपोषित कर सके। इसे सम्भव करने के लिए उन सदस्यों का नामांकन किया जाता है जो एक बार प्रवेश शुल्क देने के अतिरिक्त मासिक अंशदान भी करते हैं। जिससे कि खेल परिसरों का रखरखाव करने में सहायता मिलती है। हालांकि खेल परिसर सदस्यता उन्मुखी होते हैं, ये सभी के लिए 'भुगतान करो और खेलो' आधार पर उपलब्ध होते हैं। शुल्क प्रभार इतने कम और वहन करने योग्य होते हैं जिससे कि लगभग सभी को इनका उपयोग करने में आसानी हो। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जाती है।
- विस्तारणीय निर्माण कार्यों/पूँजी स्वरूप में सुधार सहित खेल परिसरों के विकास और अन्य खेल सुविधाओं पर पूँजी व्यय दि.वि.प्रा. के नजूल लेखा-II खाते से पूरा किया जाता है। हालांकि, दिन-प्रतिदिन की खेल सुविधाओं के रख- रखाव का कार्य सदस्यता शुल्क और विविध प्राप्तियों द्वारा खेलकूद शाखा करती है। जहाँ अपेक्षित होता है, वहाँ पर कम लोकप्रिय परिसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय परिसरों से प्रति-आर्थिक सहायता दी जाती है।
- परिसरों द्वारा सदस्यता हेतु इकट्ठी की गई अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क राशि पूँजी व्यय के लिए दि.वि.प्रा. मेन को जमा कराई जाती है। इस खाते में डी.डी.ए. मुख्यालय में दिसम्बर 2006 तक 3061.89 लाख रु. जमा किए जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) 194.58 लाख रु. अधिक सृजित किए गए हैं।
- दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाने और रखरखाव, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, संस्थापना की लागत, हाउस कीपिंग, सुरक्षा शामिल हैं, का खर्च परिसर स्वयं वहन करते हैं। सदस्यता और 'भुगतान करो और खेलो' की संकल्पना द्वारा ऐसा सम्भव हो सका है।
- लेखों का मासिक विवरण दि.वि.प्रा. मेन को भेजा जाता है। पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के सभी खेल परिसरों के वार्षिक खाते पूरे कर लिए गए हैं और मु. लेखा अधिकारी को डी.डी.ए. मेन खाते में भेज दिए गए हैं। खेल परिसरों का बजट अगले वित्त वर्ष में डी. डी.ए. मेन बजट में शामिल कर लिया गया है। खेल शाखा के खातों की लेखा परीक्षा दि.वि.प्रा. के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है और बाहरी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा की जाती है। सभी खेल परिसरों के खातों की लेखापरीक्षा हो चुकी है।
- सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सो में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं और बिल नोटिस भेजने का कार्य कम्प्यूटरीकृत होता है और नियमित आधार पर किया जाता है। चूककर्ताओं की बकाया सूची को निपटाया जा रहा है और ऐसे लोग जो नियमित रूप से चूककर्ता सूची में हैं उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है।

12.12 निष्कर्ष

खेल शाखा दि.वि.प्रा. ने दिल्ली में खेल के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रूप में दिल्लीवासियों के उपयोग के लिए 13 खेल परिसर, 26 बहु-व्यायामशालाएँ, 13 तरण ताल, 2 गोल्फ कोर्स तथा 3 गोल्फ ड्राइविंग रेंज्स स्थापित किए हैं। खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सो में भुगतान करो और खेलो (पे एण्ड प्ले) की संकल्पना ने सभी को अपनी पसन्द के खेल को खेलने की दिशा में बहुत अधिक अवसर प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा आम दिल्लीवासी की आवश्यकता को पूरा किया गया। ऐथेलिटिक्स और फुटबॉल प्रोत्साहन योजनाएं जिन्हें पाँच वर्ष के अंतराल में बहुत अधिक प्रचार मिला और जिनके लाभ से दि.वि.प्रा के फुटबाल खिलाड़ी और ऐथलीट राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखे जा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन कोचिंग सहित कोचिंग (शिडयूल्स) सारणी युवाओं को अपनी पसन्द का खेल चाहे वो शूटिंग, तैराकी या घुड़सवारी हो को सीखने का अवसर उपलब्ध कराती है। खेल शाखा, दि.वि.प्रा का उद्देश्य है कि वह सुविधाओं और उपकरणों को आधुनिक बनाए, ग्राहक देख-रेख और संबंधों को बेहतर बनाए, परिवेश को बदले तथा दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के दि.वि.प्रा. के प्रयासों का प्रचार करते हुए, दि.वि.प्रा की लम्बे समय से चली आ रही इच्छा को कार्य रूप में परिणत करे। प्रणाली, नीतियों का मानकीकरण और परिसर में पालन की जा रही रूटीन ड्रिल वर्तमान ध्येय है। खेल शाखा और खेल परिसरों के प्रशासन में सदस्यता प्रबंध, वित्त प्रबंध और साधन प्रबंध, सिद्धान्त उपयोग ढूँढ रहे हैं।

13. उद्यान-राजधानी को हरा-भरा बनाना

कुतुब गोल्फ कोर्स में गोल्फ का आनन्द लेते हुए गोल्फ खिलाड़ी

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा-भरा रहने वाला वन मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश में श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों के विकास, वन क्षेत्र, हरित पट्टियों, गोल्फ कोर्स, खेल परिसर, सहस्त्राब्दी पार्क और आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आस-पास बने हुए लघु भूखण्डों के कारण मिला है।

वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, मंत्रियों/विधायकों और संसद सदस्यों ने भाग लिया। फरवरी, 2007 में दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग द्वारा एक पुष्प-प्रदर्शनी का भी सफलता-पूर्वक आयोजन किया गया।

13.2 पिछले वर्षों की तरह दि.वि.प्रा. ने वसंत ऋतु के दौरान 23 से 25 फरवरी 2007 तक 23 वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, दि.वि.प्रा. 'एक उज्ज्वल भविष्य हेतु हरित क्षेत्रों का संरक्षण, परिरक्षण और विकास' लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया।

अपने प्रारम्भिक काल से पाँच दशकों में दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के पर्यावरण को अच्छा बनाने में सफलता पाई है और दिल्ली निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान किया है। यह माना जाना चाहिए कि दिल्ली का विकास एक निरन्तर प्रगतिशील प्रक्रिया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान उत्तरी जोन में कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ

मद	वर्ष 2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि
वृक्षारोपण	1,55,805	1,62,258
नए लॉनों का विकास	79.33 एकड	43.40 एकड़
बाल उद्यान/कॉर्नर का विकास	20	10

वर्ष 2006-07 के दौरान दक्षिणी जोन में कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ

मद	वर्ष 2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि
वृक्षारोपण	2,78,500	2,89,282
नए लॉनों का विकास	97 एकड	86 एकड़
बाल उद्यान/कॉर्नर का विकास	07	04

14. कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 आज की उच्च प्रतिस्पर्धा की दुनिया में ग्राहक बादशाह हैं इस प्रकार ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. के पास 'क्वालिटी' का एक नया मंत्र हैं, इसका प्रयोग मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न विभागों में ही नहीं किया जाता बल्कि निर्माण कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग पर, मात्र कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा ही नियमित रूप से कार्य नहीं किया जाता, बल्कि आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ताओं के स्तर पर भी नियमित जाँच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के अभ्यन्तर कक्ष कोटि नियंत्रण के स्तर पर समय-समय पर निरीक्षणों का आयोजन करके भी जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य ठेका-शर्तो, विशिष्टियों और ड्राइगों के अनुसार किया जा रहा है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसका वर्ष 1982 में थोड़े से कर्मचारियों के साथ गठन किया गया था, जो अब 8 कनिष्ठ अभियन्ताओं, 9 सहायक अभियन्ताओं, (7 सिविल और 2 विद्युत) 7 अधिशासी अभियन्ताओं (6 सिविल और 1 विद्युत), एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (कोटि नियत्रंण) प्रमुख के साथ अपनी पूरी शक्ति सहित अब बढ़ गया है।

वजीर पुर में फ्लाई ओवर

कोटि आश्वासन में यह इकाई महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि में ही उत्तम नहीं है बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कन्ट्रैक्ट डोकूमैंटस, स्पैसिफिकेशन आदि की कोटि में भी उत्तम है और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय-समय पर मार्गदर्शन और परिपत्र आदि जारी करती है। कुछ मेगा परियोजनाओं/प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए किसी अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और सी.आर. आर.आई., आई. आई. टी. आदि अभिकरण भी परामर्शदाताओं के रूप में लिए गए हैं।

14.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा फाउंडेशन स्तर पर, सुपर स्ट्रक्चर स्तर पर कम से कम तीन बार जाँच होती है। कार्य पद्धति और कारीगरी के पहलू पर रिकार्ड के रखरखाव के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। कोटि लेखा परीक्षण के दौरान समुचित रूप से जाँच की जाती है। नोट की गई कमी यदि कोई हो तो उसे तुरंत उपयुक्त और प्रभावकारी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई के लिए तुरन्त अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियंता के नोटिस में लाया जाता है। कमी देखकर उसे दूर करने के लिए बहुत निगरानी रखी जाती है।

14.5 गृहीत विशेष विनिर्दिष्टियों और तकनीकियों की नियमित रूप से समीक्षा हो रही हैं और वर्तमान आवश्यकताएं, वातावरण, पर्यावरणीय परामर्श, नई निर्माण सामग्री का उपयोग, नई तकनीकियों, आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने के लिए उपयुक्त सुधार हो रहा है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना समय और मूल्य पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताएँ सौंदर्य और भवन की संरचनात्मक मजबूती की प्रभावकारी रूप से मानीटरिंग की जाती है।

14.6 "आकाश की ऊँचाइयों को छूना" - इस सार को मस्तिष्क में रखते हुए दि.वि.प्रा. लगातार सेवाओं/कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। प्रत्येक जोन में जोनल स्तर की परस्पर क्रियात्मक कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया और सतत गुणवत्ता सुधार हेतु कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर अधीक्षण

अभियंताओं तक ने बहुमूल्य सुझाव दिए। सी.पी. डब्ल्यू डी/सीआर आर आई/एन सी सी बी एम/ एनपीसी आदि विभागों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि नियंत्रण के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को भेजा गया।

14.7 लंबे अरसे के कोटि नियंत्रण पैरों और मामलों की समाप्ति के लिए भी बल डाला गया है, जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों, ए.टी.आर. में पड़े निलम्बित मामलों के लिए कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/ मुख्य अभियन्ताओं ने एक अभियान चलाया था और अन्तिम कार्रवाई तक पहुँचने तक या तो मामले को बंद किया जाए या दोषी कर्मचारियों/ ठेकेदारों के विरुद्ध प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई की जाए। परिणामस्वरूप कोटि आश्वासन कक्ष वर्ष के दौरान 410 पुराने मामलों को समाप्त करने में सफल हुआ और इसकी अन्तिम कार्रवाई तक अच्छी संख्या हो गई, जो पिछले निष्पादनों की तुलना में एक रिकार्ड है।

14.8 जब कभी भी शिकायत मिली कोटि आश्वासन कक्ष/ इकाई के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता इकाई द्वारा सतर्कता कार्रवाई आरम्भ की जाती है। वर्ष के दौरान ऐसे 8 मामले जांचे गए थे।

14.9 कार्य के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित और उपयुक्त लैब में इसकी जांच कराया जाना आत्यंतिक महत्त्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्सविलेज कॉम्प्लैक्स में एक ठीक प्रकार से सज्जित जांच लैब (एक सहायक अभियन्ता और 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं सहित) बनाया हुआ है। यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है, निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बहुत विश्वास के साथ प्रवृत्त करना, जांच की वर्तमान पद्धति शक्तियुक्त हो गई है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं, बाहर के लैबों में कम से कम 25% नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है। दस अन्य लैब जैसे श्रीराम टैस्ट हाऊस और एन.टी.एच दिल्ली टैस्ट हाऊस भी सामग्रियों की जांच के लिए अनुमोदित हो गए हैं। इससे दि.वि.प्रा. की कोटि आश्वासन लैब का और भी नवीकरण होगा/शक्ति युक्त बनेगा।

14.10 दि.वि.प्रा. ने आई.एस./आई.एस.ओ. 9001: 2000 लाइसेंस प्राप्त किया। कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ. 9001-2000 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल कोटि प्रबंध प्रशासन: कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली: प्रबंध दायित्व: साधन प्रबंध : सेवा कार्यान्वयन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है, की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा कर दिए जाने के बाद ही बी.आई. एस. कोटि प्रबंध प्रणाली से संतुष्ट हुआ।

अत: भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2007 में दि.वि.प्रा.को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 के लिए ''कोटि प्रबंध प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सी.आर.ओ/क्यू.एस.सी/ एल-8002720 प्रदान किया, जो मार्च 2010 तक मान्य होगा।

14.11 वर्ष 2006-07 के दौरान उपलब्धियाँ और वर्ष- 2007-08 हेतु लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	2004 05	2005 06	2006 07	2007-08 लक्ष्य
1.	निरीक्षण	366	366	361	330
2.	तकनीकी लेखा परीक्षा	-	-	12	21
3.	नमूने/सामग्री	385	477	523	500
4.	फाइलें बंद करना	220	441	410	460
5.	शिकायतों की जांच	11	9	8	12
6.	कोटि नियंत्रण प्रयोग-शाला (नमूनों की जांच)	9,825	5,247	3,955	6,000

कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला में जांचों की संख्या में कमी इस कारण है कि कम से कम 10 प्रतिशत जांच अन्य बाहरी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराई जा रही है जो कि पहले अनिवार्य नहीं थी।

15. वित्त एवं लेखा विंग

15.1 दि.वि.प्रा. के वित्त एवं लेखा विंग के प्रधान वित्त सदस्य हैं, जिनकी मुख्य लेखा अधिकारी, वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (लागत निर्धारण) और निदेशक (वित्त) भी सहायता करते हैं।

दि.वि.प्रा. का वित्त एवं लेखा विंग दि.वि.प्रा. के वित्त का कामकाज देखता है और यह विभाग वार्षिक लेखा तैयार करने, बजट तैयार करने, शहरी विकास निधि का निधि प्रबंध करने, शहरी विरासत पुरस्कार निधि, सामान्य भविष्य निधि सहित कर्मचारी पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन वितरण एवं परियोजना अनुमोदनों का कार्य भी करता है।

15.2 प्राधिकरण के वार्षिक लेखे

क) बजट एवं लेखा उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण का लेखा निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत रखा जाता है:

1. नजूल खाता–1
2. नजूल खाता–2
3. बजट सामान्य विकास खाता

ख) तीनों खातों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित पैरों में संक्षिप्त रूप से दी गई है:

सुभाष नगर जिला केन्द्र

i) नजूल खाता-I

नजूल खाता–I पुरानी नजूल संपदा से संबंधित लेनदेन को प्रदर्शित करता है, जो प्रबंध हेतु सरकार द्वारा पुराने नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप दी गई थी और बाद में इसे दि.वि.प्रा. द्वारा दिसम्बर, 1957 में उत्तराधिकारी निकाय के रूप में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस खाते में दिल्ली मुख्य योजना और जोनल विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित लेनदेन भी शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इस खाते के अंतर्गत प्राप्तियां ओर व्यय इस प्रकार रहा:

(आंकड़े करोड़ रू. में)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्राप्तियां	2.90	6.10	24.98
व्यय	12.72	16.65	17.40

ii) नजूल खाता–II

इस खाते में दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और उनके निपटान की योजना से संबंधित लेनदेन शामिल है। इस लेखे के अंतर्गत भूमि के विक्रय से प्राप्त आय और भू–भाटक आदि की वसूली का हिसाब रखा जाता है और व्यय मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण तथा उसके विकास पर किया जाता है। इस खाते में संचयी अधिशेष प्राप्तियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण और बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान और विकास कार्यों पर व्यय एवं संस्थापना व्यय हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान के लिए किया जाता है। भूमि अधिग्रहण और बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान हेतु मार्च, 07 तक रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को 629.02 करोड़ रुपये भुगतान किए गए हैं। इस लेखाशीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रू. में)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्राप्तियां	2310.56	1931.59	4424.79
व्यय	1047.48	1668.52	1222.94

iii) सामान्य विकास खाता

प्राधिकारण में निहित सभी संपत्तियों और भूमि का भुगतान इस खाते के राजस्व से ही किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत दि.वि.प्रा. उच्च आय वर्ग के अंतर्गत आवासों के अतिरिक्त कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास कार्यक्रम चलाता है और दिल्ली के विभिन्न भागों में सुविधा बाजारों/स्थानीय बाजारों में दुकानों तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित भूमि के लिए भी इस खाते से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार रहा:

(आंकड़े करोड़ रू. में)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्राप्तियां	1,004.24	757.00	933.90
व्यय	571.97	576.93	787.41

iv) वार्षिक खाते

वर्ष 2000-2001, 2001-02 तथा 2002-03 के वार्षिक खाते पहले ही संसद के समक्ष रख दिए गए हैं। वर्ष 2003-2004 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जो प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अपना ली गई है को प्राधिकरण के समक्ष रखने के लिए मंत्रालय को भेज दी गई है। वर्ष 2004-05 की रिपोर्ट भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और छपाई का कार्य पूरा होते ही मंत्रालय को भेज दी जाएगी। वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक खाते प्राधिकरण द्वारा अपना लिए गए हैं और लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रतिक्षित है।

v) शहरी विकास निधि

1992-93 में भारत सरकार ने लीज होल्ड अवधि को फ्री-होल्ड अवधि में परिवर्तित करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2007 तक 430 करोड़ रू. की राशि (निवेश पर ब्याज सहित) निवेश की गई। इस खाते में से निधि शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदित समिति (प.अ.स.) द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं को दी जा रही है। कुछ परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. सैक्टर-VI, एम.बी.रोड, पुष्प विहार, नई दिल्ली के आधारिक विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 12.39 करोड़ रूपये की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई। जिसमें से 6.20 करोड़ रू. की राशि सी.पी.डब्ल्यू.डी.को दी गई है। 6.20 करोड़ रू. की शेष राशि वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. की आवश्यकता के अनुसार जारी की जाएगी।
2. सैक्टर-4, एम.बी. रोड़ पुष्प विहार, नई दिल्ली के आधारिक विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 12.40 करोड़ रूपए की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत हुई। जिसमें से 6.20 करोड़ रू. की राशि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दी गई है।
3. गाजीपुर ईदगाह स्लाटर हाऊस के आधुनिकीकरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 40 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई जिनमें से 20 करोड़ रूपए अनुदान के रूप में और 20 करोड़ रूपए ऋण के रूप में स्वीकृत हुए। 40 करोड़ रूपए की समस्त राशि दि.न.नि. को दे दी गई है।
4. नार्थ एवं साउथ ब्लाक, नई दिल्ली में एम.पी.फ्लैटों के सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 1.18 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जो अनुदान के रूप में के.लो.नि.विभाग को भी जारी कर दी गई है।

vi) दि.न.नि. को भुगतान जारी करना

दि.न.नि.को सड़कों को सुधाारने के संबंध में एम.ओ.यू. /करार के अनुसार यू.डी.एफ. से 60 करोड़ रू. की राशि निधि के रूप में दी जाएगी जिसमें से 50 करोड़ रू. अग्रिम रूप से और 10 करोड़ रू. अनुदान के रूप में हैं। दि.न.नि. द्वारा ऋण की राशि 2001-02 से 10प्रतिशत ब्याज की दर से 20 वर्षों की अवधि में लौटाई जाएगी, दि. न.नि. को 60 करोड़ रू. में से 51.51 करोड़ रू. जारी कर दिए है। दि.न.नि. द्वारा 15 करोड़ रू. मूल निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं और शेष 15 करोड़ रू. की राशि वर्ष 2006-07 में प्राप्त होनी है। शेष राशि वर्ष 2006-07 में दि.न.नि. की माँग और

आवश्यकता के अनुसार जारी की जाएगी।

गाजीपुर में ईदगाह स्लाटर हाउस के आधुनिकीकरण के संबंध में एम.ओ.यू./ करार के अनुसार यू.डीएफ.में से 40 करोड़ रू. की राशि जारी की जाएगी जिसमें से 20 करोड़ रू. ऋण के रूप में है। दि.न.नि. द्वारा ब्याज सहित ऋण की राशि की वापसी 20 वर्षों में की जानी है। 40 करोड़ रू. की सम्पूर्ण राशि दि.न.नि. को जारी कर दी गई है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए मूल राशि की वापसी के रूप में 6 करोड़ रू. दि.न.नि. से प्राप्त किये जाने हैं।

vii) डी.एम.आर.सी.को भुगतान जारी करना

मंत्रालय के करार प्रारूप के अनुसार नीचे दी गई सूची के अनुसार डी.एम.आर.सी को निम्नलिखित निधि जारी की गई।

i)	2003-04	:	80.00 करोड रूपये
ii)	2004-05	:	160.00 करोड़ रूपये
iii)	2005-06	:	80.00 करोड़ रूपये

ऋण संघटक और अनुदान संघटक, प्रत्येक राशि 80.00 करोड़ रू सहित यू.डी.एफ. (शहरी विकास निधि) में से डी. आर.एम.सी. को शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.01.2004 के द्वारा 160.00 करोड़ रुपए की राशि की संस्वीकृति भेज दी गई थी जिन्होंने 80.00 करोड़ रुपए के ऋण संघटक को लेने से इंकार कर दिया। यू.डी.एफ. से अनुदान के रूप में 160.00 करोड़ रुपए की राशि को बदलने और देने के लिये मामला मंत्रालय के सामने उठाया गया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनका यह सुझाव स्वीकृत नहीं किया गया और दिनांक 28.04.04 के उनके पत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यू.डी.एफ. में से कुल अनुदान राशि मात्र 80.00 करोड़ रुपए रहेगी और शेष 80.00 करोड़ रुपए की राशि दि.वि.प्रा. द्वारा दी जाए। यू.डी.एफ. से ऋण लेकर या उसके निजी फण्ड में से तदनुसार, दि.वि.प्रा. अपने निजी फण्ड में से 240.00 करोड़ रुपए की शेष राशि की वित्तीय व्यवस्था करेगा। दि.वि.प्रा. अब तक 240.00 करोड़ रू. की संपूर्ण राशि डी.एम.आर.सी. को एवं 80.00 करोड़ रुपए यू.डी.एफ. से जारी कर चुका है ताकि इसके टेंडर के कार्य और कार्यनिष्पादन में कोई बाधा न पड़े।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार डी.एम. आर.सी. को मैट्रो लाइन के लिए भूमि नि:शुल्क दी गई है।

अब, डी.एम.आर.सी. ने सैक्टर-22 द्वारका तक मैट्रो लाइन को आगे बढ़ाने के लिए 275.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया है। सचिव (शहरी विकास) के निदेश के अनुसार इसमें 100.00 करोड़ रुपए दि.वि.प्रा. द्वारा 31.03.2007 तक जारी कर दिये गए हैं।

viii) राष्ट्रमण्डल खेल-2010

राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए 175 करोड़ रू. और बी.जी. डी.ए.के अंतर्गत विशिष्ट आवास हेतु 150 करोड़ रू. निधरित कर दिए गए हैं।

ix) शहरी विरासत पुरस्कार कोष

किसी नगर की विरासत उसके सृजनात्मक उत्साह के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। दिल्ली की कम से कम एक सौ वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, जो अभी उपयोग में हैं, के संरक्षण, सुरक्षा एवं रख-रखाव और उन्हें बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में दि.वि.प्रा. ने पुरस्कार देना प्रारम्भ किया, जिसे ''दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरस्कार'' कहते हैं 23.50 लाख रुपए के आवश्यक फण्ड की व्यवस्था अलग से की गई है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देने के लिए इसका निर्देश किया जाता है।

x) बकाया ऋण एवं अन्य देय राशियाँ

अब तक ऋण/ऋण-पत्र आदि के रूप में दि.वि.प्रा. के प्रति कोई बकाया देयता नहीं रह गई है।

15.3 बजट

क) दि.वि.प्रा. के बजट एवं लेखा नियम 1982 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में अगले वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमानों और चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों को संकलित करने के पश्चात् प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित बजट अनुमान केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाता है। विभिन्न सिविल विद्युत एवं उद्यान विभागों की संबंधित भुगतान इकाइयों द्वारा बजट व्यवस्था के

संदर्भ में विभिन्न कार्यों पर व्यय के लिए धन राशि जारी करके प्रभावी बजट नियंत्रण रखा जाता है। बजट के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की आवधिक समीक्षा की जाती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई जाने वाली कमियों को रोकने हेतु समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

ख) क्षेत्रवार बजट जो विभिन्न कार्यों/योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाता है, प्रतिवर्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा संकलित किया जाता है। विभिन्न योजना/परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि और योजना की वास्तविक प्रगति, जो संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा दर्शायी जाती है, का यह संबंध है। इससे विभिन्न योजना और परियोजनाओं पर प्रभावी निगरानी आसानी से होती है और समय और लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

बजट एक नजर में

(क) प्राप्तियाँ

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	सं.अनुमान 2005-06	2005-06 (वा.आंकड़े)	सं.बजट अनुमान 2006-07	ब. अनुमान अनुमान 2007-08
नजूल खाता-I	3.38	6.10	15.59	22.68
नजूल खाता-II	1217.70	1931.59	2871.73	2433.91
बी.जी.डी.ए.	810.02	757.16	1264.36	1493.46
कुल	**2031.10**	**2694.85**	**4151.68**	**3950.05**

द्वारका खेल परिसर का तरण ताल

(ख) व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	सं.अनुमान 2005-06	2005-06 (वा.आंकड़े)	सं.बजट अनुमान 2006-07	ब. अनुमान अनुमान 2007-08
नजूल खाता-I	16.38	16.65	19.05	19.08
नजूल खाता-II	1820.41	1568.52	1575.77	2115.80
बी.जी.डी.ए.	502.35	576.93	560.57	1069.29
कुल	**2339.14**	**2162.10**	**2155.39**	**3204.17**

15.4 कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

दि.वि.प्रा. ने वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान स्टाफ/अधिकारियों एवं पेंशन भोगियों के संबंध में बहिरंग उपचार के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की मौद्रिक वार्षिक सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और पेंशन भोगी बाहरी उपचार के अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों, दिल्ली सरकार में पंजीकृत अनुमोदित पैनल नर्सिंग होमों और निजी अस्पतालों में किए गए आन्तरिक उपचारों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं। चिकित्सा कक्ष में कर्मचारियों के नियमित दावों के अतिरिक्त लगभग 5330 पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मामलों पर कार्रवाई भी की जाती है।

15.5 सामान्य भविष्य निधि योजना

केन्द्रीय सरकार की सामान्य भविष्य निधि योजना के समान ही दि.वि.प्रा. की सामान्य भविष्य निधि योजना इसके कर्मचारियों के लिए लागू है। दिनांक 31.3.2006 को किए गए 529.53 करोड़ रूपए के निवेश की तुलना में केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूति/सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के गारंटी बांड में दिनांक 31.3.2007 को 564.56 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया गया।

15.6 पेंशन योजना

क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों पर 1973 से लागू है। अभी तक प्राधिकरण से 5400 पेंशन भोगी/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान 458 पेंशन मामले/परिवार पेंशन को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 31.03.2007 तक पेंशन संबंधी लाभ के रूप में 21.56 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया।

ख) बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण

i) दि.वि.प्रा. के सेवा निवृत कर्मचारी अब भारतीय स्टेट बैंक, विकास सदन और सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश शामिल है, में स्थित सभी शाखाओं से अपनी पेंशन ले सकते हैं। यह मामला उनके क्षेत्रों में पड़ने वाले अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी यह सुविधा देने के लिए उठाया गया है।

ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार दि.वि.प्रा. ने सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भावी पेंशन देयताएं पूरी करने के लिए अपेक्षित निधि रखी है। वर्ष 2005-2006 तक 287.31 करोड़ रूपए की तुलना में 3/07 तक पेंशन के लिए कुल 301.11 करोड़ रूपए की पेंशन निधि का निवेश है। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी निधि पर भी 77.28 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है।

iii) **पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि न्यास का पंजीकरण**

प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर 2004 की बैठक में आयकर अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास और दि. वि.प्रा. ग्रेच्युटी निधि न्यास का गठन करना प्रस्तावित किया है। न्यासों का पंजीकरण हो गया और इसके लिए आयकर प्राधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जानी लम्बित है।

ग) समूह बीमा योजना (जी.आई.एस.) हितकारी निधि (बी.एफ.) एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.) इन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

ड) समूह बीमा योजना

1. समूह बीमा योजना (जीआईएस) कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में जांच सूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित समूह बीमा योजना का पूरा मामला समूह बीमा योजना की राशि के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए आगे की जांच हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा समूह बीमा योजना शाखा को भेजा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम दस्तावेजों का सत्यापन, जांच करने के पश्चात दि.वि.प्रा. के पक्ष में समूह बीमा योजना की राशि जारी करता है। तब दि.वि.प्रा. द्वारा कानूनी वारिस को भुगतान किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा 171 मामले निपटाये गए और 83 मामलों पर कार्रवाई चल रही है।

2. **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.)**
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.) दुर्घटना के कारण दि.वि.प्रा. कर्मचारी की मृत्यु होने पर और किसी एक अंग अथवा एक आंख इत्यादि का नुकसान होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के मामले भी समूह बीमा योजना शाखा में निपटाए जाते हैं। जांच सूची के अनुसार दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफ.आई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि सहित पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए समूह बीमा योजना शाखा में निपटाया जाता हैं। जांच सूची के अनुसार दावा प्रपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि सहित पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए समूह बीमा योजना शाखा में भेजा जाता है। समूह बीमा योजना शाखा में दस्तावेजों की जांच की जाती है और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद कानूनी वारिस को दि.वि.प्रा. की निधि से भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान 10 मामले निपटाये गए और 11 मामलों पर कार्रवाई चल रही है।

3. **प्रतिनियुक्ति स्टॉफ की हितकारी निधि/समूह बीमा योजना के मामले**
दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के दिल्ली नगर निगम, जे.जे. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में हितकारी निधि/समूह बीमा योजना/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी इत्यादि के मामलों की भी समूह बीमा योजना शाखा में जांच की जाती है एवं भुगतान समूह बीमा योजना शाखा द्वारा किया जाता है। जहां तक हितकारी निधि का संबंध है, दिनांक 1.04. 2002 से मृत्यु के मामले में 50,000/- रुपए का भुगतान किया जाता है तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से 32/- रुपए की एक समान दर से वसूली की जाती है। वर्ष 3/2005 तक किए गए 0.50 करोड़ रुपए के भुगतान की तुलना में वर्ष 2005-2006 के

दौरान 31.03.2007 तक मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों को हितकारी निधि के भुगतान के रूप में 1.54 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

हितकारी निधि का भुगतान संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2004 तक कर दिया गया। हितकारी निधि के भुगतान की राशि कर्मचारी की श्रेणी का ध्यान किए बिना 50,000/- रूपए थी। यह राशि 1.1.2005 से बढ़कर 1,00,000/- रूपए हो गई है। कर्मचारियों का अंशदान भी 32/- रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 50/- रूपए प्रति माह हो गया है। 22 नवम्बर, 2004 को हुई प्राधिकरण की बैठक में दि.वि.प्रा. ने आयकर अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार प्रारम्भ में जमा 20 करोड़ रूपए के साथ दि.वि.प्रा. हितकर निधि न्यास बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। न्यास पंजीकृत हो गया है और इसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही चल रही है।

15.7 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति

क) वर्ष 2006-2007 के दौरान भूमि और आवास के विकास के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं के व्यापक परियोजना अनुमोदन के बाद 371.90 करोड़ रूपए के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की गई। इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने के परिणाम स्वरूप 76 मामले दिये गए।

ख) प्रारम्भिक अनुमान

प्रशासनिक अनुमोदन एवं संस्वीकृति प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया जाता है, जो कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व-अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रारम्भिक अनुमान को प्रस्तुत करने से पूर्व इसे वित्त सदस्य के पास वित्तीय सहमति के लिए भेजा जाता है।

वित्तीय सहमति प्रदान किये जाने के बाद प्रारम्भिक अनुमानों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन लेखा समिति (ई.ए.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

15.8 दि.वि.प्रा. में वेतन-पत्रक पैकेज का विकास

दि.वि.प्रा. के लिए एक वेतन पत्रक पैकेज का विकास किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल्स शामिल हैं:

1. वेतन बिल रजिस्टर तैयार करना।
2. आयकर का परिकलन एवं फार्म नं. 16 जारी करना।
3. वार्षिक खाता स्लिप जारी करने सहित सामान्य भविष्य निधि खाता तैयार करना।
4. पेंशन और उपदान का परिकलन।
5. विभिन्न अग्रिम राशियों और वसूलियों के लिए रिकार्ड का रख-रखाव।
6. वेतन की बकाया राशि का परिकलन।
7. लेखा परीक्षा ट्रायल सहित पुराने आंकड़ों का रख-रखाव।

मॉड्यूल वार जांच एवं प्रलेखन पूरे किए जा चुके हैं और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए पे-रोल पैकेज को क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

15.9 वित्त वर्ष 2006-2007 के लिए दि.वि.प्रा. की आयकर रिटर्न दर्ज करना

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2002-2003 से सभी आवास प्राधिकरण/बोर्ड इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। वित्त वर्ष 2005-2006 की आयकर रिटर्न भी निर्धारित तिथि तक दर्ज कर दी गई थी।

आगे किसी अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि दि.वि.प्रा. को निदेशक (छूट) आयकर द्वारा धारा 12-ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। इसलिए भविष्य में किसी कर का भुगतान नहीं किया जाना है।

15.10 दि.न.नि. को संपत्ति कर का भुगतान

इकाई क्षेत्र विधि के अनुसार वर्ष 2006-2007 के संपत्ति कर/सेवा प्रभारों के 9.56 करोड़ रूपए का, दिनांक 8.7.2004 को आयुक्त (दि.वि.प्रा.) के साथ हुई उपाध्यक्ष की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार विभिन्न सम्पत्तियों के बारे में दि.वि.प्रा. को भुगतान कर दिया गया है।

प्राप्तियां

(आंकड़े करोड़ रूपए में)

मदों का विवरण	वा.आंकड़े 2005-06	सं.अनुमान 2006-07	वास्तविक आंकड़े 2006-07
प्रारम्भिक नकद शेष	118.93	222.60	161.32
क्षति पूर्ति सहित निर्माण कार्य और विकास योजनाओं से राजस्व/पूंजीगत प्राप्तियां	41.59	120.88	133.39
किराया खरीद योजना के अंतर्गत आवासों और दुकानों के निपटान से प्राप्तियां	551.26	861.84	540.54
भूमि निपटान से प्राप्तियां	1688.81	2547.12	4009.67
ब्याज	237.97	455.01	477.96
अन्य प्राप्तियां	167.58	138.29	53.87
प्लान स्कीमें और निक्षेप कार्य	3.81	28.54	3.45
केन्द्र सरकार से अनुदान	124.44	-	-
सा.भ. निधि/सा.वि. योजना/पी.ए.आई.पी.	2815.46	216.39	132.26
ऋण और डिबेंचर	-	-	-
जमा और अग्रिम			
क) निवेश का नकदीकरण	2656.54	6368.00	7128.76
ख) आवर्ती निधि	425.17	1575.77	452.29
ग) व्यक्तिगत बहीखाता	1061.04	1130.00	1062.76
घ) रक्षित निधि	251.63	12.00	346.74
ङ) अन्य उचंत जमा और अग्रिम	1274.98	2045.90	7891.31
कुल	**8603.75**	**16192.34**	**22394.32**

भुगतान

(आंकड़े करोड़ रूपए में)

मदों का विवरण	वा.आंकड़े 2005-06	सं.अनुमान 2006-07	वास्तविक आंकड़े 2006-07
विकास योजनाओं मुख्य योजना को प्रभारित शेयर लागत सहित प्रशासनिक लागत-प्रशासन लागत घटाएं	412.07	254.54	250.24
भूमि विकास आदि पर व्यय आवर्ती निधि से वित्त	423.88	674.77	454.02
निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं पर व्यय	61.92	79.81	67.87
भूमि अधिग्रहण, बढ़ाया गया मुआवजा	925.62	750.00	629.01
आवासों/दुकानों का निर्माण	290.93	315.85	228.72
ऋण, सा.भ. निधि पर ब्याज का भुगतान और अग्रिम जमा	27.90	28.35	29.79
प्लान स्कीम निक्षेप निर्माण कार्य	18.72	28.54	10.32
अन्य व्यय	0.75	23.53	347.84
ऋण का भुगतान	71.59	-	-
सा.भ.नि. सा.बीमा योजना, पी.ए.आई.पी.	2233.38	77.35	78.00
जमा और अग्रिम	-	-	-
क) सा.भ. निधि निवेश, पेंशन निधि सामान्य निवेश खेल सहित	3621.95	6094.50	11126.40
ख) ऋणमोचन का प्रावधान	-	-	-
ग) आवर्ती निधि को भुगतान की गई राशि	425.17	2871.73	452.29
घ) रक्षित निधि	31.47	35.50	61.66
ड) व्यक्तिगत बहीखाता	1085.35	1075.00	1080.37
च) अन्य उचंत जमा एवं अग्रिम	1045.11	2607.47	7315.28
कुल	**8442.43**	**14916.94**	**22335.93**
अंतिम शेष	**161.32**	**1275.40**	**262.51**
महा योग	**8603.75**	**16192.34**	**22394.32**

श्रीए स.ज यपालर`ड्डी,क`न्द्रीयश हरीविकासम ंत्री,द्व ारकाम`फ लाईअ ोवरक ा उद्घाटनक रतेह ुए

श्रीए स.ज यपालर`ड्डीक`न्द्रीय,श हरीविकासम ंत्री,ि जिलाप ार्क,ह ौजख ासम` दि.वि.प्रा.द्व ाराअ ायोजितप ुष्पप्र दर्शनीम`

श्रीब ी.एल.ज ोशी,ि दिल्लीक`उ पराज्यपालक`स ाथड ी.डी.ए.स् कवैशच`म्पियनशिप 2006क`ि विजेता

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार